



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
पटना

आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्सी भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए ई-निविदा

भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

बोलीदाता का नाम: _____

पता: _____

मोबाइल _____

ईमेल आईडी: _____

| | |
|--|--|
| ई निविदा सं. | (आरबीआई/पटना क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/19/25-26/ईटी/723 [फायर अलार्म सिस्टम का एसआईटीसी]) |
| डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध ई-निविदा की तिथि और समय | 18 दिसंबर, 2025; 15:00 बजे |
| बोलियां जमा करने के लिए निविदा की उपलब्धता (भाग I और भाग II) | से: 18 दिसंबर, 2025; 15:00 बजे; |
| बोली पूर्व बैठक की तिथि और समय | 24 दिसंबर, 2025; 15:00 बजे (ऑफलाइन) स्थान: संपदा विभाग 2 मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिण गांधी मैदान, पटना। |
| ई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि | 08 जनवरी, 2026; 12:00 बजे |
| ई निविदा खोलने की तिथि और समय (भाग I) | 08 जनवरी, 2026; 15:00 बजे (भाग II के उद्घाटन की सूचना विक्रेता को बाद में दी जा सकती है) |

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, पटना ने इच्छुक पार्टियों को करार के संबंध में एक पृष्ठभूमि-परक जानकारी देने के लिए इस दस्तावेज को तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें अंतर्विष्ट जानकारी को तैयार करने में समुचित सावधानी बरती है, तथापि, इस दस्तावेज में अंतर्विष्ट या इसके बारे में दी गई किसी जानकारी की संपूर्णता या सटीकता के संबंध में न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही उसके कोई प्राधिकरण या एजेंसी या संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या परामर्शदाता कोई वारंटी देते हैं अथवा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से कोई व्यपदेशन करते हैं।

इस सूचना का अभिप्राय परिपूर्ण जानकारी देना नहीं है। इच्छुक पार्टियों के लिए ज़रूरी है कि वे स्वयं पूछताछ कर लें और उत्तरदाताओं के लिए अपेक्षित है कि वे लिखित रूप में यह पुष्टि करें कि उन्होंने ऐसा किया है और वे केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा प्रस्तुत करने हेतु दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या परामर्शदाताओं के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक करार के संबंध में आगे बढ़ने या करार के कन्फिगरेशन को बदलने, इस दस्तावेज में दर्शाई गई समय-सारणी को परिवर्तित करने या लागू प्रक्रम या प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में रुचि अभिव्यक्ति करने वाली किसी भी पार्टी पर आगे विचार न करने का अधिकार भी बैंक के पास सुरक्षित है।

रुचि अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति अदा नहीं की जाएगी।

अनुक्रम

| क्रम संख्या | विवरण | पृष्ठ सं. |
|-------------|---|-----------|
| 1. | अस्वीकरण | 2 |
| 2. | ई निविदा की अनुसूची | 5 |
| 3. | ई निविदा आमंत्रित करने की सूचना | 7 |
| 4. | ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश | 12 |
| 5. | खंड- I: ई-निविदा का रूप | 16 |
| 6. | खंड- II: करार की शर्तें | 18 |
| 7. | खंड- III: निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें | 36 |
| 8. | सुरक्षा कोड और अग्नि सुरक्षा कोड | 48-49 |
| 9. | खंड- IV: इसके बाद संदर्भित शर्तें | 50 |
| 10. | खंड-V: पहले संदर्भित परिशिष्ट | 65 |
| 11. | खंड- VI: प्रणाली की आवश्यकता और विशेष शर्तें | 66 |
| 12. | खंड- VII: तकनीकी विनिर्देश और कार्य का दायरा | 68 |
| 13. | खंड -VIII: अनुमोदित मेक की सूची | 84 |
| 14. | खंड -IX: निविदाकार द्वारा प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी डेटा | 87 |
| 15. | खंड X: जाँच सूची - वाणिज्यिक शर्तें | 91 |
| 16. | अनुलग्नक-I: कार्यनिष्पादन सुरक्षा जमा/प्रतिधारण धनराशि के लिए कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) का प्रपत्र | 94 |
| 17. | अनुलग्नक-II: बयाना राशि जमा/ बोली सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र | 97 |
| 18. | अनुलग्नक -III: निविदाकार की ओर से ओईएम द्वारा रखरखाव की पुष्टि के लिए वचनपत्र का प्रोफार्मा | 99 |
| 19. | अनुलग्नक-IV: बैंकरों के प्रमाण पत्र का प्रारूप | 100 |
| 20. | अनुलग्नक-V: वित्तीय स्थिति | 101 |
| 21. | अनुलग्नक-VI और VII: (A) ग्राहकों का विवरण (B) वित्तीय पात्रता के योग्य कार्य | 102-103 |

| | | |
|-----|--|---------|
| 22. | अनुलग्नक-VIII: ठेकेदार के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र | 104 |
| 23. | अनुलग्नक-IX: प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप | 106 |
| 24. | अनुलग्नक X: वचनपत्र: कार्य को समझने के लिए निविदाकार द्वारा साइट के दौरे के संबंध में | 107 |
| 25. | अनुलग्नक XI: सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में वचनपत्र | 108 |
| 26. | अनुलग्नक XII: भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनपत्र / घोषणा / प्रमाण पत्र का प्रपत्र | 109 |
| 27. | अनुलग्नक XIII: पेटेंट अधिकारों के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा | 111 |
| 28. | अनुलग्नक XIV: ठेका श्रम नियमों/विनियमों के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा | 112 |
| 29. | अनुलग्नक XV: एनईएफटी भुगतान के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए प्रोफार्मा | 113 |
| 30. | अनुलग्नक XVI: प्रभावी ई-भुगतान हेतु एनईएफटी विवरण | 114 |
| 31. | कम्प्यूटरीकृत एमबी के लिए अनुलग्नक | 115-119 |
| 32. | भाग II: मात्रा का अमूल्यित बिल (बीओक्यू) | 120-127 |

निविदा अनुसूची (एसओटी)

| | |
|--|--|
| 1. ई निविदा सं. | (आरबीआई/पटना क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/19/25-26/ईटी/723 [फायर अलार्म सिस्टम का एसआईटीसी]) |
| 2. कार्य का नाम: | आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्सी भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)। . |
| 3. निविदा का तरीका: (खुली निविदा) | ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ऑनलाइन (भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - वित्तीय बोली) वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/eproc के माध्यम से |
| 4. दिनांक और समय जिससे एनआईटी (पूर्ण निविदा दस्तावेजों के साथ) पार्टियों को वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/eproc पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा | 18 दिसंबर, 2025 को 15:00 बजे से। |
| 5. बोली पूर्व बैठक की तिथि और स्थान (ऑफ़लाइन) | 24 दिसंबर, 2025 को 15:00 बजे स्थान: - भारतीय रिज़र्व बैंक के संपदा विभाग, दक्षिण गांधी मैदान, पटना |
| 6. काम की अनुमानित लागत: | ₹ 47,00,000/- (केवल सैंतालीस लाख रुपये)। |
| 7. बयाना धन जमा (ईएमडी) | <p>निविदा के पैरा 3.11.1 के अनुसार ₹94,000/- केवल डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में या एनईएफटी के माध्यम से संपदा विभाग, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जानी है।</p> <p>एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार है:</p> <p>लाभार्थी का नाम: आरबीआई पटना लाभार्थी खाता संख्या: 186003001 आईएफएससी: RBISOPTPA01</p> <p>(आईएफएससी में पांचवें और दसवें अक्षर शून्य हैं)</p> <p>कृपया एनईएफटी लेनदेन टिप्पणियों में अपना नाम/कंपनी का नाम बताएं।</p> <p>अभीष्ट बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे ईएमडी के प्रेषण का प्रमाण (स्कैन की गई प्रति) लेन-देन संख्या के साथ निम्नलिखित ई-मेल आईडी पर अपलोड करें/भेजें:</p> |

| | |
|---|--|
| | (a) estatepatna@rbi.org.in (b) abhisekhsaha@rbi.org.in (c) sanjaykumar15@rbi.org.in |
| 8. ईएमडी के लिए डीडी/बैंक गारंटी जमा करने की अंतिम तिथि | 08 जनवरी, 2026 को 12:00 बजे से पहले। |
| 9. कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) | छूट को छोड़कर संविदा राशि का 10% |
| 10. कार्य प्रारंभ करने के लिए कार्य आदेश जारी करने की तारीख के 14 वें दिन से कार्यों को पूरा करने के लिए अनुमत समय । | 60 दिन |
| 11. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली की बोली शुरू होने की तारीख https://www.mstcecommerce.com/eproc | 18 दिसंबर, 2025 से; 15:00 बजे ; |
| 12. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा की अंतिम तिथि | 08 जनवरी, 2026 को 12:00 बजे तक |
| 13. भाग- I के खुलने की तिथि और समय (यानी, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) | 08 जनवरी, 2026 को 15:00 बजे। |
| 14. भाग- II के खुलने की तिथि और समय (यानी, वित्तीय बोली) | पात्र बोलीदाताओं को इसकी सूचना दी जाएगी। |
| 15. लेनदेन शुल्क | ई-प्रोक्योरमेंट में भाग लेने के लिए शुल्क एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से या मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किया जाएगा। |
| 16. पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए निविदा शुल्क | शून्य |



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
पटना

ई निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)

आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

1. ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा निविदाएं "आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्सी भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)" के लिए आमंत्रित की जाती हैं।

इस कार्य पर 47 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसे कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 14वें दिन के भीतर पूरा किया जाना है।

पात्रता शर्तें:

2. सभी पूर्व-योग्यता दस्तावेज एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-1) के साथ अपलोड किए जाएंगे। जो लोग पूर्व-योग्यता दस्तावेज अपलोड नहीं करते हैं, उन्हें इस निविदा प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार को आगे की निविदा प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने की मांग किए जाने पर बैंक को दस्तावेजों की मूल प्रति जमा करनी चाहिए।

पूर्व-योग्यता मानदंड: -केवल निम्नलिखित योग्यता रखने वाली फर्म ही ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगी।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पिछले अनुभव की अवधि | केवल वे ओईएम या अधिकृत डीलर जिनके पास वैध डीलरशिप प्रमाणपत्र हैं जो जीएसटी पंजीकृत हैं और जिनके पास न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है (कार्य अनुभव को उचित ठहराने वाले कार्य आदेश 30 दिसंबर, 2020 को या उससे पहले समान प्रकृति के कार्य क्षेत्र में दिनांकित होने चाहिए (यानी आरबीआई में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्सी भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी), (ख) अपने ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया गया हो। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य शुरू करने और समाप्त होने की तिथि, देरी के कारण, यदि कोई हो, आदि जैसे विवरण शामिल होंगे / आवेदक को न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। |
| 2 | प्रत्येक पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य (योग्यता) | पिछले 5 वर्षों के दौरान यानी 30 दिसंबर, 2020 को या उसके बाद इंटेलिजेंट एड्रेसेबल फायर अलार्म की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग जैसे समान कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव, (ए) तीन पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है, या |

| | | |
|---|-----------------|--|
| | | (ख) दो पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होगी, या (ग) अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम लागत वाला एक पूर्ण कार्य |
| 3 | वार्षिक टर्नओवर | 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों (यानी, 2023-24, 2024-25 और 2025-26) के दौरान अनुमानित लागत का 100% या उससे अधिक। |
| 4 | ऋणशोध क्षमता | आवेदक के बैंकर द्वारा जारी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, विशेष रूप से अनुमानित लागत के बराबर न्यूनतम राशि के लिए उपरोक्त कार्य के उद्देश्य के लिए। (जारी करने की तिथि: निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 3 महीने से अधिक नहीं) |
| 5 | सेवा सेटअप | पटना, कोलकाता, रांची में निर्दिष्ट कार्य के लिए पूर्ण सेवा सेटअप उपलब्ध हो |

1. **निविदाकारों** को संकेत के अनुसार उपयुक्त फ़ाइल नामों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने चाहिए।

i. पात्रता मानदंड के प्रमाण दस्तावेज।

ii. विनिदष्ट मर्दों के विनिर्माताओं के विवरण/कैटलॉग और नाम।

iii. प्रस्तावित फायर अलार्म सिस्टम के तकनीकी पैरामीटर का विवरण

iv. प्रस्तावित कार्य से संबंधित कोई अन्य जानकारी।

8. केवल उन्हीं ठेकेदारों को पात्र माना जाएगा, जो ई-निविदा के लिए आवेदन करते समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत/अपलोड करेंगे।

| | | |
|-----|--|---|
| (a) | फर्म की संरचना | ठेकेदारों की फर्म की संरचना का पूरा विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति हो, या एक साझेदारी फर्म, या एक कंपनी आदि) को भागीदारों के नाम और पते (ओं) के साथ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन / पावर ऑफ अटॉर्नी / किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। |
| (b) | कार्य अनुभव और निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों को पूरा करना। | कार्य प्रदान करने की तारीख, दिए गए कार्य का मूल्य, कार्य को पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि को दर्शाने वाले विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां और इसी तरह के कार्यों के पूरा होने की वास्तविक तिथि और वास्तविक मूल्य को दर्शाने वाले संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र कार्य अनुभव के प्रमाण में अपलोड किए जाने चाहिए। किसी भी केंद्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए। |
| (c) | निर्दिष्ट अवधि के दौरान ठेकेदार की साख और उनका टर्नओवर। | चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित ठेकेदार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों के साथ आयकर निकासी प्रमाण पत्र / आयकर निर्धारण आदेश की प्रतियां पिछले तीन वर्षों के लिए उनकी साख और कारोबार के प्रमाण के साथ अपलोड की जानी चाहिए। |
| (d) | सेवा सेट-अप | पटना, कोलकाता, रांची में पूर्ण सेवा सेटअप होने के समर्थन में निर्माताओं से प्रमाण पत्र / कोई अन्य वैध दस्तावेज अपलोड किया जाना चाहिए। |

| | | |
|-----|--|--|
| (e) | बैंकरों और उनके वर्तमान संपर्क कार्यपालकों के नाम और पते | संपर्क अधिकारियों के नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) संख्या, फैक्स नंबर, आदि के साथ उनके बैंकरों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी (यानी, वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा अपने बैंकर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) अपलोड किया जाना चाहिए। |
| (f) | बैंक खातों का विवरण | उनके बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, कब खोला गया, आईएफएससी कोड आदि दिया जाए। |
| (g) | ग्राहकों और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते | उनके ग्राहकों के नाम और पते के बारे में जानकारी के साथ-साथ पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर। संपर्क अधिकारियों (यानी, वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा अपने बैंकर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के फैक्स नंबर, आदि प्रस्तुत किए जाने चाहिए। |
| (h) | पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण | कार्य (कार्यों) के निष्पादन के वर्ष, कार्य (ओं) के निष्पादन के वर्ष, निष्पादित कार्य (ओं) की वास्तविक लागत (ओं) के ग्राहक-वार नाम, संविदा (ओं) में निर्धारित पूरा होने का समय और कार्य (ओं) को पूरा करने के लिए लिया गया वास्तविक समय, नाम (ओं) और अधिकारी/अधिकारियों/विभागों का पूर्ण संपर्क-विवरण जिनके तहत कार्य निष्पादित किया गया था/किये गये थे। |
| (i) | ग्राहक प्रमाण पत्र | निविदाकारओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने कम से कम दो ग्राहकों से संलग्न प्रोफार्मा (अनुबंध-VII) के अनुसार ग्राहक प्रमाण पत्र अपलोड करें , जिनके लिए उन्होंने निविदाएं आमंत्रित करने वाले सूचना में वर्णित पात्रता (पूर्व-योग्यता) मानदंडों के संदर्भ में पात्र कार्य किए हैं। ग्राहक प्रमाण पत्र आवेदक / भारतीय रिज़र्व बैंक के निविदा आमंत्रित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित किसी भी मामले में स्वीकार किया जाएगा : i) किसी सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंध में और केवल तभी जब उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए निविदा द्वारा प्राप्त भुगतान के पर्याप्त प्रमाण द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। और ii) यदि निजी संगठन द्वारा जारी ग्राहक प्रमाण पत्र भी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र के साथ होगा। निर्दिष्ट प्रारूप में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र के बिना प्राप्त आवेदन/निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा। |
| (j) | बैंकर का प्रमाण पत्र | निविदाकारओं को सलाह दी जाती है कि वे (अनुलग्नक-IV) के अनुसार अपने बैंकर/बैंकरों से प्राप्त बैंकर प्रमाण पत्र अपलोड करें। इस तरह के प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक के आवेदन/निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण को संबोधित किया जाएगा और उनके आवेदन / निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। |

[

8. इच्छुक निविदाकारओं को निविदा की तकनीकी-वाणिज्यिक (भाग-1) बोली के साथ ऊपर बताए गए सभी बिंदुओं को पूरा करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। समान पात्रता दस्तावेज और ईएमडी की स्कैन की गई प्रति एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग- 1) के साथ अपलोड की जानी चाहिए। **यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निविदा**

प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल पर निष्पादित की जाएगी।

9. इच्छुक निविदाकारों द्वारा बैंक को संतुष्ट करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक **उनकी भागीदारी से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

10. निविदा फॉर्म 18 दिसंबर, 2025 से 15:00 बजे से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा और 24 दिसंबर, 2025 को 15:00 बजे आरबीआई, पटना में एक बोली पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी।

11. निविदा प्रपत्र को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in या www.mstcecommerce.com/eprocn पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। **पूर्व-योग्यता पत्र और ईएमडी भुगतान के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग- I) के साथ अपलोड की जानी चाहिए। ईएमडी के लिए डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी 08 जनवरी, 2026 को 12:00 बजे तक क्षेत्रीय निदेशक, संपदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिण गांधी मैदान, पटना के पास एक सीलबंद लिफाफे में मूल रूप से पहुंच जानी चाहिए। यदि एनईएफटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, तो एनईएफटी रसीद को पूर्व-योग्यता दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।**

इच्छुक विक्रेता/फर्म www.mstcecommerce.com/eprocn के साथ पंजीकरण प्राप्त करने के बाद ई-निविदा में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली एक ही पोर्टल के माध्यम से खोली जाएगी और लागू लेनदेन शुल्क का भुगतान फर्म द्वारा किया जाएगा।

12. निर्धारित प्रारूप में निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी। निविदा के भाग- I में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें, निविदाकारों का कवरिंग लेटर, **₹94,000/- का ईएमडी एनईएफटी हस्तांतरण के माध्यम से खाता संख्या -186003001, भारतीय रिजर्व बैंक, आईएफएससी कोड- RBISOPTPA01, शाखा का नाम - आरबीआई, पटना, शाखा का पता - भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिण गांधी मैदान, पटना या 'भारतीय रिजर्व बैंक, पटना' के पक्ष में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या बैंक के मानक प्रोफार्मा में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी एक अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में जो अर्हता पूर्व दस्तावेजों के साथ निविदा-प्रपत्र में उपलब्ध है। ईएमडी से संबंधित दस्तावेजों को स्कैन किया जाना चाहिए और पूर्व-योग्यता दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।**

निविदा के भाग- II में कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन निविदाकार की कीमत बोली, बैंक की मात्रा की अनुसूची, निविदा आहरण, यदि कोई हो, केवल शामिल होगी।

13. निविदाओं का भाग- I निविदाकारों द्वारा एमएसटीसी पोर्टल में प्रस्तुत किया जाएगा। इसे RBI द्वारा **08 जनवरी, 2026 को 15:00 बजे** खोला जाएगा। जो निविदाकार अपने प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग, दक्षिण गांधी मैदान, पटना में अपने प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। निविदा का भाग II बाद में खोला जाएगा। इसके लिए उचित सूचना दी जाएगी।

14. बैंक अपने ग्राहकों और बैंकरों से निविदाकार के पिछले कार्यनिष्पादन पर रिपोर्ट प्राप्त करेगा। बैंक निविदाओं के भाग- II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी निविदाकार को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी कार्यनिष्पादन रिपोर्ट और असंतोषजनक पाया जाता है, तो बैंक निविदा के भाग-I को खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

15. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

16. फर्म को एमएसटीसी पोर्टल पर निविदा भाग-I के साथ स्कैन किए गए भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेजों को भरना और अपलोड करना होगा:

a. फर्म का विवरण,

- b. अनुमोदित मेक की सूची (खंड H)
- c. प्रिंसिपल बैंकर और अन्य बैंकरों के विवरण के लिए प्रोफार्मा
- d. पिछले पांच वर्षों में निष्पादित समान कार्यों (प्रत्येक लागत उल्लिखित से कम नहीं) के ब्यौरे के लिए प्रोफार्मा (प्रत्येक लागत उल्लेख की तारीख से)
- e. चेक लिस्ट – सामान्य स्थिति और वाणिज्यिक स्थिति (खंड पी एंड क्यू निविदा में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार।

स्थान: पटना

दिनांक: -----, 2026

क्षेत्रीय निदेशक, पटना

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले निविदा आमंत्रित करने की सूचना और उसके बाद शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

१) ई निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर **कीमत** बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेता के पास कक्षा III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक इस तरह की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: कीमत बोली और वाणिज्यिक बोली होनी चाहिए

केवल www.mstcecommerce.com/eproc/ पर ऑनलाइन सबमिट किया गया (संस्करण 3)

1) विक्रेताओं को विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने के लिए <https://www.mstcecommerce.com/eproc> और स्वयं के यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है - विवरण भरना और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाना सबमिट करें। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/पंजीकरण पर जाएं- विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

विक्रेताओं के लिए संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

| व्यक्ति से संपर्क करें | मेल | मोबाइल |
|------------------------|--|------------|
| श्री मलय मंडल | bmpatna@mstcindia.in | 9831368791 |
| श्री अमित कुमार गौतम | ptnopr1@mstcindia.in | 9886624201 |
| श्री मयंक कुमार | ptnopr3@mstcindia.in | 8269000225 |
| श्री प्रशांत मालवीय | ptnopr2@mstcindia.in | 9899972556 |

एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए)

फोन नंबर :07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)

डब्ल्यूआरओ हेल्पडेस्क: 7651915418/02269856817/02269856800

प्राप्यता:

सभी तकनीकी मुद्दों ई निविदा, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

RBI में संपर्क व्यक्ति

अंशुमन त्रिपाठी, एएम (टीई): 9415015483 (anshumantripathi@rbi.org.in)

संजय कुमार, प्रबंधक: 8004865634 (sanjaykumar15@rbi.org.in)

अभिषेक साहा, AM: 8777024272 (abhisekhsaha@rbi.org.in)

मार्गदर्शक।

एक सिस्टम आवश्यकताएँ:

विवरण के लिए, विक्रेता डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का उल्लेख कर सकता है <https://www.mstcecommerce.com/eproc/>

सिस्टम आवश्यकताएँ:

i) विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम ii) IE-7 और इसके बाद का इंटरनेट ब्राउज़र।

DSC के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट होने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

उपकरण = > इंटरनेट विकल्प = > सुरक्षा = > अक्षम करें संरक्षित मोड यदि सक्षम है- यानी, "सुरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक निकालें।

अन्य सेटिंग्स:

उपकरण => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" = > अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूँ" के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें।

सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने और के तहत 'पॉप अप अवरोधक का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए

उपकरण→ इंटरनेट विकल्प→ कस्टम स्तर (कृपया पृष्ठ से आईई सेटिंग्स www.mstcecommerce.com एक बार चलाएं)

तकनीकी बोली और कीमत बोली को ऑनलाइन जमा करना होगा www.mstcecommerce.com/eproc निविदाएं निविदा में दिए गए निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

The screenshot shows a web browser window with the URL mstcecommerce.com/eproc/. The page title is "System Settings Check Status". The status is "Incorrect System Settings". There are two buttons: "Download System Settings Guide" and "Download Certificate". Below this, it says "Please Correct the Following Settings:". There are three main sections: 1. "If You Do Not Have Java Installed, Please Install Java" with a "Download Java" button. 2. "Based On The Java Version You Have Installed Please Download PKI Application". This section has two columns: "Latest Version: 11" and "Installed Version:". Below these are two buttons: "If You Have Java 32 Bit Installed" and "If You Have Java 64 Bit Installed", both with "Download" buttons. 3. "If You Have Installed Both Java And Pki Application, Please Update Browser Settings". This section has two instructions: "If You Are Using Google Chrome Or Edge: - Open URL <https://localhost:13591/signservice/getdata> And Click To Allow Connections." and "If You Are Using Firefox: - Open URL <https://localhost:13591/signservice/getdata> And Add Security Exception To Allow Connections." At the bottom, there are links for "Reset Password" and "Register".

दो. **लेन-देन शुल्क के बारे में विशेष नोट:** विक्रेताओं को अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के खिलाफ "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा/"इवेंट कैटलॉग" में "भुगतान लेनदेन शुल्क" के माध्यम से। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता बिना किसी बदलाव के चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाने के बाद, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा।

लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई निविदा तक पहुंच नहीं होगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से जमा कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।

तीन. निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने वर्ग III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

चरणआईटी (निविदा आमंत्रित करने की सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।

पाँच. ई निविदा में बोली:

नोट: विक्रेताओं को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए मेरे मेनू में दस्तावेज़ अपलोड करें लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

एक बार पुस्तकालय में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता विशेष ई-निविदा के खिलाफ दस्तावेज़ संलग्न करें लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई निविदा से संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता गाइड के निर्देशों का पालन करें।

अ) बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से जमा करने की आवश्यकता है। लेन-देन शुल्क, यदि कोई हो, गैर-वापसी योग्य है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के ईएमडी को आरबीआई द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

आ) इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ **कीमत** बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट → ट्रांजेक्शन फीस->कॉमन टर्म->अटैच डॉक्यूमेंट->प्राइस बिड।

कृपया ध्यान दें: विक्रेता लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज़ और सामान्य शब्द टैब सक्षम करेगा। इस चरण के सफल समापन के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के खिलाफ अपनी कीमत बोली जमा करने या कीमत बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल को डाउनलोड और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि अटैच किए गए दस्तावेज़ और/या सामान्य शर्तों को सहेजने का चरण असफल रहता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और कीमत बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम कर दिया जाएगा। क्या यह सफल/लंबित है इसकी स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित की जाएगी।

इ) सबसे पहले, विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सहेजना होगा। फिर विक्रेता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, कीमत बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी कीमत बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और कीमत बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है

नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

ई) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

उ) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

ऊ) **ई निविदा** का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

ऋ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी **संविदा** बनाएगी। ऐसे सफल **निविदाकार** को इसके बाद **आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।**

ल) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां कक्षा III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ँ) क्रेता के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए के।

ऐ) ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा **ई निविदा** में बोली जमा करना **ई निविदा** के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

ए) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा मंजिल में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा मंजिल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

दिनांक: - निविदाकार के हस्ताक्षर और मुहर

स्थान: - नाम और पता:

फोन/मोबाइल नं.

ई-मेल

खंड-1

ई निविदा का फॉर्म

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग,
दक्षिण गांधी मैदान,
पटना - 800001,

प्रिय महोदय/महोदया,

हमने इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थापना स्थल का दौरा और जांच की है और ई-निविदा को प्रभावित करने वाली संबंधित अपेक्षित जानकारियाँ प्राप्त की है। हम एतद द्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को संलग्न मात्रा की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर और करार की शर्तों में उल्लिखित विनिर्देशों, डिजाइनों और निर्देशों के साथ सभी मामलों के अनुसार, निविदाकारों को सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों के अनुसार निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, यहां पहले संदर्भित शर्तें, विनिर्देश, डेटा शीट और मात्रा की अनुसूची और ऐसी सामग्री के साथ जो अन्य सभी मामलों में, ऐसी शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

ज्ञापन

| | | |
|-----|---|---|
| (क) | ई-निविदा सं. | आरबीआई/पटना क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा//25-26/ईटी/ [फायर अलार्म सिस्टम-एमओबी का एसआईटीसी] |
| (ख) | कार्यों का विवरण | आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) |
| (ग) | अनुमानित लागत | ₹ 47 लाख/- |
| (घ) | भुगतान का तरीका | खंड 3.12 के अनुसार निविदाकारों को सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों के अनुसार |
| (ङ) | बयाना राशि | ₹ 94,000/- |
| (च) | ई-निविदा स्वीकार करने की सलाह देने वाले पत्र की तारीख के 14 वें दिन से कार्य पूरा करने के लिए अनुमत समय | 60 दिन |
| (छ) | कार्य निष्पादन बैंक गारंटी | छूट और एएमसी को छोड़कर संविदा राशि का 10 प्रतिशत |

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी ई-निविदा **ई-निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी** और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है। हम संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक -II) के अनुसार ई-निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयाना धन के लिए बैंक गारंटी को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।

3. यदि इस ई-निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम ई निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और डिफॉल्ट रूप से, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या समनुदेशितियों या नामांकित व्यक्तियों को ऐसी रकम जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं, जो संविदा की लिखित स्वीकृति के साथ ई निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।

4. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी ई निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हमने **भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बयाना राशि के रूप में ₹94,000/-** की राशि जमा की है, जिस पर कोई ब्याज नहीं देना है। यदि हम ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर संविदा को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

5. ई-निविदा दस्तावेजों पर विधिवत हस्ताक्षर, पूर्ति और प्रस्तुत/अपलोड ऑनलाइन के माध्यम से अलग-अलग दो भागों में किया जाता है। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल कीमत बोली शामिल है।

दिनांक ____ 2026 को

मैसर्स _____ के लिए और उसकी ओर से

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

तारीख _____

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

गवाहों

(1) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर _____

(2) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर _____

खंड-II

करार की शर्तें /Articles of Agreement

यह करार वर्ष 2026 को _____ तारीख को पटना में, प्रथम पक्षकार भारतीय रिज़र्व बैंक जिसका केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में है (जिसे आगे बैंक/नियोक्ता कहा जाएगा) तथा द्वितीय पक्षकार मेसर्स ----- जिसका पंजीकृत कार्यालय ----- में स्थित है (जिसे आगे ठेकेदार कहा जाएगा) के बीच किया जाता है।

ARTICLES OF AGREEMENT made the ____day of _____month of Year 2025 between the Reserve Bank of India, Patna having its Central Office at Mumbai (hereinafter called "The Bank / Employer") on the other part and M/s _____, having its office at _____ (hereinafter referred to as the "Contractor") which expression shall unless it is repugnant to the context or meaning thereof deemed to include his heirs, representatives, administrators and assigns of the OTHER part

जबकि बैंक/नियोक्ता, **आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)**. करवाने का इच्छुक है और उसने निर्धारित कार्य की ड्राइंग, विशिष्टताओं और परिमाणों की सूची आमंत्रित की है। तथा उक्त ड्राइंग, विशिष्टताओं, और परिमाणों की सूची के संबंध में पार्टियों या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

WHEREAS the Bank/Employer is desirous of **Supply, Installation, Testing and Commissioning (SITC) of Intelligent Addressable Fire Alarm System for the Bank's Main Office Building and Annex Building at RBI, Patna** (hereinafter called "the said work") and has caused drawings, specifications and schedule of quantities describing the work to be done. AND WHEREAS the said drawings, the specifications, and the schedule of quantities have been signed by or on behalf of the parties hereto.

और जबकि ठेकेदार निर्धारित शर्तों और विशेष परिस्थितियों में निर्धारित शर्तों के अनुसार और संविदा की परिमाणों की सूची और संशोधित शर्तों के अधीन काम करने के लिए सहमत है और अंतिम रूप से दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत है जिसे आगे संयुक्त) उक्त शर्तें" रूप से" कहा जाएगा(, उक्त ड्राइंग में दर्शाए गए और या उक्त /विशिष्टताओं में वर्णित कार्यों और इसमें निर्धारित दरों पर परिमाणों की सूची में शामिल, राशि के बराबर या इसके समान राशियों (कहा जाएगा "उक्त अनुबंध राशि" जिसे आगे) के लिए देय होगा।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon the subject work to the conditions set forth herein and to the conditions set forth in the special conditions and in the schedule of quantities and conditions of Contract as modified and finally accepted by both the parties (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the works shown upon the said drawings and/or described in the said Specifications and included in the Schedule of quantities at the respective rates therein set forth, amounting to the sum as therein arrived at or such other sum as shall become payable there under (hereinafter referred to as "the said Contract Amount").

अब दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से इस पर निम्नानुसार सहमत हैं :

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

उक्त संविदा के संबंध में भुगतान समय पर और संविदा की उक्त शर्तों के अनुसार किया जाना है, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन ड्राइंग में दर्शाए गए और उक्त विशिष्टताओं तथा परिमाणों की अनुसूची में वर्णित कार्य को निष्पादित करेगा और पूरा करेगा।

In consideration of the said Contract amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said conditions, the Contractor shall, upon and subject to the said conditions, execute and complete the work shown upon the said drawings and described in the said specifications and the schedule of quantities.

2.1. बैंक/नियोक्ता, ठेकेदार को उक्त संविदा राशि या किसी अन्य राशि का भुगतान उस समय और उक्त शर्तों में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार करेगा।

The Bank/Employer shall pay the Contractor the said Contract amount or such other sum as shall become payable at the times and in the manner specified in the said conditions.

2.2 उक्त शर्तों में "आर्किटेक्ट" शब्द का अर्थ क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना से है और किसी भी कारण से इस अनुबंध के प्रयोजन हेतु उनको आर्किटेक्ट नहीं होने पर, ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को बैंक/नियोक्ता द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए नामित किया जाएगा, जो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस पर ठेकेदार किसी कारण से आपत्ति उठाए और बैंक/नियोक्ता उसे उपर्युक्त माने, बशर्ते कि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिसे बाद में आर्किटेक्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, को लिखित में दिए गए किसी भी पिछले निर्णयों या अनुमोदन या निर्देश को अनदेखा या खारिज करने का अधिकार नहीं होगा।

The term "Architect" in the said conditions shall mean Regional Director, Reserve Bank of India, Patna and on his ceasing to be the architect for the purpose of this Contract for whatever reason, such other person or persons as shall be nominated for that purposes by the Bank/Employer, not being a person to whom the Contractor shall object for reasons considered to be sufficient by the Bank/Employer PROVIDED ALWAYS that no person or perhaps persons subsequently appointed to be architect under this Contract shall be entitled to disregard or overrule any previous decisions or approval or direction given or expressed in writing by the architect for the time being.

2.3. उक्त शर्तों और परिशिष्ट और उक्त कार्य के संबंध में निविदा स्वीकृति पत्र की तिथि तक बैंक/नियोक्ता और ठेकेदार के बीच में हुये किसी भी पत्राचार को इस करार का हिस्सा माना जाएगा और पक्षकारों द्वारा इनका क्रमशः पालन किया जाएगा, स्वयं उक्त शर्तों के अधीन होंगे और उसके अनुसार करार का निष्पादन करेंगे।

The said conditions and Appendix thereto and any correspondence exchanged between the Bank/Employer and the contractor in connection with the said work till the date of letter of acceptance of their tender shall be read and construed as forming part of this Agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained.

2.4. उक्त शर्तों और उसके परिशिष्ट को इस करार के एक भाग के रूप में माना जाएगा और इसके पक्षकार उक्त शर्तों का पालन करेंगे और शर्तों के अनुसार इस करार को निष्पादित करेंगे।

The said Conditions, Annexures and Appendix thereto shall be read and construed as forming part of this agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said conditions and perform the agreements on their part respectively in the said conditions contained.

2.5. मूल निविदा दस्तावेज की धारा I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII और IX के साथ यहां उल्लिखित करार और दस्तावेज और बैंक द्वारा उक्त प्रणाली के रखरखाव हेतु ठेकेदार को भविष्य में जारी किए जानेवाले सभी व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध कार्य आदेश इस अनुबंध का आधार होंगे, जो निविदा दस्तावेज में किए गए उल्लेख के अनुसार मान्य रहेंगे।

The agreement and documents mentioned herein along with the Sections I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and IX of the original tender document, Appendix and Annexures, work orders that would be issued by the Bank to the Contractor for the said work shall form the basis of this Contract which will be valid as mentioned in the tender document.

2.6. यह संविदा न तो एक निश्चित एकमुश्त संविदा है और न ही कार्य का एक हिस्सा है, बल्कि यह **आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना,**

परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी). करने हेतु एक संविदा है, जिसके लिए दर अनुसूची में निहित दरों राशि और संभाव्य मात्रा अथवा उक्त शर्तों में प्रदत्त मात्रा के अनुरूप भुगतान किया जाएगा।

This Contract is neither a fixed lump sum contract nor a piece work but is a contract to carry out the work in respect of provision of **Supply, Installation, Testing and Commissioning (SITC) of Intelligent Addressable Fire Alarm System for the Bank's Main Office Building and Annex Building at RBI, Patna** to be paid for at the rates/amount contained in the Schedule of Rates and Probable Quantities or as provided in the Said Conditions.

2.7. ठेकेदार उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से सिविल कार्यों और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हर उचित सुविधा को वहन करेगा और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुये किसी भी नुकसान को ठीक करेगा।

The Contractor shall afford every reasonable facility for carrying out of all works relating to electrical works and other ancillary works in the manner laid down in the said conditions, and shall make good any damages done to walls, floors, etc., after the completion of such works.

2.8. बैंक/नियोक्ता इस संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय कार्य के स्वरूप और ड्राइंग में कुछ जोड़कर अथवा कुछ हटाकर अथवा उसके कुछ भाग को रखकर परिवर्तन करने का स्वयं अधिकार सुरक्षित रखता है जो इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

The Bank/Employer reserves to itself the right of altering the drawings and nature of the work by adding to or omitting any items of work or having portions of the same carried out at any time during the currency of Contract, without prejudice to this Contract.

2.9 समय अवधि इस करार का महत्वपूर्ण भाग माना जाएगा और ठेकेदार यहाँ सहमति व्यक्त करता है कि उक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य आदेश/स्वीकृति पत्र जारी होने के 14 दिनों के भीतर काम शुरू करेगा और काम शुरू होने की तारीख से **(60) दिनों** के भीतर काम को पूरा करेगा [फिर भी इस तरह के फॉर्म द्वारा लिखित रूप में समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन (यानी समझौते के एक विलेख के माध्यम से या पत्रों / ईमेल के आदान-प्रदान के माध्यम से) जैसा कि पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किया जा सकता है], ऐसा न करने पर बैंक/नियोक्ता उक्त शर्तों के अनुसार परिसमापन हर्जाना वसूल करने का हकदार होगा।

Time shall be considered as the essence of this Contract and the Contractor hereby agrees to commence the work within 14 days from the date of issue of work order/ letter of acceptance as provided for in the said conditions and shall complete the entire work within **days (60)** from the date of commencement of the work subject nevertheless to the provisions for extensions of time in writing by such form (i.e., by way of a deed of agreement or by exchange of letters/email) as may be mutually decided by the parties], failing which the Bank/Employer shall be entitled to recover liquidated damages as per the said conditions.

2.10. इस संविदा के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल भारतीय रिजर्व बैंक, पटना में किए जाएंगे।

All payments by the Bank/Employer under this Contract will be made only at Reserve Bank of India, Patna.

2.11. इस करार या इससे संबंधित सभी विवाद पटना में उत्पन्न माने जाएंगे और इनके निर्धारण का क्षेत्राधिकार सिर्फ पटना में स्थित न्यायालयों को होगा।

All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Patna and only Courts in Patna shall have jurisdiction to determine the same.

2.12. यह कि इस संविदा के सभी भागों को ठेकेदार द्वारा पढ़ लिया गया है और पूरी तरह से समझ लिया गया है।

That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood by the Contractor.

2.13 भुगतान की शर्तें : इस संविदा पर भुगतान की निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी

- उद्धृत दर का 60%, आनुपातिक आधार पर, सभी सामग्री के वितरण के खिलाफ, साइट पर जांच करने के बाद और निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद किया जाएगा।
 १. निर्माता का निरीक्षण और परीक्षण प्रमाणपत्र
 २. ठेकेदार का प्रमाणपत्र कि रखरखाव सहित प्रणालियों कि सफल स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के लिए सही घटक, भाग, उपप्रणालियाँ, उपभोग्य वस्तुएं आदि साइट पर अच्छी स्थिति में प्राप्त हुई हैं और यदि स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के दौरान कोई कमी पायी जाती है तो उन्हें बैंक को निःशुल्क आपूर्ति कि जाएगी।
 ३. ई-टेंडर शर्तों के अनुसार तीसरे पक्ष की देनदारियों सहित पारगमन, भंडारण, स्थापना, कमीशनिंग और सौंपने के दौरान सभी जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसियाँ।
- उद्धृत दर का शेष 40%, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और बैंक को संपूर्ण प्रणाली को सौंपने तथा खंड 3.11.3 के अनुसार Bank Guarantee (BG) प्रस्तुत करने तथा निष्पादित कार्य के वास्तविक माप के आधार पर दिया जाएगा।
- इसके अलावा, सरकार के नियमों के अनुसार IT, अधिभार, TDS और कोई अन्य वैधानिक कर सभी बिलों से काट लिया जाएगा।

Payment Terms: The following terms of payment shall be applicable to this contract

- 60% of the quoted rate on pro-rata basis against delivery of materials at site after checking the same and on submission of the following documents:
 १. Manufacturer's Inspection and Test Certificates
 २. Contractor's Certificate that all components, parts, sub systems, consumables etc. for successful installation, commissioning and testing of the systems including maintenance have been received at site in good condition and if any shortfall is noticed during installation, commissioning and testing they will be supplied free to the Bank.
 ३. Policies of insurance covering all the risk during transit, storage, installation, commissioning & handing over including third party liabilities as per e-Tender conditions.
- Balance 40% of the quoted rates against installation, testing and commissioning and handing over of the entire system and on submission of BG as per clause 3.11.3 and up on actual measurement of work executed.
- In addition, I.T. surcharge, TDS and any other statutory tax as per the Government rules shall be deducted from all the bills.

2.14 परिनिर्धारित हर्जाना : "समय" को इस ठेके का मूल आधार समझा जाएगा। संपूर्ण कार्य आदेश जारी किये जाने के बाद से (60) दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, जिसमें विफल होने पर निर्धारित अवधि के पश्चात किए गए कार्य की राशि के 0.25% प्रति सप्ताह की दर से परिनिर्धारित हर्जाना लगाया जाएगा, जिसकी ऊपरी सीमा स्वीकृत निविदा राशि का 10% होगी। किसी भी खंडित अवधि के विलंब को एक सप्ताह के विलंब के रूप में माना जाएगा और तदनुसार परिनिर्धारित हर्जाना लगाया जाएगा।

Liquidated Damages: Time is the essence of the contract. The entire work shall be completed within sixty (60) days from the 10th day of issue of work order, failing which liquidated damages at a rate of 0.25% of contract value of work done per week of delay beyond the stipulated period with an upper ceiling of 10% of the accepted tender amount, will be levied. Any broken period delay will be considered as delay of one week and accordingly liquidated damages Shall be levied.

2.15 वारंटी / दोष दायित्व अवधि: उपकरण की आपूर्ति और स्थापना अर्थात संपूर्ण कार्य, उपकरण को बैंक को सौंपे जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सभी प्रकार के दोषों के विरुद्ध गारंटीकृत किया जाएगा। गारंटी अवधि के दौरान सिस्टम/उप-असेंबली में पाए जाने वाले किसी भी दोष को निविदाकर्ता द्वारा निःशुल्क सुधारा/प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, निर्माता द्वारा निर्धारित और पारस्परिक रूप से सहमत तिमाही अंतराल या उससे पहले सर्विसिंग निःशुल्क की जाएगी।

Warranty / Defects Liability Period: The equipment's supplied & installed i.e., the entire work, shall be guaranteed against all types of defects for a period of one year from the date of handing over of the equipment to the Bank. Any defects found in the system/sub-assemblies within the guarantee period shall be rectified / replaced by the tenderer free of cost. During this period, servicing at quarterly interval or earlier, as prescribed by the manufacturer and as mutually agreed to, shall be carried out free-of-cost.

2.16 व्यापक वार्षिक रखरखाव (सीएएमसी): सर्व-समावेशी व्यापक रखरखाव सेवा एक वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद लागू होती है। व्यापक वार्षिक दर रखरखाव शुल्क (सीएएमसी) में सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स की मरम्मत/प्रतिस्थापन, सभी प्रकार की सामग्री, केबल, तार, लाइट और उसके कवर, उपभोग्य वस्तुएं, स्नेहक, पाइप, सभी प्रकार के औजारों और उपकरणों की आपूर्ति, सभी प्रकार के श्रमिकों की आपूर्ति आदि की लागत शामिल है, ताकि सीएएमसी कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा हो सके, हाइड्रोलिक तेल की रिफिलिंग/टॉपिंग आदि पूरी हो सके। संविदा के दायरे में एक वर्ष में त्रैमासिक अंतराल पर कम से कम चार सर्विसिंग/निवारक रखरखाव और चौबीसों घंटे किसी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल शामिल होंगे। निवारक रखरखाव में सॉफ्टवेयर के उन्नयन, उपकरणों की सफाई आदि सहित ओईएम द्वारा अनुशंसित सभी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए। निविदाकर्ताओं द्वारा यह नोट किया जा सकता है कि बैंक मानव/सामग्री/परिवहन आदि के रूप में किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेगा।

उद्धृत सीएएमसी दर बिना किसी वृद्धि के गारंटी / दोष दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निश्चित और वैध रहेगी। बैंक के सुरक्षा अधिकारी / बैंक के अभियन्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवश्यक रिपोर्ट के साथ संतोषजनक सेवा प्रदान करने के बाद बिल जमा करने पर सीएएमसी के लिए भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। सेवा संविदा को 1 (एक) वर्ष की प्रारंभिक सीएएमसी अवधि और डीएलपी के एक वर्ष के बाद कम से कम 8 (आठ) वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, चालू होने और उपयोग के लिए सिस्टम को सौंपने के बाद कुल 10 साल की अवधि के लिए एक सुनिश्चित जीवन और सेवा सहायता प्रदान की जाएगी। दो साल की प्रारंभिक वैधता अवधि (यानी, डीएलपी और सीएएमसी का पहला वर्ष) की समाप्ति के बाद संविदा के नवीनीकरण के समय और सभी बाद के वर्षों के लिए, नई संविदा राशि निम्नलिखित सूत्र के आधार पर निकाली जाएगी।

$$A_c = A_p \{15+60 \times (EPI_c/EPI_p) + 25 \times (CPI_c/CPI_p)\} \times 1/100$$

A_c = चालू वर्ष के लिए संविदा राशि

A_p = पिछले वर्ष की संविदा राशि

EPI_c = चालू वर्ष के लिए संविदा प्रारंभ होने की तारीख से 6 महीने पहले विद्युत उत्पादों के लिए ईपीआईसी थोक मूल्य सूचकांक।

EPI_p = पिछले वर्ष के लिए संविदा की आरंभ तिथि से 6 महीने पहले विद्युत उत्पादों के लिए ईपीआईपी थोक मूल्य सूचकांक

CPI_c = चालू वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआईसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत)।

CPI_p = औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) पिछले वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ

तिथि से 6 महीने पहले।

कोई अन्य उपकरण/सामग्री /सेवा/उपभोग्य वस्तुएं/स्पेयर्स, जिनका स्पष्ट रूप से ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सभी प्रकार से पूर्ण प्रणाली के सफल संचालन के लिए आवश्यक समझी जाती हैं, विक्रेता के दायरे में होंगी।

Comprehensive Annual Maintenance (CAMC): The all-inclusive comprehensive maintenance service is applicable after the expiry of the one-year guarantee period. Comprehensive Annual Rate Maintenance Charges (CAMC) includes cost of repairs/ replacement of all types of spare parts, supply of all kinds of materials, cables, wires, , supply of all kinds of tools and implements, supply of labour of all descriptions, etc. for satisfactory completion of CAMC work, complete. The scope of the contract will include at least FOUR servicing / preventive maintenance at quarterly intervals in a year and ANY NUMBER of breakdowns calls round the clock. Preventive maintenance should include all the activities as recommended by the OEM including upgradation of software, cleaning of equipment's, etc. It may be noted by the tenderers that the Bank will not provide any kind of assistance in the form of man/material/transport etc., and the tenderers will have to make their own arrangements for deputing the required skilled manpower including all necessary spares for setting right the reported/observed defects. The quoted CAMC rate shall remain firm and valid for a period of one year from the date of expiry of guarantee / defect liability period without any escalation. Payment for CAMC shall be made on half yearly basis on submission of the bill towards the same after rendering satisfactory service along with required reports duly signed by the Bank's Security Officer / Bank's Engineer. The service contract shall be renewed for an additional period of at least 6 (Six) years after the initial CAMC period of 1 (one) year and one year of DLP. In other words, an assured life and service support will be provided for a total of 8 years period after commissioning and handing over of the system for use. At the time of renewal of contract after the expiry of the initial validity period of two years (i.e., DLP and first year of CAMC) and for all subsequent years, the new contract amount will be arrived at based on following formula.

$$AC = AP \{15+60 \times (EPI_c/EPI_p) + 25 \times (CPI_c/CPI_p)\} \times 1/100$$

AC: The contract amount for the current year

AP: The contract amount for the previous year

EPI_c: Wholesale Price Index for Electrical Products 6 months prior to the commencement date of contract for the current year.

EPI_p: Wholesale Price Index for Electrical Products 6 months prior to the commencement date of contract for the previous year

CPI_c: Consumer Price Index for Industrial Workers (All India Average) 6 months prior to the commencement date of contract for the current year.

CPI_p: Consumer Price Index for Industrial Workers (All India Average) 6 months prior to the commencement date of contract for the previous year.

Any other instrument/ equipment/ service / consumables/ spares, which are not explicitly mentioned above but deemed necessary for the successful operation of the system complete in all respects, shall be in vendor's scope.

2.17 डीएलपी और सीएएमसी के दौरान जुर्माना: संविदा की अवधि के दौरान सिस्टम को डीएलपी और सीएएमएससी के

लिए संविदा करार में वर्णित आवृत्ति के अनुसार सर्विस और रखरखाव किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सिस्टम उपकरण सामान्य और संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। नियमित रखरखाव में सभी उपकरणों की सफाई भी शामिल होगी। यदि फर्म के पास ई-मेल या टेलीफोन द्वारा शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर खराबी को ठीक नहीं किया जाता है, तो नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित जुर्माना लगाया जाएगा और ठेकेदार द्वारा मांगे जाने पर उसे भुगतान करना होगा या बैंक द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी बकाया राशि से वसूल किया जाएगा।

Penalty during DLP and CAMC: During the period of contract the system shall be serviced and maintained as per frequency described in the contract agreement for DLP and CAMC to ensure that all the system equipment's are functioning normally and satisfactorily. The routine maintenance shall also include cleaning of all equipment's. If the fault is not rectified within 24 hours of lodging a complaint with the firm either by an e-mail or over telephone, a penalty as mentioned in table below will be levied and shall be payable by the contractor on demand or shall be recovered from any dues payable by the Bank to the contractor.

| | | Rectification time | Penalty |
|-----|--|--------------------|--------------------------------|
| (a) | Any defects resulting in total failure of the system | 24 hours | Rs.3000/- per day |
| (b) | Any defects in independent devices, components, cables which may not result in total failure of the system | 24 hours | Rs.500/- per day per component |

2.18 जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) का प्रावधान: सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 23 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ.सं.6/18/2019-पीपीडी के तहत शामिल किए गए 2017 के नियम 144 (xi) के अनुपालन स्वरूप जारी सार्वजनिक खरीद आदेश, और उसके बाद के संशोधन अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

इस संबंध में, बोलीदाता अनुबंध-III में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने पत्र शीर्ष-पर मुहर सहित विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता/घोषणा प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता द्वारा जमा किया गया/ वचनबद्धता प्रमाण पत्र/घोषणा/गलत पाया जाता है, तो उसका/उसकी कार्य आदेश तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा/निविदा/, और बयाना राशि/प्रदर्शन बैंक गारंटी/प्रतिभूति जमा राशि को जब्त करने सहित विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बैंक भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से बोलीदाता को वंचित कर सकता है।

Provision of Rule 144 (xi) of the GFR 2017:

Compliance with the Rule 144 (xi) of GFR 2017 inserted vide Office Memorandum (OM) F.No.6/18/2019-PPD dated July 23, 2020, issued by Public Procurement Division, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, the Public Procurement Orders issued in furtherance thereto, and their subsequent revisions shall be mandatory.

In this regard, Bidder shall submit a copy of Undertaking / Declaration / Certificate on their letter head duly sealed and signed by the authorized signatory in the format given at **Annexure-VIII**. If the Undertaking / Declaration / Certificate submitted by the bidder is found to be false, his/her/its tender / work order will be

immediately terminated, and legal action in accordance with law including forfeiting of Earnest Money Deposit / Performance Bank Guarantee / Security Deposit may be initiated and the Bank may also debar the bidder from participating in the tenders invited by the Bank in future.

2.19. गैर प्रकटीकरण खंड

ठेकेदार इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान मिलने वाली कोई भी जानकारी, सामग्री तथा बैंक के बुनियादी ढांचा/सिस्टम/उपस्करों आदि के संबंध में मिलने वाली जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकटीकरण किसी अन्य पक्षकार को नहीं करेगा तथा हमेशा इसे अतिगोपनीय बनाए रखेगा। लागू कानून का अनुपालन करने या संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक होने की स्थिति को छोड़कर ठेकेदार इस संविदा के ब्यौरों को निजी दायरे में और गोपनीय रखेगा। बैंक/नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना संविदाकार किसी व्यापारिक या तकनीकी पेपर में या अन्यत्र कार्य के विवरण को न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा और न ही इसका प्रकटीकरण करेगा। किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई हानि के लिए संविदाकार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त शर्तों का पालन न करना ठेकेदार द्वारा संविदा भंग माना जाएगा और बैंक को हुई क्षति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। इस करार के अधीन गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न किए जाने के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा। प्रकटीकरण न करने और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार का दायित्व इस करार के समाप्त होने या किसी भी कारण से समाप्त किए जाने तक बना रहेगा।

Non-disclosure clause:

The contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and of the Bank's infrastructure/ system/equipment's etc. which may come to the profession or knowledge of the contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with the agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The contractor shall not publish, permit to be publish, or disclose ant particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Bank/Employer. The contractor shall indemnify the Bank/Employer for any loss suffered by the Bank/Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the contractor and the Bank/Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies. The contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

2.20. यौन उत्पीड़न निवारण खंड:

क) ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में शिकायत संविदाकार/एजेंसी द्वारा गठित शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी संविदाकार/एजेंसी उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

ख) ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

ग) यदि घटना में संविदाकार का कोई कर्मचारी शामिल होता है तो उस स्थिति प्रदान की जानेवाली किसी भी मौद्रिक प्रतिपूर्ति

के लिए संविदाकार उत्तर दायित्व होगा, उदाहरण के लिए बैंक के किसी कर्मचारी को दी जानेवाली मौद्रिक राहत यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है।

घ) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोक थाम और अन्य संबंधित मुद्दों पर अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी संविदा कार की होगी।

ङ) ठेकेदार बैंक के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची रखेगा, जिसे बैंक द्वारा मंगवाए जाने पर आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।

Prevention of Sexual harassment Clause:

a) The contractor shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the internal complaints committee constituted by the contractor/Agency or Local Complaints committee as the case may be and the contractor/ agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect of the Complaint.

b) Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the service provider against any employee of the Bank or any employee of any other firm working in the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

c) The Contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the contractor, for instance any monetary relief to Bank's employee or other firm's employee, if sexual harassment by the employee of the contractor is proved.

d) The Contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

e) The Contractor shall provide a complete and updated list of employees who are deployed within the Bank's premises.

2.21. अप्रत्याशित घटना

इस करार के तहत दायित्वों को पूरा करने में किसी चूक के लिए कोई भी पार्टी जिम्मेदार नहीं मानी जाएगी, यदि चूक किसी पार्टी के नियंत्रण से परे कार्यों जैसे (जैसे दैवीय संकट, युद्ध की स्थिति, विद्रोह, मजदूर हड़ताल, किसी सरकारी कार्य, भूकंप, तूफान, टाइफून और अन्य प्राकृतिक आपदा आदि) के परिणामस्वरूप हुई हो। प्रत्येक पक्ष इस करार के तहत निष्पादन किए जाने वाले कार्यों को जारी रखने के सभी संभव प्रयास करने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। यदि अप्रत्याशित घटनाओं के कारण कार्य निष्पादन में बाधा की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो पार्टी जिसकी कार्य निष्पादन क्षमता प्रभावित नहीं हुई है, लिखित सूचना देते हुए इस करार को निरस्त कर सकती है।

Force Majeure:

If either party is unable to perform its obligations under this Agreement due to the occurrence of an event beyond its control (such as acts of God, war like situations, riots, labour strike, government actions, earthquakes, cyclones, typhoons, and other natural calamities, etc.), that party will not be deemed to have defaulted under this Agreement. Each party agrees to use all reasonable efforts to enable performance under this Agreement to continue. If the period of non-performance due to a force majeure event exceeds 30 days, the party whose ability to perform has not been so affected may, by giving written notice, terminate this Agreement.

2.22 ठेका श्रम (सीएलआरए) अधिनियम (विनियमन और उन्मूलन), 1970

मैं _____ कि _____ संबंधी कार्य मुझे प्रदत्त किया गया है। मैं वचन देता/देती हूँ कि मुझे प्रदत्त कार्य को पूरा करने के लिए मेरे द्वारा लगाए जाने वाले सभी मजदूरों को सभी प्रकार की मजदूरी का वास्तविक भुगतान उस दर पर किया जाएगा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं होगा तथा सीएलआरए अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा और साथ ही ऐसे वेतन का भुगतान करने में विफलता के साथ-साथ तथा सीएलआरए अधिनियम 1970 के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के कारण सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रिंसिपल बैंक/नियोक्ता के विरुद्ध प्रारंभ की जाने वाली सभी कार्रवाइयों के लिए प्रिंसिपल बैंक/नियोक्ता को क्षतिपूरित रखने का वचन देता/देती हूँ। मैं समय-समय पर सरकारी अधिकारियों/बैंक के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकॉर्ड रखूंगा/रखूंगी और उनका रख-रखाव करूंगा/करूंगी।

Contract Labor (Regulation & Abolition) Act (CLRA) ,1970

I _____ that the work of _____ awarded to me. I undertake to actually pay wages to all laborers of all description to be engaged by me for completion of _____ work awarded to me at the rate which is not less than the one prescribed under Minimum Wages Act 1948 and to ensure compliance to the provisions of CLRA Act 1970 and also keep the Principle Employer indemnified against all the actions that may be initiated against the Principle Employer by the Statutory Authorities for his failure to pay such wages and for failure to comply with the provisions of CLRA Act 1970. I shall keep and maintain all necessary documents/records for inspection of Government authorities/Bank's officials from time to time.

2.23 व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के संबंध में बीमा

ठेकेदार, व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं को होने वाली सभी हानि या क्षति के लिए और ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारियों की ओर से किसी भी चूक से उत्पन्न होने वाली संपत्ति के सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। इस खंड के तहत आने वाले दायित्व में, अन्य बातों के साथ-साथ, संरचनाओं को किसी भी तरह की हुई क्षति भी शामिल होगा, चाहे वह कार्यस्थल के निकट हो या अन्यथा; सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों के साथ-साथ इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को हुई क्षति जो इस करार से संबंधित हो। बारिश, हवा, पाला या मौसम की अन्य खराबियों के कारण इस अनुबंध के तहत आने वाले भवन और अन्य संरचनाओं और कार्यों को हुए किसी भी नुकसान के लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ठेकेदार, बैंक/नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूरत रखेगा और उसे सभी और किसी भी तरह की क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और व्यय के संबंध में और किसी भी चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के खिलाफ उसे क्षतिपूरित रखेगा, चाहे वह किसी भी कानून के तहत या अन्यथा और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी अवार्ड या मुआवजे या क्षति से संबंधित हो।

ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, इस अनुबंध के तहत वास्तविक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक, IRDAI द्वारा प्राधिकृत एक बीमा कंपनी के साथ, भूकंप जोखिम सहित अनुबंध की पूरी राशि के लिए बीमा हेतु **सर्व जोखिम नीति** को प्रभावी और बनाए रखेगा जो सभी जोखिम नीति को कवर करने के लिए बैंक/नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामे)पहले पक्षकार का नाम पहले रखा जाए(होगा तथा इसे काम शुरू करने से पहले बैंक/नियोक्ता के पास जमा करना होगा।

ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित सभी प्रकार के नुकसान की पूर्ति करेगा ताकि पूरे कार्यों की डिलीवरी हर तरह से पूर्ण और सही हो और संपत्ति या तीसरे पक्ष के नुकसान के सभी दावों को पूरा करे या अन्यथा पूर्ति करे।

ठेकेदार किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक/नियोक्ता के खिलाफ अनुबंधित कार्यों या उसके परिणामी सभी दावों के लिए बैंक/नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूरित भी रखेगा, और अपने स्वयं के खर्च पर अनुबंध के वास्तविक समापन तक प्रभावी और बनाए रखेगा, साथ ही ऐसे जोखिम को कवर करने के लिए IRDAI द्वारा प्राधिकृत बीमा कंपनी के साथ बैंक/नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामे एक बीमा पॉलिसी (पॉलिसी में पहले पक्षकार का नाम पहले होगा) रखेगा तथा इसे कार्य प्रारम्भ करने से पहले जमा करना होगा। "ठेकेदार सर्व जोखिम नीति" में तीसरे पक्ष की देयता किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम **₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र)** और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति के नुकसान के संबंध में **₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र)** होगी। ठेकेदार इस अनुबंध की अवधि के दौरान बैंक/नियोक्ता पर किए गए सभी दावों के लिए बैंक/नियोक्ता को

क्षतिपूर्ति भी करेगा, चाहे वह कामगार मुआवजा अधिनियम या किसी अन्य क़ानून के तहत हो या ठेकेदार या उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में या सामान्य क़ानून के तहत हो और इसे अपने स्वयं के खर्च पर अनुबंध के वास्तविक समापन तक प्रभावी और बनाए रखेगा या अनुबंध अवधि के दौरान बैंक/नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ, ऐसे जोखिमों को कवर करने हेतु बीमा पॉलिसी बनाए रखेगा और इस पॉलिसी को समय-समय पर बैंक/नियोक्ता के पास जमा करेगा।

ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुसार बीमा करने वाले ठेकेदार द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में, बैंक/नियोक्ता इस प्रकार की बीमा पॉलिसी खरीद सकता और इसके प्रीमियम की कटौती ठेकेदार को देय भुगतान में से कर सकता है।

ठेकेदार ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों में नहीं शामिल किसी भी देयताओं के लिए जिम्मेदार होगा और साथ ही, किसी भी व्यक्ति, जानवर को हुई क्षति या इस अनुबंध को गलत तरीके से पूरा करने के परिणामस्वरूप हुई क्षति, जिसका कारण कुछ भी रहा हो, से संबंधित देयताओं के लिए जिम्मेदार होगा।

ठेकेदार किसी भी दावे या कार्य से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी लागत, शुल्क या व्यय तथा इससे होने वाली किसी भी क्षति या मुआवजे के लिए बैंक/नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूरित रखेगा।

इस तरह की चूक के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ बैंक/नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक/नियोक्ता ठेकेदार को इस खंड के तहत देय किसी भी राशि में से किसी भी नुकसान की राशि, मुआवजे की लागत, शुल्क और बैंक/नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए अन्य खर्चों की कटौती करने का हकदार होगा।

ठेकेदार इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुरूप बीमाकर्ता द्वारा निपटान किए जाने पर, क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए समुचित सावधानी के साथ आगे बढ़ेगा। इस घटना में इस तरह के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धन का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या माल के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए खर्च के संबंध में किसी भी अन्य भुगतान के लिए हकदार नहीं होगा।

ठेकेदार, क्षति के बाद पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापना के मामले में, बैंक/नियोक्ता द्वारा निर्धारित उचित समय विस्तार के लिए हकदार होगा, लेकिन बैंक/नियोक्ता यहां निर्धारित किसी भी दावे के निपटान में बीमाकर्ता द्वारा अंतिम रूप से भुगतान की गई राशि में किसी भी कमी या कमी के लिए प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

इस खंड के तहत अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार, कार्यों के अपने-अपने हिस्से के लिए, बीमा की समान नीतियों को लागू करेगा और इस प्रकार की बीमा पॉलिसी बैंक/नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार, नामित उप-ठेकेदार को तब तक कार्य स्थल पर-काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की जाती है। कार्य स्थल पर-काम शुरू करने से पहले उप-ठेकेदार द्वारा बीमा की ऐसी पॉलिसी लेने में विफल रहने की स्थिति में, ठेकेदार, उक्त उप-ठेकेदार के कारण होने वाले किसी भी दावे या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

कोविड-19 या किसी अन्य प्रकार के व्यवधान, यदि कोई हो, के कारण विस्तारित अवधि के लिए भी बीमा की लागत ठेकेदार को वहन करनी होगी।

Insurance in respect to damages to persons and property

The Contractor shall be responsible for all injury or damage to persons, animals or things and for all damage to property which may arise from any factor omission on the part of the Contractor or any Sub-Contractor or any nominated Sub-Contractor or any of their employees. The liability under this clause shall cover also, inter alia any damages to structures, whether immediately adjacent to the works or otherwise; any damage to roads, streets, footpaths, bridges as well as damage caused to the buildings and other structures and works forming the subject matter of this contract. The contractor shall also be responsible for any damage caused to the building and other structures and works forming the subject, matter of this contract due to rain, wind, frost or other inclemency of weather. The contractor shall, indemnify and keep indemnified the Employer and hold him harmless in respect of all and any loss and expenses arising from

any such injury or damage to persons or property as aforesaid and also against any claim made in respect of injury or damage, whether under any statute or otherwise and also in respect of any award or compensation or damage consequent upon such claims.

The contractor shall reinstate all damage of every sort mentioned in this Clause so as to do delivery of the whole of the works complete and perfect in every respect and so as to make good or otherwise satisfy all claims for damage to property or third parties.

The Contractor shall also indemnify and keep indemnified the Employer against all claims which may be made against the Employer by any person in respect of anything which any arise in respect of the works or in consequence thereof and shall at his own expense, effect and maintain until the virtual completion of the contract, with an Insurance Company authorized by the IRDAI a policy of Insurance in the joint names of the Employer and the Contractor (name of the former being placed first in the policy) against such risk and deposit such policy or policies before commencement of the works. Third party liability in "Contractors All Risk Policy" shall be minimum ₹ **5.00 lakh (Rupees Five lakh only)** per person for any one accident or occurrence and ₹ **10.00 lakh (Rupees Ten lakh only)** in respect of damage to property for any one accident or occurrence. The contractor shall also indemnify the employer against all claim which may be made upon the Employer, whether under the Workmen's Compensation Act or any other statute in force, during the currency of this contract or at Common Law in respect of any employee of the contractor or of Sub-Contractor and shall at his own expense effect and maintain until the virtual completion of the contract or with an Insurance Company, approved by the Employer, a policy of insurance against such risks and deposit such policy or policies with the Employer from time to time during the currency of this contract.

In default of the contractor insuring as providing above, the employer may so insure and may deduct the premiums paid from any moneys due or which may become due to the contractor.

The contractor shall be responsible for any liability which may not be covered by the Insurance Policies referred to above and also for all other damages to any person, animal or defective carrying out of this contract, whatever, may be the reasons due to which the damage shall have been caused.

The contractor shall also indemnify and keep Indemnified the Employer against all and any costs, charges or expenses arising out of any claim or proceedings relating to the works and also in respect of any of damage or compensation arising there from.

Without prejudice to the other rights of the employer against contractor in respect of such default, the employer shall be entitled to deduct from any sums payable to the contractor the amount of any damages, compensation costs, charges and other expenses paid by the employer, and which are payable the contractor under this clause.

The Contractor shall upon settlement by the insurer pursuant to a policy taken under this clause, proceed with due diligence to rebuild or repair the works destroyed or damaged. In this event all the monies received from the Insurer in respect of such damage shall be paid to the Contractor and the contractor shall not be entitled to any further payment in respect of the expenditure incurred for rebuilding or repairing of the materials or goods destroyed or damaged.

The contractor, in case of re-building or reinstatement after damage shall be entitled to such extension of time for completion as the Employer may deem fit, but shall, however, not be entitled to reimbursement by the employer of any shortfall or deficiency in the amount finally paid by the insurer in settlement of any

claim arising as set out herein.

Without prejudice to his liability under this clause, the contractor shall also cause all nominated sub-contractors to effect, for their respective portions of the works, similar policies of insurance in accordance with the provisions of this clause and shall produce or cause to produce to the employer such policies. The contractor shall not permit a nominated sub-contractor to commence work at the site unless the said insurance policies are submitted. In the event of failure of the sub-contractor to take out such a policy of insurance before commencing the works at the site, the contractor shall be responsible for any claim or damage attributable to the said sub-contractor.

The cost of insurance has to be borne by the Contractor even for the extended period if any due to COVID or any other kind of disruption.

2.24 एक बोलीदाता निम्नलिखित आधारों पर डिबारमेंट/बोली से अयोग्यता के लिए उत्तरदायी है:

1. यदि यह निर्धारित किया जाता है कि बोलीदाता ने सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन में निम्नलिखित कार्य या चूक की है:
 - a. मैं एक खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ या अन्यथा खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के बदले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव, याचना या रिश्वत, इनाम या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की स्वीकृति।
 - b. कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके, या किसी दायित्व से बचा जा सके।
 - c. किसी भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और खरीद प्रक्रिया की प्रगति को बाधित कर सकता है।
 - d. खरीद प्रक्रिया में या व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से खरीदकर्ता इकाई द्वारा बोलीदाता को प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग।
 - e. निविदा या अनुबंध की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित बोलीदाता और खरीद इकाई के किसी भी अधिकारी के बीच कोई वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद इकाई के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।
 - f. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी हिस्से या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई जबरदस्ती या कोई खतरा।
 - g. खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या लेखा परीक्षा में बाधा।
 - h. किसी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध सुरक्षित करने के लिए झूठी घोषणा करना या झूठी जानकारी प्रदान करना।
 - i. हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल
 - j. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान / संस्था के साथ उपखंड (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन का खुलासा करने में विफल रहा या किसी सार्वजनिक खरीद संस्थान / संस्था द्वारा प्रतिबंधित किया गया।
2. सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा बोलीदाता द्वारा किसी भी कार्रवाई या चूक के लिए, जो बैंक की राय में घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की गैर-आपूर्ति, कार्यों का परित्याग, - कार्यों की मानक गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन करने में विफलता आदि।
3. यदि बोलीदाता को किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है - (ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (बी) सार्वजनिक खरीद अनुबंध के निष्पादन के हिस्से के रूप में जीवन या संपत्ति के किसी भी नुकसान या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए भारतीय दंड संहिता या किसी भी समय लागू कोई अन्य कानून।

A bidder is liable for debarment / disqualification from bidding on the following grounds:

1. If it is determined that the bidder has committed the following acts or omissions in contravention of the code of integrity:

a. making offer, solicitation or acceptance of bribe, reward or gift or any material benefit, either directly or indirectly, in exchange for an unfair advantage in the procurement process or to otherwise influence the procurement process.

b. any omission or misrepresentation that may mislead or attempt to mislead so that financial or other benefit may be obtained, or an obligation avoided.

c. any collusion, bid rigging or anticompetitive behavior that may impair the transparency, fairness and the progress of the procurement process.

d. improper use of information provided by the procuring entity to the bidder with an intent to gain unfair advantage in the procurement process or for personal gain.

e. any financial or business transactions between the bidder and any official of the procuring entity related to the tender or execution process of contract, which can affect the decision of the procuring entity directly or indirectly.

f. any coercion or any threat to impair or harm directly or indirectly, any part or its property to influence the procurement process.

g. obstruction of any investigation or auditing of a procurement process.

h. making false declaration or providing false information for participation in a tender process or to secure a contract.

i. failed to disclose conflict of interest.

j. failed to disclose any previous transgressions made in respect of the provisions of sub clause with any public institution / entity in India or any other country during the last three years or of being debarred by any public procuring institution / entity.

2. For any actions or omissions by the bidder other than violation of code of integrity, which in the opinion of the Bank warrants debarment, for the reasons like supply of sub-standard material, non-supply of material, abandonment of works, sub-standard quality of works, failure to abide terms of the tender etc.,

3. If the bidder has been convicted of an offence – (a) under the Prevention of Corruption Act, 1988; or (b) the Indian Penal Code or any other law for the time being in force, for causing any loss of life or property or causing a threat to the public health as part of execution of a public procurement contract.

2.25 मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा

किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो अनुबंध या कार्य के निष्पादन के संबंध में या के संबंध में उत्पन्न होते हैं (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और अनुबंध के परित्याग या उल्लंघन के निर्धारण से पहले या बाद में) बैंक द्वारा संदर्भित और तय किया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाणपत्र या अन्यथा के रूप में हो सकता है। किसी भी अपेक्षित मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और अपील के बिना जैसा कि उसमें कहा गया है। लेकिन यदि ठेकेदार किसी भी मामले पर असंतुष्ट है, जिस पर बैंक द्वारा उपरोक्त निर्णय लिया जाता है, तो किसी भी अपेक्षित मामले को छोड़कर, ठेकेदार ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित सूचना

दे सकता है, जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि विवादित मामलों में मध्यस्थता की जाए। इस तरह की लिखित सूचना में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो विवाद या मतभेद में हैं, जिसके लिए ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक ही मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, के पास किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या सूचना को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, अपवादित मामलों के संबंध में छोड़कर, पूर्ववर्ती खंड में संदर्भित, और निर्धारित करने के लिए विवाद के सभी मामले जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से पूर्वोक्त के रूप में सूचना दिया जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना निर्णय देगा (या ऐसा आगे बढ़ाया गया समय जैसा कि उसके द्वारा तय किया जा सकता है या पार्टियों की सहमति से मामला हो सकता है) की तारीख से संदर्भ में प्रवेश। यदि मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पक्ष परस्पर अपने विवाद या मतभेद को सुलझा लेते हैं या समझौता कर लेते हैं, तो पार्टियों द्वारा समझौते या समझौते का संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, इस तरह के समझौते के संदर्भ में एक निर्णय देगा। या समझौता।

इस तरह के किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार के लिए आकस्मिक लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जो उस राशि का निर्धारण कर सकते हैं या पार्टी के बीच उस पर कर लगाने का निर्देश दे सकते हैं। और पार्टी, और किसके द्वारा और किसके द्वारा और किस तरीके से वहन और भुगतान किया जाएगा। इस निवेदन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करना माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय तक करेगा, जैसा भी मामला हो, दिया जाता है, बैंक के निर्णय का पालन करें। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। बैंक/नियोक्ता और ठेकेदार इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी। मध्यस्थता का स्थान **पटना बिहार, भारत** होगा।

Settlement of dispute by Arbitration

All disputes and differences of any kind whatever arising out of or in connection with the contract or the carrying out of the works (whether during the progress of the works or after their completion and whether before or after the determination abandonment or breach of the contract) shall be referred to and settled by the Bank who shall state its decision in writing. Such decision may be in the form of a final certificate or otherwise. The decision of the Bank with respect to any of the expected matters shall be final and without appeal as stated in thereof. But if the Contractor be dissatisfied on any matter on which a decision is taken by the Bank as above, except any of the expected matter the Contractor may within 28 days after receiving notice of such decision give a written notice to the other party requiring that the matters in dispute be arbitrated upon. Such written notice shall specify the matters, which are in dispute or difference of which such written notice has been given. If both the parties agree, a single arbitrator would be appointed for the purpose. In case no agreement could be reached on the appointment of single arbitrator, both the parties will nominate one person each as an arbitrator on their behalf. The two arbitrators nominated by the parties shall nominate one more person to act as third arbitrator.

The Arbitrator or Arbitrators, as the case may be, shall have power to open up, review and revise any certificate, opinion, decision, requisition or notice, save in regard to the excepted matters, referred to in

the preceding clause, and to determine all matters to dispute which shall be submitted to arbitration and of which notice shall have been given as aforesaid.

The Arbitrator or Arbitrators, as the case may be, shall make his or their award within one year (or such further extended time as may be decided by him or them as the case may be with the consent of the parties) from the date of entering on the reference. In case during the arbitration proceedings the parties mutually settle or compromise their dispute or difference, on the parties filing their joint memorandum of the settlement or compromise, the Arbitrator or the Arbitrators as the case may be, shall make an award in terms of such settlement or compromise.

Upon any such reference, the decision on the cost incidental to the reference and Award respectively shall be in the discretion of the Arbitrator or Arbitrators as the case may be, who may determine the amount thereof or direct the same to be taxed as between the party and party, and shall direct by whom and to whom and in what manner the same shall be borne and paid. This submission shall be deemed to be a submission to arbitration within the meaning of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory modification thereof.

The award of the Arbitrator or Arbitrators, as the case may be, shall be final and binding on the parties. It is agreed that the Contractor shall not delay the carrying out of the works by reason of any such matter, question or dispute being referred to arbitration, but shall proceed with the works with all due diligence and shall until the decision of the Arbitrator or Arbitrators, as the case may be, is given, abide by the decision of the Bank. No award of the Arbitrator or Arbitrators, as the case may be, shall relieve the Contractor of his obligations to adhere strictly to the Bank's instructions with regard to the actual carrying out of the works. The Employer and the Contractor hereby also agree that arbitration under this Clause shall be a condition precedent to any right of action under the Contract. The venue of arbitration shall be Patna, Bihar, INDIA.

| | |
|--|--|
| <p>यदि ठेकेदार एक साझेदारी फर्म अथवा व्यक्ति हो</p> <p>If the Contractor is a partnership firm or an</p> | <p>गवाह जिनकी मौजूदगी में ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को बैंक/नियोक्ता और ठेकेदार दोनों ने इस करार को निष्पादित करने हेतु हस्ताक्षर किया है और इसे दो प्रतियों में तैयार किया गया है।</p> <p>IN WITNESS WHEREOF the Employer and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first herein above written</p> |
| <p>यदि ठेकेदार एक कंपनी हो</p> <p>If the Contractor is a company</p> | <p>गवाह जिनकी मौजूदगी में ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस करार को निष्पादित करने हेतु बैंक/नियोक्ता और ठेकेदार दोनों ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से मुहर सहित हस्ताक्षर किया है तथा इसे दो प्रतियों में तैयार किया गया है।</p> <p>IN WITNESS WHEREOF the Employer has set its hands to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said two duplicates / has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.</p> |

हस्ताक्षर खंड

Signature Clause:

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर और सुपुर्द किया गया।

SIGNED AND DELIVERED by the Reserve Bank of India by the hand of

श्री /Shri

(नाम और पदनाम / Name & Designation)

.....

.....

की उपस्थिति में/in the presence of

(1)

(नाम और पदनाम / Name & Designation)

संपदा विभाग/ Estate Department

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना कार्यालय

Reserve Bank of India, Patna **(गवाह/witness)**

(2)

(नाम और पदनाम / Name & Designation)

संपदा विभाग / Estate Department

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना कार्यालय

Reserve Bank of India, Patna **(गवाह/Witness)**

द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द SIGNED AND DELIVERED BY

यदि पार्टी साझेदारी फ़र्म या एक व्यक्ति है तो सभी साझेदारों द्वारा या उन सभी की ओर से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए
If the party is a partnership firm or an Individual should be signed by all or on behalf of all the Partners

निम्न की उपस्थिति में In the presence of:

(1)

पता/Address: -----

(गवाह/Witness)

(2)

पता/Address: -----

(गवाह/Witness)

नोट Note:

बैंक, ठेकेदार के साथ करार करने से पहले करार की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

Bank reserves the right to modify the contents of the Articles of the Agreement before the agreement is entered with the contractor.

खंड- III

निविदाकारों और विशेष शर्तों के लिए सामान्य निर्देश

3. निविदा ऑनलाइन जमा करना: -

निविदा ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। निविदा दो भागों में होगी अर्थात्, भाग I जिसमें प्रस्तावित उपकरणों के तकनीकी विनिर्देश शामिल हैं, और नियम और शर्तें (वस्तुओं की दरें और मात्रा इस भाग में कहीं भी दिखाई नहीं देंगी) और भाग II में केवल वस्तुओं की दरें और राशियां शामिल हैं। भाग II में कोई नियम और शर्तें नहीं हैं और इसे ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जाएगा। निविदाओं का भाग I 02 जनवरी, 2025 को 15:00 बजे खोला जाएगा। निविदाओं का भाग II सभी निविदाकारों को सूचित करते हुए बाद की तारीख में खोला जाएगा। टेलीग्राफिक, फैक्स और ई-मेल निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। निविदाओं की सभी प्रतियों पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और सभी अनुलग्नकों / संलग्नकों के साथ सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। सम्मिलन, पोस्टस्क्रिप्ट, परिवर्धन और परिवर्तन तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि निविदाकारों के हस्ताक्षर द्वारा पुष्टि न की जाए।

3.1 निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म (निविदा पुस्तकों) का उपयोग करें। फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और वापस / अपलोड किए जाएंगे। निविदा की प्रत्येक प्रति को स्पष्ट रूप से "मूल" और "डुप्लिकेट" के रूप में चिह्नित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

3.2 निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर एमएसटीसी वेबसाइट (www.mstcecommerce.com/eprocn) पर निविदा जमा करें।

3.3 यदि आवेदक अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे इसे एमएसटीसी वेबसाइट पर अपने स्वयं के लेटरहेड/पेपर पर अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर, भरा और ऑनलाइन के माध्यम से जमा / अपलोड किया जाएगा। निविदा को निर्धारित समय/तिथि के भीतर यानी 08 जनवरी, 2026 को 12:00 बजे तक अपलोड और ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए।

3.4 भाग I - तकनीकी और वाणिज्यिक

3.4.1 भाग I - इसमें दस्तावेजों और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों सहित पूर्ण तकनीकी विनिर्देश शामिल होगी, निविदा के तकनीकी पहलू जैसे उपकरण, डेटा शीट, सामग्री के निर्माण, तकनीकी विवरण। बयाना राशि के बदले डीडी या बैंक गारंटी के रूप में बयाना राशि व्यक्तिगत रूप से संपदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिण गाँधी मैदान पटना, बिहार-800 001 को **08 जनवरी, 2026 को 12:00 बजे या उससे पहले जमा की जाएगी।**

ऑनलाइन में प्रस्तुत निविदा के भाग I में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i) भारत में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डीडी के रूप में बयाना राशि या बयाना राशि के बदले बैंक गारंटी के रूप में बयाना राशि व्यक्तिगत रूप से संपदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना, बिहार- 800001 को उपरोक्त उल्लिखित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
- ii) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार।
- iii) कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो निविदाकार प्रस्तुत करना चाहता है।
- iv) वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में विचलन, यदि कोई हो, की सूची।
- v) तकनीकी विनिर्देश में विचलनों की सूची, यदि कोई हो।

- vi) विस्तृत प्रस्तावित डिजाइन, लेआउट ड्राइंग और पूर्ण उपकरण विवरण।
- vii) **आठ (08) वर्षों के लिए उत्पाद समर्थन वांछित है।** निविदाकार विशेष रूप से इस निविदा के लिए पेश किए गए उत्पाद समर्थन को इंगित करेगा और इस संबंध में एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।
- viii) निविदाकार के पास पटना, कोलकाता, रांची में रखरखाव की व्यवस्था होनी चाहिए। रखरखाव सेट-अप का पता और टेलीफोन/फैक्स नंबर का विवरण दिया जाए।
- ix) खंड- IX के तहत दिए गए तकनीकी डेटा शीट को पूरी जानकारी देते हुए भरा जाएगा।
- x) अनुलग्नक के अनुसार अन्य प्रमाण पत्र/घोषणाएं जमा करने के लिए संलग्न हैं।

3.4.2 पूर्व-योग्यता मानदंड: -केवल निम्नलिखित योग्यता रखने वाली फर्म ही ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगी।

| | | |
|---|---|--|
| 1 | पिछले अनुभव की अवधि | केवल वे OEM या अधिकृत डीलर जिनके पास वैध डीलरशिप प्रमाणपत्र हैं जो GST पंजीकृत हैं और जिनके पास न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है (कार्य अनुभव को उचित ठहराने वाले संबंधित कार्य आदेश 30 दिसंबर, 2020 को या उससे पहले समान प्रकृति के काम के क्षेत्र में दिनांकित होने चाहिए (यानी इंटेलिजेंट एड्रसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (SIAC) बड़े वाणिज्यिक / कार्यालय भवन / बड़े आवासीय सोसायटी / उद्योग के लिए) को उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य शुरू करने और समाप्त होने की तिथि, देरी के कारण, यदि कोई हो, आदि जैसे विवरण शामिल होंगे / आवेदक को न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। |
| 2 | प्रत्येक पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य (योग्यता) | पिछले 5 वर्षों के दौरान यानी 30 दिसंबर, 2020 को या उसके बाद इंटेलिजेंट एनालॉग एड्रसेबल फायर अलार्म की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग जैसे समान कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव। (a) तीन पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है, या (b) दो पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं है या (c) अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम लागत वाला एक पूर्ण कार्य |
| 3 | वार्षिक टर्नओवर | 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों (यानी, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के दौरान अनुमानित लागत का 100% या उससे अधिक। |
| 4 | ऋणशोधन क्षमता | आवेदक के बैंकर द्वारा जारी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, विशेष रूप से उपरोक्त कार्य के उद्देश्य के लिए अनुमानित लागत के बराबर राशि के लिए। (जारी करने की तिथि: निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 3 महीने से अधिक नहीं) |

| | | |
|---|------------|---|
| 5 | सेवा सेटअप | पटना, कोलकाता, रांची में निर्दिष्ट कार्य के लिए पूर्ण सेवा सेटअप उपलब्ध होना चाहिए। |
|---|------------|---|

- 3.4.3 निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा से पहले स्थापना स्थल का दौरा करें और साइट की शर्तों से अवगत हों।
- 3.4.4 निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा की सामान्य शर्तों और निविदा दस्तावेजों में निहित तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर निविदा अपलोड करें, और किसी भी विचलन को निर्धारित न करें। यदि निविदा दस्तावेजों में दिए गए नियमों और शर्तों की स्वीकृति का कोई मूल्य निहितार्थ है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और उद्धृत मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। निबंधन और शर्तों से विचलन वाली निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।
- 3.4.5 निविदाकार पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार, औद्योगिक संपदा अधिकारों का पूरा विवरण अपलोड करेंगे, जो उनके द्वारा आयोजित या डिजाइन या सिस्टम के किसी भी हिस्से के संबंध में किसी तीसरे पक्ष के द्वारा उपयोग किए जाते हैं।
- 3.4.6 सभी जानकारी, पत्राचार पत्र डुप्लिकेट में प्रस्तुत किए जाएंगे और क्षेत्रीय **निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग, दक्षिण गांधी मैदान पटना, बिहार - 800001** को संबोधित किए जाएंगे।

3.5 भाग II - कीमत बोली: - भाग II, जिसमें कीमत बोली है।

- (a) इस भाग में केवल प्रारूप (भाग II) के अनुसार **भारतीय रुपये** में मूल्य और शब्द दोनों शामिल होंगे। भाग II में किसी अन्य संलग्नक की अनुमति नहीं है। निविदा के भाग II में पाए गए नियम और शर्तों में परिवर्तन और तकनीकी विचलन, यदि कोई हो, को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा।
- (b) निविदाकार को दरों को भरने के लिए केवल बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म का उपयोग करना चाहिए। निविदा फॉर्म **अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए** और सभी प्रविष्टियां हाथ से की जानी चाहिए और स्याही से लिखी जानी चाहिए। यदि कोई दस्तावेज गुम है या अहस्ताक्षरित है, तो बैंक द्वारा निविदा को अपने विवेकानुसार अमान्य माना जा सकता है।
- (c) दरों को निर्दिष्ट कॉलम में आंकड़ों और शब्दों दोनों में उद्धृत किया जाना चाहिए। निविदा भरते समय किए गए सभी विलोपन और परिवर्तनों को निविदाकार के आद्याक्षर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। आंकड़ों को ओवरराइट करने की अनुमति नहीं है। इन शर्तों में से किसी का भी पालन करने में विफलता बैंक के विकल्प पर निविदा शून्य हो जाएगी। भाग II निविदा के खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (d) उद्धृत दरों को पूर्ण कार्य के लिए माना जाएगा और जब तक सिस्टम बैंक को सौंप नहीं दिया जाता है, तब तक बिना किसी वृद्धि के दृढ़ और बाध्यकारी होगी।
- (e) किसी भी वस्तु के लिए, यदि दर और राशि मात्रा के संबंध में मेल नहीं खाती है, तो उद्धृत दरों के आधार पर प्राप्त राशि केवल स्वीकार्य होगी।

3.5 बोली पूर्व बैठक :

निविदा के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट करने के लिए **24 दिसंबर, 2025 को 15.00 बजे भावी निविदाकारों की एक पूर्व-निविदा ब्रीफिंग बैठक आयोजित की जाएगी।** इस बैठक के लिए अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। **स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले बिंदुओं के संबंध में सभी संचार 24 दिसंबर, 2025 को 12:00 बजे से पहले इच्छुक निविदाकारों द्वारा estatepatna@rbi.org.in को मेल के माध्यम से किया जाए।** इच्छुक फर्मों को बैंक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की सलाह दी जाती है। बोली पूर्व बैठक की तारीख में बदलाव के लिए किसी भी

अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बोली-पूर्व बैठक के बाद, निविदा के भाग-1 के साथ निविदा शर्तों में किसी भी विचलन को प्रस्तुत करना, निविदा की अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।

3.7 ई-निविदा का उद्घाटन: -

ई-निविदाओं का भाग-1 **08 जनवरी, 2026** को सुबह 15.00 बजे खोला जाएगा। सिस्टम के माध्यम से आईएसटी। केवल उन्हीं निविदाकारों की कीमत बोली (भाग II) जो निविदाओं के भाग-1 की जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं, बाद के कार्य दिवस पर खोली जाएंगी जिसके बारे में सभी पात्र निविदाकारों को सूचित किया जाएगा।

3.8 **कार्य का दायरा:** - कार्य के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे।

- आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)**
- पटना में साइट पर पैकिंग, हैंडलिंग, परिवहन, बीमा, लोडिंग/अनलोडिंग सहित पटना में बैंक की साइट पर सभी उपकरणों की सामग्री की डिलीवरी।
- बैंक को फायर अलार्म सिस्टम का निर्माण, कमीशन, परीक्षण और हैंडलिंग।
- वारंटी अवधि के दौरान सभी पुर्जों आदि सहित सभी समावेशी सेवा प्रदान करना
- पोस्ट वारंटी अवधि के दौरान व्यापक एएमसी प्रदान करना
- निविदाकार को अपनी निविदा में तकनीकी विनिर्देशों में मांगी गई बातों के अलावा सभी प्रासंगिक ब्रोशर/साहित्य आदि के साथ सिस्टम/उप-प्रणालियों के कामकाज और उनकी बिजली आवश्यकताओं का पूरा विवरण बताना चाहिए।
- निविदाकार विनिर्देशों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और खुद को संतुष्ट करेगा कि पेश किए गए उपकरण बैंक के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त हैं।

3.9 ई-निविदा की वैधता: -

कीमतों के साथ निविदा शुरू में निविदा के भाग 1 के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी, जो अवधि निविदाकार द्वारा लिखित रूप में आपसी समझौते द्वारा और बढ़ाई जा सकती है और निविदाकार इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

3.10 सबसे कम ई-निविदा स्वीकार नहीं की जानी चाहिए: -

- बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने या स्वीकृति न लेने का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- जिस निविदाकार की ई-निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह ई-निविदाओं को प्रस्तुत करने के माध्यम से या उसके संबंध में किसी भी लागत, शुल्क, क्षति और व्यय का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा को संशोधित/वापस लेने का विकल्प चुन सकता है

3.11 दोष देयता अवधि और व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा अवधि के दौरान बयाना धन, सुरक्षा जमा और सुरक्षा

3.11.1 सभी निविदाकार एनईएफटी/ भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट द्वारा **94,000/- रुपये** की बयाना राशि जमा करेंगे (**विवरण अनुलग्नक-XV** में हैं), जो पटना में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से देय है। बयाना धन जमा (ईएमडी) अनुमोदित प्रारूप में बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ई-निविदाकार द्वारा भुगतान किया गया ईएमडी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू में 4 महीने के लिए वैध होगा, ऐसी अवधि के लिए अन-डिस्चार्ज रहेगा जो निविदा को खुला रखने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, बयाना धन जमा सावधि जमा रसीदों या

बीमा गारंटी या चेक या नकद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सफल निविदाकार का ईएमडी निविदा की स्वीकृति पर और संविदा की उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के लिए बैंक द्वारा संविदा में अनुबंध में निर्धारित प्रपत्र में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से "कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)" नामक एक नई बैंक गारंटी के प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा।

बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर और उसके चौदह दिनों के भीतर, सफल निविदाकार संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकार करार के मसौदा और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक करार बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

3.11.2 इस संविदा की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है, यदि राशि इसकी अनुमति देती है, जब तक कि ठेकेदार बैंक द्वारा मांग सूचना जारी करने के दस दिनों के भीतर ऐसी राशि नकद में जमा नहीं करता है।

3.11.3 a) पूर्णता अवधि के लिए सुरक्षा जमा के रूप में कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी):

कार्य प्रदान करने पर, सफल निविदाकार किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में संविदा मूल्य के **10% (दस प्रतिशत)** के बराबर राशि संविदा की देय पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के लिए बैंक द्वारा अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा। यह निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रारंभ में संविदा अवधि से अधिक तीन (3) महीने की अवधि के लिए वैध होगी और संविदा अवधि के विस्तार के मामले में कार्य के अंतिम समापन और तीन (3) महीने तक उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा। निविदा प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत बयाना धन जमा (ईएमडी) के लिए बैंक गारंटी उसके बाद बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। **इस तरह की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) कार्य आदेश जारी होने के 14 दिनों के भीतर बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।**

यदि निविदाकार निर्धारित समय अवधि के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उनकी निविदा रद्द की जा सकती है और जमा की गई ईएमडी को आगे की हानि या क्षति के लिए पूर्वाग्रह के बिना लागू किया जाएगा।

यदि आवश्यक हो, तो संविदा की यथोचित पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के लिए पीबीजी प्रस्तुत करने हेतु बैंक द्वारा निर्धारित तिथि तक सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत ईएमडी के लिए बैंक गारंटी को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

b) दोष देयता अवधि और सीएएमसी (यानी, व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा संविदा) अवधि के लिए बैंक गारंटी: -

कार्य पूर्ण होने के पश्चात, पीबीजी की वैधता वास्तविक पूर्णता की तिथि से एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या सफल निविदाकर्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार, परिशिष्ट के अनुसार, किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी के रूप में संविदा मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर राशि सुरक्षा जमा के रूप में प्रदान की जाएगी, जो डीएलपी और सीएएमसी संविदा की शर्तों और दायित्वों के उचित पालन के लिए है। वास्तविक पूर्णता की तिथि से 1 वर्ष के डीएलपी के पूर्ण होने के पश्चात, सफल निविदाकर्ता उल्लिखित पीबीजी की वैधता को बढ़ा सकता है या किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी के रूप में संविदा मूल्य (परियोजना कार्य) के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर राशि, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार परिशिष्ट के अनुसार है, सुरक्षा जमा के रूप में प्रदान करेगा, जो सीएएमसी अवधि की शर्तों और दायित्वों के उचित पालन के लिए है। **यह संविदा राशि का 10% बैंक गारंटी, सीएएमसी अवधि अर्थात 7 वर्ष + तीन माह की दावा अवधि के साथ, वैध रहेगा।**

भारतीय रिज़र्व बैंक को निविदा में निर्धारित डीएलपी और सीएएमसी की शर्तों और प्रतिबंधों के असंतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में, 8 वर्षों (1 वर्ष डीएलपी + 7 वर्ष सीएएमसी) की प्रतिबद्ध अवधि के दौरान किसी भी समय बैंक गारंटी को लागू करने का

अधिकार सुरक्षित है।

बैंक 8 वर्ष की प्रतिबद्ध अवधि के दौरान किसी भी समय निविदा में निर्धारित डीएलपी और सीएएमसी के नियमों, शर्तों के असंतोषजनक प्रदर्शन/सेवा के मामले में बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.12 भुगतान की शर्तें/तरीका: -

इस संविदा के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा और भुगतान के तरीके में कोई बदलाव भारतीय रिज़र्व बैंक को स्वीकार्य नहीं होगा। भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

1. इसकी जांच करने के बाद और निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद साइट पर सामग्री की सुपुर्दगी के लिए यथानुपात आधार पर उद्धृत दर का 60%
 - a) निर्माता का निरीक्षण और परीक्षण प्रमाणपत्र
 - b) ठेकेदार का प्रमाण पत्र कि रखरखाव सहित प्रणालियों की सफल स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के लिए सभी घटकों, पुर्जों, उप-प्रणालियों, उपभोग्य सामग्रियों आदि को अच्छी स्थिति में साइट पर प्राप्त किया गया है और यदि स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के दौरान कोई कमी देखी जाती है तो उन्हें बैंक को मुफ्त में आपूर्ति की जाएगी।
 - c) बीमा की पॉलिसियां पारगमन, भंडारण, स्थापना, कमीशनिंग और ई-निविदा शर्तों के अनुसार तीसरे पक्ष की देनदारियों सहित सौंपने के दौरान सभी जोखिमों को कवर करती हैं।
2. खंड 3.11.3 के अनुसार संपूर्ण प्रणाली के निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और सौंपने और बीजी प्रस्तुत करने के लिए उद्धृत दरों का शेष 40%।

सभी समावेशी रखरखाव और रखरखाव संविदा के लिए आनुपातिक भुगतान आवश्यक परीक्षणों/रिपोर्टों के साथ संतोषजनक सेवाओं के पूरा होने के बाद बिल जमा करने पर छमाही किया जाएगा।

3.13 कर: -

उद्धृत कीमतों में केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्थानीय शुल्क, कार्य संविदा कर आदि सहित सभी कर शामिल हैं। यदि निविदाकार निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, स्रोत पर आयकर काटा जाएगा और ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

3.14 बीमा: -

ठेकेदार कार्य आरंभ की तिथि से 14 दिनों के भीतर कार्यों का अपने खर्च पर बीमा कराएगा और पुनर्निर्माण कार्य की प्रभावी समाप्ति तक उन्हें बीमा बनाए रखेगा, आग से होने वाले नुकसान या क्षति के विरुद्ध, जो रिज़र्व बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम से एक कार्यालय में (पूर्ववर्ती अर्थात रिज़र्व बैंक का नाम पॉलिसी में पहले स्थान पर होगा) संविदा की पूर्ण राशि के लिए होगा। यह पॉलिसी केवल "रिज़र्व बैंक" की संपत्ति को कवर करेगी। ठेकेदार को कार्य आरंभ से इक्कीस दिनों के भीतर पॉलिसी और प्रीमियम के रसीद रिज़र्व बैंक के पास जमा करने होंगे। ठेकेदार द्वारा उपरोक्त अनुसार बीमा न कराने की स्थिति में, रिज़र्व बैंक उक्त कार्यों का बीमा करा सकता है और देय धनराशि, जुर्माना आदि से प्रीमियम की राशि काट सकता है, ऐसे डिफॉल्ट के संबंध में रिज़र्व बैंक के अन्य अधिकारों को प्रभावित किए बिना।

यदि कार्यों को निलंबित करना आवश्यक हो जाता है, तो ठेकेदार पॉलिसी के तहत दावा निपटाने के साथ ही, या बीमा कार्यालय द्वारा कार्य को पुनर्स्थापित करने पर (यदि वे ऐसा करना चुनें), सभी आवश्यक सावधानी बरतते हुए आग न लगने की स्थिति में कार्य

की समाप्ति के लिए समान रूप से आगे बढ़ेगा और संविदा की समान शर्तों के तहत सभी पहलुओं में कार्य करेगा। आग के बाद पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापना की स्थिति में, ठेकेदार को समाप्ति के लिए उचित समझी जाने वाली समय अवधि का विस्तार प्राप्त होगा। ठेकेदार को उपकरणों/सामग्री के निर्माता के कारखाने से निकलने के समय से लेकर उक्त प्रणाली को रिज़र्व बैंक को सौंपने तक सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने वाले सभी बीमा अपने खर्च पर लेने होंगे, जो रिज़र्व बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम से होंगे तथा जिनमें निम्नलिखित जोखिम शामिल होंगे:

1. परिवहन, भंडारण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग पॉलिसी (C.A.R. पॉलिसी) संविदा की कुल राशि के लिए।
2. श्रमिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी।
3. "करारकर्ता सर्व जोखिम पॉलिसी" में तृतीय पक्ष दायित्व किसी भी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम ₹5.00 लाख (केवल पांच लाख रुपये) तथा संपत्ति के नुकसान के संबंध में किसी भी एक दुर्घटना या घटना के लिए ₹10.00 लाख (केवल दस लाख रुपये) होगा।

ध्यान दें: ये सभी पॉलिसियां कार्य की समाप्ति तक मान्य रहेंगी तथा रिज़र्व बैंक के नाम को पहले स्थान देते हुए संयुक्त नाम से होंगी। यदि ठेकेदार इन पॉलिसियों को प्रदान नहीं करता है, तो रिज़र्व बैंक को उपरोक्त बीमा पॉलिसियां स्वयं लेने और ठेकेदार के बिल से उनकी लागत वसूल करने या आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य कार्य करने का अधिकार है।

3.15 पूर्णता अवधि: -

- 3.15.1 ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा और कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 14वें दिन से इसकी गणना की जाएगी। संविदा की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य को सभी परिश्रम के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर काम पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संविदा के "परिशिष्ट में संदर्भित परिशिष्ट" में परिभाषित परिसमापन क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 3.15.2 ठेकेदार आशय पत्र के दसवें दिन से संविदात्मक पूर्णता अवधि के भीतर कार्य पूरा करने के लिए एक बार चार्ट प्रस्तुत करेगा। इस तरह के चार्ट में सभी गतिविधियां शामिल होंगी जैसे कि साइट पर सामग्री की आपूर्ति की तारीख, मदवार कार्य पूरा करना आदि, और बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना।
- 3.15.3 बैंक भवन के परिसर के भीतर लॉक करने योग्य भंडारण स्थान प्रदान करेगा। हालांकि, संग्रहीत सामग्री की जिम्मेदारी और सुरक्षा ठेकेदार के पास होगी। बैंक द्वारा किसी भी श्रमिक के लिए कोई आवास प्रदान नहीं किया जाएगा।

3.16 वारंटी/दोष देयता अवधि।

उपकरण की आपूर्ति और स्थापित यानी, पूरे काम को बैंक को उपकरण सौंपने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए सभी प्रकार की खामियों के खिलाफ गारंटी दी जाएगी। गारंटी अवधि के भीतर सिस्टम/सब-असेंबलियों में पाए गए किसी भी दोष को निविदाकार द्वारा निःशुल्क सुधार/प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, त्रैमासिक अंतराल पर या उससे पहले, जैसा कि निर्माता द्वारा निर्धारित किया गया है और पारस्परिक रूप से सहमति के अनुसार, मुफ्त में सर्विसिंग की जाएगी। निविदाकार स्थापना के स्थानों पर उपलब्ध सेवा सुविधा और तकनीकी सेट-अप और उनके सेवा केंद्र के टेलीफोन नंबर और पते का भी उल्लेख करेगा। निविदाकार उस सेवा केंद्र में कर्मचारियों की संख्या और उस केंद्र पर प्रणाली के लिए पुर्जों की उपलब्धता जैसे विवरण का उल्लेख करेंगे, जहां से प्रस्तावित प्रणालियों की सेवाएं दी जाएगी।

निविदाकार एक वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद लागू सर्व-समावेशी व्यापक रखरखाव सेवा प्रदान करने के लिए अपने शुल्क भी उद्धृत करेंगे। संविदा के दायरे में एक वर्ष में त्रैमासिक अंतराल पर कम से कम चार सर्विसिंग/निवारक रखरखाव और चौबीसों घंटे ब्रेकडाउन कॉल की कोई भी संख्या शामिल होगी। निवारक अनुरक्षण में ओईएम द्वारा अनुशंसित सभी गतिविधियां

शामिल होनी चाहिए, जिनमें सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम का उन्नयन, उपकरणों की सफाई आदि शामिल हैं। निविदाकारों द्वारा यह नोट किया जा सकता है कि बैंक मानव/सामग्री/परिवहन आदि के रूप में किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेगा, और निविदाकारों को रिपोर्ट/देखे गए दोषों को ठीक करने के लिए सभी आवश्यक कलपुर्जों सहित आवश्यक कुशल जनशक्ति की प्रतिनियुक्ति के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी।

3.16 डीएलपी और सीएएमसी के दौरान कार्यक्षेत्र इस प्रकार होगा:

- (a) गारंटी अवधि के भीतर पाए जाने वाले सिस्टम/उप-असेंबली में कोई भी दोष और वार्षिक रखरखाव संविदा अवधि को मुख्य नियंत्रण कक्ष, पैनल के अंदर सभी घटकों, पुनरावर्तक पैनल डिटेक्टर, सभी स्पेयर पार्ट्स, लूप कार्ड, नियंत्रण और निगरानी मॉड्यूल, डिस्के, कीपैड, एमसीपी, हूटर सहित किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना निविदाकार द्वारा सुधार/प्रतिस्थापित किया जाएगा। प्रतिक्रिया संकेतक, पीसी, प्रिंटर और इसके कार्ट्रिज रिफिलिंग, बैटरी, एसएमपीएस, ओएस और अन्य सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस और इसके अपडेट, लाइसेंस नवीनीकरण और लूप वायरिंग/केबल, आवश्यक कोई अन्य उपभोग्य वस्तु और इसमें शामिल श्रम आदि जो स्थापित प्रणाली को स्वस्थ स्थिति में रखने के लिए आवश्यक हैं। सीएएमसी के लिए उद्धृत दरों में ऐसे सभी कारक शामिल होंगे।
- (b) डीएलपी और सीएएमसी की अवधि के दौरान, एक तिमाही में एक बार एक सक्षम, प्रशिक्षित सेवा इंजीनियर (बैंक के सुरक्षा अधिकारी के परामर्श से तैयार की गई अनुसूची के अनुसार) की प्रतिनियुक्ति करके प्रणाली का निरीक्षण और जांच की जाएगी, जिसमें ब्रेकडाउन कॉलों की किसी भी संख्या में भाग लेना शामिल है। निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार छोरों में आग/धुआं सिमुलेशन बनाकर उपकरणों की पूर्ण सर्विसिंग और सफाई
- सर्विसिंग ओईएम की सिफारिश अनुसूची के अनुसार की जाएगी।
 - बटन/डिस्के, दोष, फायर अलार्म आदि के संचालन के लिए पैनलों का सामान्य/दृश्य निरीक्षण।
 - धूल/गंदगी/कीड़ों को हटाने के लिए सभी डिटेक्टरों की सफाई और सर्वर/यूपीएस रूम आदि जैसे क्रिटिकल एरिया डिटेक्टरों सहित सभी लूप/जोन को कवर करते हुए यादृच्छिक रूप से चुने गए न्यूनतम पांच डिटेक्टरों की जांच करना।
 - बैटरियों और उनके कनेक्शनों की जांच और परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आगे की अवधि के लिए अच्छी सेवा योग्य स्थिति में हैं।
 - डिटेक्टरों (कुल स्थापित मात्रा का कम से कम 20%) का वर्ष में एक बार इसकी संवेदनशीलता के लिए परीक्षण किया जाएगा और ओईएम/आईएस कोड द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार नियमित परीक्षण किया जाएगा।
 - डिटेक्टर परीक्षण के दौरान अलार्म बजकर इमारत के सामान्य उपयोग के व्यवधान को कम करने के लिए देखभाल की जानी चाहिए। यदि परीक्षण या सर्विसिंग के लिए डिटेक्टरों को हटा दिया जाता है, तो प्रतिस्थापन डिटेक्टर प्रदान किए जाने चाहिए।
 - पैनल की पुनः स्थापना और फायर अलार्म की मुद्रित रिपोर्ट तैयार करना।
 - सुरक्षा अधिकारी को अच्छी कार्यशील स्थिति में फायर अलार्म रिपोर्ट और पैनल सौंपना।
- (c) व्यापक सेवा संविदा दर में सभी लागतों को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें निकटतम सर्विस स्टेशन से यात्रा लागत, सभी स्पेयर पार्ट्स, डिटेक्टर, लूप कार्ड, नियंत्रण और निगरानी मॉड्यूल, डिस्के, कीपैड/टच स्क्रीन, एमसीपी, हूटर, प्रतिक्रिया संकेतक, पीसी, प्रिंटर, बैटरी, एसएमपीएस, तार/केबल, सभी प्रकार के प्लास्टिक के पुर्जे और उपभोग्य सामग्रियां (जैसे, बैटरी, प्रिंटर कार्ट्रिज, एमसीपी के ग्लास/पारदर्शी कवर, फ्यूज, ओएस और अन्य सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस और इसके अपग्रेड, लाइसेंस नवीनीकरण आदि) और तत्काल प्रतिस्थापन के लिए प्रत्येक प्रकार के स्पेयर डिटेक्टरों को फिर से भरना। क्रिटिकल एरिया डिटेक्टरों जैसे सर्वर रूम/यूपीएस रूम आदि को त्रैमासिक यात्राओं के दौरान हमेशा शामिल किया जाना चाहिए और उनकी जांच की जानी चाहिए। दोषों को इंगित करने वाला उपयुक्त लॉग रजिस्टर, ब्रेकडाउन की तारीख और समय के साथ

किए गए सुधार को बनाए रखा जाना चाहिए और बैंक के सुरक्षा अधिकारी से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। बैंक गारंटी और सेवा संविदा की मुद्रा के दौरान पुरुषों/सामग्री के रूप में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा।

(d) निविदाकारों को सूचित किए गए/देखे गए दोषों को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कलपुर्जों सहित कुशल कामकों के लिए एक सहायक की प्रतिनियुक्ति के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

उद्धृत सीएएमसी दर बिना किसी वृद्धि के गारंटी/दोष देयता अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए हट और वैध रहेगी। सीएएमसी के लिए भुगतान संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर छमाही आधार पर किया जाएगा। सेवा संविदा को 1 (एक) वर्ष की प्रारंभिक दोष देयता अवधि के बाद कम से कम **7 (सात) वर्षों** की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, सिस्टम को चालू करने और उपयोग के लिए सौंपने के बाद कुल 8 साल की अवधि के लिए एक सुनिश्चित जीवन और सेवा सहायता प्रदान की जाएगी। डीएलपी की एक वर्ष की प्रारंभिक वैधता अवधि की समाप्ति के बाद और बाद के सभी वर्षों के लिए संविदा के नवीकरण के समय, नई संविदा राशि निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर प्राप्त की जाएगी।

$$A_c = A_p \{15 + 60 \times (EPI_c/EPI_p) + 25 \times (CPI_c/CPI_p)\} \times (1/100)$$

A_c चालू वर्ष के लिए संविदा राशि

A_p पिछले वर्ष के लिए संविदा राशि

EPI_c विद्युत उत्पादों के लिए ईपीसी थोक मूल्य सूचकांक चालू वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले

EPI_p विद्युत उत्पादों के लिए ईआईपी थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले

CPI_c चालू वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआईसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत)

CPI_p औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआईपी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) पिछले वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले

संविदा की अवधि के दौरान, सीएएमसी के लिए संविदा समझौते में वर्णित आवृत्ति के अनुसार सिस्टम की सेवा और रखरखाव किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सिस्टम उपकरण सामान्य रूप से और संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। नियमित रखरखाव में सभी उपकरणों की सफाई भी शामिल होगी। यदि फर्म के साथ ई-मेल या मोबाइल/टेलीफोन द्वारा शिकायत दर्ज करने पर उसे 24 घंटे के भीतर गलती को ठीक नहीं किया जाता है, तो नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित जुर्माना लगाया जाएगा और मांग किये जाने पर ठेकेदार द्वारा देय होगा या बैंक द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी बकाया राशि से वसूल किया जाएगा।

| | | सुधार समय | जुर्माना |
|-----|---|-----------|------------------------------|
| (क) | कोई भी दोष जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम पूरी तरह से विफल हो जाता है | 24 घंटे | रु.3000/- प्रति दिन |
| (ख) | स्वतंत्र उपकरणों, घटकों, केबलों में कोई भी दोष जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम की पूर्ण विफलता नहीं | 24 घंटे | रु.500/- प्रति दिन प्रति घटक |

| | | |
|------------|--|--|
| हो सकती है | | |
|------------|--|--|

3.18 निविदाओं का मूल्यांकन: -

निविदाओं का मूल्यांकन न केवल पूंजीगत लागत के आधार पर किया जाएगा, बल्कि एक वर्ष की गारंटी अवधि (यानी डीएलपी) के बाद 7 साल की अवधि के लिए पुरानी प्रणाली, व्यापक वार्षिक अनुरक्षण सेवा संविदा (सीएएमसी) के पुनर्खरीद के लिए उद्धृत दरों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए निविदाओं का मूल्यांकन कुल स्वामित्व लागत के आधार पर किया जाएगा, जो निम्नानुसार तैयार किया जाएगा।

कुल स्वामित्व लागत = निवल पूंजीगत लागत (नए उपकरणों की लागत - पुराने उपकरणों के मूल्य के प्रति छूट) + सीएएमसी के लिए एनपीवी कारक X सीएएमसी के लिए प्रति वर्ष की शुल्क।

यानी, कुल स्वामित्व लागत = शुद्ध पूंजी लागत (नए उपकरणों की लागत - पुराने उपकरणों के लिए छूट मूल्य) + 5.632 X सीएएमसी के लिए प्रति वर्ष उद्धृत लागत।

एएमसी दर डीएलपी के बाद 01 वर्ष के लिए तय की जाएगी, और उद्धृत सीएएमसी राशि का भुगतान संतोषजनक सेवाओं पर छमाही आधार पर किया जाएगा।

व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा संविदा के एनपीवी की गणना के लिए निम्नलिखित कारकों को लागू किया जाएगा:

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| (a) | वृद्धि (Escalation) | 5% प्रति वर्ष |
| (b) | छूट कारक | 8% प्रति वर्ष |
| (c) | सीएएमसी की अवधि | 7 साल (एक वर्ष की गारंटी अवधि के बाद यानी डीएलपी) |
| (d) | CAMC की भुगतान शर्तें | त्रैमासिक सेवा के संतोषजनक समापन के बाद अर्धवार्षिक भुगतान। |

3.19 पैकिंग और डिस्पैच: -

उपकरण को भारतीय परिस्थितियों में समुद्र/वायु/रेल/सड़क मार्ग से बक्सों में ठीक से और सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा और परिवहन किया जाएगा। सभी उपकरण/घटक बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, पटना में सुपूँर्द किए जाएंगे।

3.20 संविदा करार पर हस्ताक्षर: -

- निविदाकारों को सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें, यहां पहले संविदा की शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं और निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न चित्र, बैंक और निविदाकार के बीच आदान-प्रदान किए गए बाद के पत्राचार, और रखा गया कार्य आदेश सफल निविदाकार के साथ दर्ज किए जाने वाले अंतिम संविदा का आधार होगा।
- निविदाकार इसके साथ संविदा की सामान्य शर्तों में दिए गए नियमों और शर्तों के माध्यम से जाएगा और उसका प्रस्ताव उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप सख्ती से होगा। निर्दिष्ट नियमों और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि वह संविदा की सामान्य शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं आदि को पढ़ और समझ लिए हों।
- एक फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित संविदा में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है। अन्यथा, निविदा अस्वीकार की जा सकती

है।

- d) बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकार संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर, सफल निविदाकार मसौदा करार के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। करार पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी करार का गठन करेगी, चाहे ऐसा संविदा बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।
- e) ठेकेदार संविदा नहीं सौंपेगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के अलावा संविदा के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता ठेकेदार को संविदा को रद्द करने के लिए लिखित रूप में एक सूचना दे सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के विरुद्ध अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता द्वारा सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।

3.21 भाषा

चित्र, दस्तावेजों, कैटलॉग आदि में सभी लेबल सहित निविदा अंग्रेजी में होगी।

3.22 आंशिक निविदा स्वीकार करने का अधिकार

बैंक निविदाकार द्वारा उद्धृत समान कीमतों पर या तो पूर्ण या आंशिक रूप से निविदा स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.23 आयात लाइसेंस

यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस निविदाकार द्वारा प्राप्त किया जाएगा। आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने / भुगतान किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज/शुल्क निविदाकार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

3.24 विशिष्टताओं का पालन

ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के विस्तृत विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार सभी कार्यों को सख्ती से पूरा करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर की राय में साइट की स्थिति के अनुरूप नाममात्र परिवर्तन किए जाने हैं और नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा।

3.25 कार्यस्थल से परिचय

निविदाकार को अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्च पर, सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा बनाने के उद्देश्य से और संविदा में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हो सकती है और कार्य स्थल की जांच करनी चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, और सभी स्थानीय परिस्थितियों कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामले में काम तक पहुंच के साधनों से खुद को परिचित करना चाहिए। ऐसे मामलों में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा।

3.26 मात्राओं की अनुसूची

प्रत्येक कार्य के संबंध में संभावित मात्रा की एक अनुसूची और विनिर्देश इन विशेष शर्तों के साथ होते हैं। संभावित मात्रा की अनुसूची नियोक्ता के विवेक पर चूक, कटौती या परिवर्धन द्वारा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक निविदा में न केवल दरें होनी चाहिए, बल्कि एक अलग कॉलम में दर्ज किए गए कार्य के प्रत्येक वस्तु का मूल्य भी होना चाहिए, और संपूर्ण निविदा के कुल मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए सभी वस्तुओं के मूल्यों का कुल योग किया जाना चाहिए।

3.27 किसी भी मुआवजे के लिए हकदार नहीं

ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में विलंब के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे विलंब का कारण जो भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे जुड़े किसी उप-संविदा में उत्पन्न होने वाली देरी या परियोजना के अन्य ट्रेडों के लिए ठेके देने में या ऐसे कार्यों को शुरू करने या पूरा करने में देरी शामिल है। नियोक्ता निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए देयता स्वीकार नहीं करता है, केवल इस तरह के परिवर्तनों के अधीन जो यहां प्रदान किये गये हैं।

3.28 काम की सभी वस्तुओं को ले जाने के लिए बाध्य

सफल निविदाकार कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य की सभी मदों को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही ऐसी वस्तुओं को मात्रा और दरों में शामिल नहीं किया गया हो। ऐसी अतिरिक्त मदों और उनकी मात्रा के संबंध में अनुदेश की अनुसूची बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकार के हस्ताक्षर और मुहर

सुरक्षा कोड

1. स्वच्छ पट्टियाँ और रुई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा।
2. ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो, घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा।
3. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।
4. किसी भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई की गई सामग्री को खाई के किनारे के 1.5 मीटर या खाई की गहराई के आधे हिस्से, जो भी अधिक हो, के भीतर नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और खुदाई को आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई दी जाएगी।
6. किसी भवन या प्लेटफॉर्म की छत के हर खुले हिस्से को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी, लगाकर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएंगे।
7. संरचना के किसी भी फर्श, छत या अन्य हिस्से को मलबे या सामग्री से इतना अधिक नहीं भरना चाहिए कि यह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट, मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
9. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
10. पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप को छोड़कर सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।
11. पेंट करने वाले श्रमिकों के उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क की आपूर्ति की जानी चाहिए।
12. काम में उपयोग की जाने वाली उत्पादन मशीनें और टैकल, उनके सहायक भाग, ऐंकरेज और सपोर्ट सहित निश्चित स्थिति में होंगे।
13. सामग्री को फैलाने या कम करने या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत की होंगी और दोषों से मुक्त होंगी।

स्थान:

दिनांक:

मुहर सहित निविदाकार के हस्ताक्षर

अग्नि सुरक्षा कोड

1. साइट पर उपयोग की जाने वाली कटिंग / ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत संचालित उपकरणों को सही ढंग से रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाएगा।
2. केवल आईएसआई मार्क वाले 3 पिन प्लग और अन्य उपकरणों और औजारों का उपयोग किया जाएगा।
3. उपयोग किए गए इलेक्ट्रिकल पावर केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उन्हें ठीक से रेट किया जाना चाहिए।
4. सभी विद्युत उपकरणों यानी वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को ऑपरेशन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थ किया जाएगा।
5. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाएगा और अग्निशामन अधिकारियों/कर्मियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।
6. साइट पर आसानी से सुलभ क्षेत्र में दो बाल्टी पानी और रेत रखी जाएगी।
7. अग्निशामन अधिकारियों द्वारा अनुशंसित और जारी किए गए अग्निशामक यंत्रों को साइट पर रखा जाएगा।
8. इस्तेमाल हो चुके पेंट के ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा।
9. व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए ठेकेदार द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, दस्ताने, वेल्डर मास्क, ईयर प्लग आदि श्रमिकों को प्रदान किए जाएंगे।
10. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और जमीनी स्तर से 10' से अधिक ऊंचाई से काम करते समय श्रमिकों द्वारा उपयोग किया जाएगा।
11. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
12. सीढ़ियों के दोनों दरवाजे सामान्यतः बंद रखे जाएंगे।
13. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्दिष्ट स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
14. उपकरण उपयोग में न होने पर बिजली की आपूर्ति मेन स्विच से बंद कर दी जाएगी।
15. काम से उत्पन्न लकड़ी की छीलन और बुरादे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
16. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
17. ठेकेदार द्वारा कार्यालय समय से परे काम करते समय श्रमिकों को बैटरी संचालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च प्रदान की जाएगी।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकार के हस्ताक्षर और मुहर

खंड - IV
इसके बाद संदर्भित शर्तें

4.1 व्याख्या खंड

1. इन नियम और शर्तों, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और संविदा करार की व्याख्या करते समय, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इसमें निर्दिष्ट किया गया है, सिवाय उन स्थितियों के जहां विषय या संदर्भ की अन्यथा अपेक्षा हो।

| | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| (a) | "नियोक्ता" | इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक होगा और इसमें उसके समनुदेशिनी और उत्तराधिकारी शामिल होंगे। |
| (b) | "ठेकेदार" (साझेदारी मामले में) | "ठेकेदार" का मतलब _____ और _____ होगा जो----- ----- के नाम और शैली में व्यापार कर रहे हैं और उनके व्यवसाय का स्थान _____ में है और इसमें उस समय उक्त फर्म के सभी साझेदार और किसी मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे। |
| | (व्यक्ति के मामले में) | "ठेकेदार" का मतलब होगा श्री _____ जो ----- के नाम और शैली में व्यापार कर रहे हैं और इसमें उनके वारिस, उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे। |
| | (कम्पनी के मामले में) | "ठेकेदार" का मतलब होगा _____ जो के तहत निगमित एक कम्पनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय में है और इसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे। |
| (c) | "साइट" | साइट का अर्थ संविदा के कार्यों का स्थान होगा, जिसमें किसी भी इमारत और उस पर निर्माण शामिल हैं, और नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के उपयोग के लिए आवंटित अन्य किसी भी भूमि (सहित) जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। |
| (d) | "यह संविदा" | यह करार, शर्तें, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्राओं और विनिर्देशों की सूची आदि को संदर्भित करेगा जो इसके साथ संलग्न हैं और उचित रूप से हस्ताक्षरित हैं। |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| (e) | "बैंक के इंजीनियर" | <p>"शब्द "बैंक के अभियंता" का अर्थ वह व्यक्ति होगा जिसे नियोक्ता द्वारा नियुक्त किया गया हो तथा जिसे नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता हो, जो कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त हो। ठेकेदार बैंक के अभियंता को कार्यों एवं सामग्री के निरीक्षण तथा समय एवं सामग्री की जाँच एवं मापन हेतु प्रत्येक सुविधा एवं सहायता प्रदान करेगा। बैंक के अभियंता या बैंक का कोई भी प्रतिनिधि संविदा की किसी भी आवश्यकता को रद्द, परिवर्तित, विस्तृत या ढीला करने या किसी दैनिक कार्य, अतिरिक्त कार्य, परिवर्तन, विचलन, अनुपस्थिति या किसी भी अतिरिक्त कार्य को स्वीकृति देने का अधिकार नहीं रखेगा, सिवाय इसके कि ऐसा अधिकार बैंक के अभियंता द्वारा लिखित आदेश द्वारा विशेष रूप से प्रदान किया जाए, जिसके लिए नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति आवश्यक होगी। बैंक के अभियंता या बैंक का कोई भी प्रतिनिधि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री के अनुमोदन के अभाव की सूचना देने का अधिकार रखेगा तथा ऐसा कार्य निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री के उपयोग को बंद कर दिया जाएगा। कार्य कभी-कभी बैंक के अभियंता/बैंक के प्रतिनिधि द्वारा जाँचा जाएगा, किंतु ऐसी जाँच ठेकेदार को कार्य के किसी भी चरण में या उसके पूर्ण होने के पश्चात् पाए जाने वाले किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से किसी भी रूप में मुक्त नहीं करेगी। इस धारा की सीमा के अधीन, ठेकेदार केवल बैंक के अभियंता से निर्देश लेगा।</p> |
| (f) | "लिखित सूचना" | <p>लिखित सूचना का अर्थ होगा लिखित, टाइप किए गए या मुद्रित अक्षरों में दी गई सूचना, जो (व्यक्तिगत रूप से सौंपी गई हो या अन्यथा प्राप्त होने का प्रमाण दिया गया हो) पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते पर भेजी जाएगी, जिसे सामान्य डाक प्रक्रिया के अनुसार पहुंचाया जाता है।</p> |
| (g) | "दिवालियापन का कृत्य" | <p>दिवालियापन की कार्यवाही का अर्थ होगा दिवालियापन की कोई भी कार्यवाही, जैसा कि प्रेसीडेंसी टाउन्स दिवालियापन अधिनियम या प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम या ऐसे मूल अधिनियमों में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया हो।</p> |

| | | |
|-----|---------------|---|
| (h) | “निवल कीमतें” | यदि संविदा राशि निर्धारित करते समय, ठेकेदार ने निविदा में वस्तुओं के कुल योग में किसी राशि को प्रतिशत या अन्य रूप से जोड़ा या घटाया है, तो निविदा में किसी भी वस्तु की शुद्ध कीमत उस राशि के बराबर होगी जो उस वस्तु की कीमत के रूप में निविदा में दर्शाए गए वास्तविक आंकड़े में ठेकेदार द्वारा जोड़ी या घटाई गई राशि के समान प्रतिशत या अनुपात को जोड़कर या घटाकर प्राप्त की जाए। किसी भी प्राइम कॉस्ट वस्तुओं और अनुमानित धनराशियों की कुल राशि निविदा की कुल राशि से घटाई जाएगी। संविदा या लेखा संदर्भ में “शुद्ध दरें” या “शुद्ध कीमतें” का अर्थ ऐसी दरों या कीमतों से होगा जो उपर्युक्त तरीके से निर्धारित की गई हों। |
| (i) | “कार्य” | कार्य का मतलब आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) होगा, जैसा कि यहाँ दिया गया है। |

आयातकर्ता व्यक्ति शब्द में फर्म और निगम भी शामिल हैं। संदर्भ की अपेक्षानुसार इसमें एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

4.2 संविदा का दायरा

ठेकेदार उक्त कार्य को इस संविदा के अनुसार तथा बैंक/नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार एवं उनकी संतुष्टि के अनुरूप प्रत्येक संबंध में पूरा करेगा। नियोक्ता निम्नलिखित के संबंध में अपने पूर्ण विवेकाधिकार से और समय-समय पर लिखित निर्देश, विवरण, दिशानिर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें आगे इस दस्तावेज में सामूहिक रूप से “नियोक्ता के अनुदेश” कहा जाएगा :

- (a) कार्यों के डिजाइन, गुणवत्ता या मात्रा में परिवर्तन या संशोधन अथवा किसी भी कार्य को जोड़ना, छोड़ना या प्रतिस्थापित करना।
- (b) ठेकेदार द्वारा स्थल पर लाए गए किसी भी सामग्री को स्थल से हटाना तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन करना।
- (c) ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनर्निष्पादन करना।
- (d) कार्य पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को कार्य से हटाना।
- (e) इस संविदा के खंड 4.17 के अंतर्गत किसी भी दोष को सुधारना तथा उसे ठीक करना।

ठेकेदार तत्काल ऐसे नियोक्ता के निर्देशों में सम्मिलित किसी भी कार्य का पालन करेगा तथा उसका उचित निष्पादन करेगा, बशर्ते कि यदि नियोक्ता द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को कार्य स्थल पर दिए गए मौखिक निर्देश, दिशानिर्देश एवं स्पष्टीकरण में कोई परिवर्तन शामिल हो, तो ठेकेदार द्वारा उन्हें सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाए, और यदि नियोक्ता द्वारा उनसे सात अतिरिक्त दिनों के भीतर लिखित रूप से असहमति नहीं जताई जाती है, तो ऐसे निर्देशों को संविदा के दायरे के भीतर नियोक्ता

के निर्देश माना जाएगा।

4.3 परिवर्तन नियोक्ता द्वारा अनुमोदित होंगे

ठेकेदार को परिवर्तनों का एक विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें मात्रा एवं दरें उचित रूप से दरों के विश्लेषण, वाउचर आदि से समर्थित हों। नियोक्ता द्वारा समीक्षा एवं अंतिम स्वीकृति के बाद ये दरें एक पूरक निविदा का रूप लेंगी। जब तक ये विवरण नियोक्ता द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाते, तब तक नियोक्ता ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4.4 मात्रा अनुसूची और करार

संविदा तीन प्रतियों में निष्पादित की जाएगी तथा ठेकेदार को अपने उपयोग हेतु एक निष्पादित प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठेकेदार को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व, वह बैंक के विनिर्देश नियोक्ता को तुरंत लौटा देगा।

4.5 सभी आवश्यक चीजें ठेकेदार अपनी लागत पर उपलब्ध कराएगा

ठेकेदार अपने खर्च पर, मात्राओं की अनुसूची तथा विनिर्देशों के उद्देश्य एवं अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन हेतु आवश्यक सभी वस्तुएं प्रदान करेगा, चाहे वे विशेष रूप से उनमें दर्शाई गई हों या न हों, बशर्ते कि उनका तर्कसंगत रूप से अनुमान लगाया जा सके।

4.6 प्राधिकार, नोटिस और पेटेंट

4.6.1 ठेकेदार को कार्य से संबंधित किसी भी कानून, किसी भी प्राधिकरण के नियमों एवं उप-नियमों, तथा विद्युत आपूर्ति एवं अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों के नियमों के अनुरूप कार्य करना होगा, जिनकी प्रणालियों से स्थापना का जुड़ना प्रस्तावित है। इस अनुरूपता के कारण अरेखों या विनिर्देशों में किसी भी परिवर्तन करने से पूर्व, वह नियोक्ता को लिखित सूचना देगा, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन एवं उसे करने का कारण विशिष्ट रूप से बताया जाएगा, तथा इस संबंध में निर्देशों के लिए आवेदन करेगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह संबंधित प्रावधानों, नियमों या उप-नियमों के अनुरूप कार्य जारी रखेगा, तथा इस प्रकार आवश्यक परिवर्तनों का निपटान उसके खंड संख्या 4.13 के अंतर्गत किया जाएगा।

4.6.2 ठेकेदार को उक्त अधिनियमों, नियमों या उप-नियमों द्वारा किसी भी प्राधिकारी को देने के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं को नियोक्ता के ध्यान में लाना होगा तथा कार्यों के संबंध में उचित रूप से वसूल की जाने वाली सभी शुल्कों का भुगतान उस प्राधिकरण या किसी भी सार्वजनिक कार्यालय को करना होगा तथा पावती नियोक्ता के पास जमा करना होगा।

4.6.3 ठेकेदार को अधिकारों के संबंध में उठने वाले सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करनी होगी, तथा ऐसे दावों से उत्पन्न सभी कार्यवाहियों का बचाव करना होगा, एवं स्वयं उन सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, क्षतिपूर्ति, लागत एवं शुल्कों का भुगतान करना होगा जो इस संबंध में कानूनी रूप से हो सकते हैं।

4.7 कार्य का निर्धारण

ठेकेदार कार्यों का निर्धारण करेगा तथा उसके सही एवं पूर्ण निर्धारण तथा सभी भागों की स्थितियों, स्तरों, आयामों और संरेखण के सही होने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्यों की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि के भीतर कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ठेकेदार, यदि ऐसा अपेक्षित हो, अपने व्यय पर, नियोक्ता की संतुष्टि के लिए ऐसी त्रुटि को दूर करेगा।

4.8 सामग्री और कारीगरी विवरणों के अनुसार हो

जहां तक संभव हो, सभी सामग्री और श्रम उन विशिष्ट प्रकारों की होंगी जो मात्राओं की अनुसूची और/या विनिर्देशों में वर्णित हैं तथा नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार होंगी, और ठेकेदार नियोक्ता के अनुरोध पर उसे सभी चालान, खाता प्राप्ति और अन्य वाउचर प्रदान करेगा जिनसे सिद्ध हो सके कि सामग्री उनके अनुरूप है। ठेकेदार अपने व्यय पर नियोक्ता द्वारा अपेक्षित किसी भी सामग्री के किसी भी परीक्षण की व्यवस्था करेगा और/या कराएगा।

4.9 कार्य पर ठेकेदार का अधीक्षण और प्रतिनिधित्व

ठेकेदार कार्यों के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण प्रदान करेगा, और इसके बाद भी उतनी अवधि तक जब तक नियोक्ता आवश्यक समझे, जब तक कि इस परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" समाप्त न हो जाए। ठेकेदार कार्यों के पूरे समय तक एक योग्य प्रतिनिधि की नियुक्ति करेगा जो कार्यरत श्रमिकों के कार्य के दौरान सदैव कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा। नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, आदेश या सूचनाएं, ठेकेदार को दी गई मानी जाएंगी।

4.10 मजदूरों को कार्य से हटाना

नियोक्ता के अनुरोध पर, ठेकेदार तुरंत उन सभी व्यक्तियों को कार्य से हटा देगा जिन्हें वह अपने द्वारा कार्य पर नियुक्त करे, और जो नियोक्ता की राय में अयोग्य हों या अनुचित आचरण करें; और ऐसे व्यक्तियों को नियोक्ता की अनुमति के बिना पुनः कार्य पर नहीं रखा जाएगा।

4.11 सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी)

शब्द "सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)" का अर्थ वह व्यक्ति होगा जिसे नियोक्ता द्वारा नियुक्त एवं वेतन दिया जाएगा ताकि वह कार्यों का निरीक्षण कर सके; ठेकेदार सहायक प्रबंधक को कार्यों एवं सामग्री के निरीक्षण तथा समय एवं सामग्री की जांच एवं मापन के लिए सभी सुविधाएं एवं सहायता प्रदान करेगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) को कार्यों का निर्धारण करने या संविदा की किसी भी आवश्यकता को रद्द करने, परिवर्तित करने, विस्तारित करने या उसमें ढील देने या किसी भी कार्य, अतिरिक्त कार्य, परिवर्तन, विचलन या विलोपित कार्यों की स्वीकृति देने का अधिकार होगा, सिवाय उन मामलों के जहां ऐसा अधिकार लिखित आदेश द्वारा विशेष रूप से प्रदान किया गया हो तथा जिसके लिए नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति आवश्यक हो।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) या नियोक्ता को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री की अस्वीकृति के संबंध में सूचना देने का अधिकार होगा, तथा ऐसे कार्य को सहायक प्रबंधक/प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा निलंबित किया जाएगा या ऐसी सामग्री के उपयोग को बंद कर दिया जाएगा; किंतु ऐसा निरीक्षण ठेकेदार को किसी भी चरण पर या कार्य पूर्ण होने के बाद पाए जाने वाले किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से किसी भी तरह मुक्त नहीं करेगा।

4.12 मात्रा अनुसूची

मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, मानक मापन विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

मात्राओं की अनुसूची में वर्णन, मात्रा या वस्तुओं के विलोपन में कोई भी त्रुटि इस संविदा को अवैध नहीं बनाएगी, बल्कि उसे सुधारा जाएगा तथा इसका मूल्य, जैसा कि इस संविदा के खंड 4.15 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, संविदा राशि में जोड़ा जाएगा या उससे घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में किसी भी त्रुटि का सुधार न किया जाए।

4.13 मात्रा अनुसूची की पर्याप्तता

ठेकेदार को निविदा देने से पूर्व यह माना जाएगा कि उसने कार्यों के लिए अपनी निविदा के सही होने एवं पर्याप्तता तथा मात्राओं की अनुसूची और/या दरों एवं कीमतों की अनुसूची में वर्णित दरों एवं कीमतों की जांच कर ली है, जो दरें एवं कीमतें संविदा के अंतर्गत उसके सभी दायित्वों तथा कार्यों के उचित सम्पन्न होने के लिए आवश्यक सभी मामलों एवं वस्तुओं को शामिल करेंगी।

4.14 कार्य का मापन (कम्प्यूटरीकृत माप पत्रक) - अनुलग्नक

4.14.1 सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) समय-समय पर ठेकेदार तथा नियोक्ता को सूचित कर सकते हैं कि वे कार्यों के मापन की आवश्यकता महसूस करते हैं, और ठेकेदार तुरंत उपस्थित होगा या एक योग्य एजेंट को भेजेगा जो सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) को ऐसे मापन एवं गणनाओं में सहायता प्रदान करेगा तथा उनके द्वारा अपेक्षित सभी विवरण प्रदान करेगा या सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

4.14.1 यदि ठेकेदार उपस्थित न हो या ऐसे एजेंट को भेजने में लापरवाही या उपेक्षा करे, तो सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा लिए गए मापन को कार्यों के सही मापन माना जाएगा। ऐसे मापन विनिर्देशों में विस्तार से वर्णित मापन विधि के अनुसार लिए जाएंगे।

4.14.2 ठेकेदार या उसके एजेंट माप लिए जाने के समय ऐसे नोट्स ले सकते हैं जैसी उन्हें आवश्यकता हो।

4.15 अतिरिक्त इत्यादि के लिए कीमतें सुनिश्चित करना

4.15.1 ठेकेदार, जब नियोक्ता द्वारा अधिकृत हो, तो चित्रों पर दर्शाए गए, या विनिर्देश में वर्णित, या मात्राओं की अनुसूची में सम्मिलित कार्यों में जोड़, विलोपन या परिवर्तन कर सकता है, किंतु ठेकेदार ऐसी अधिकृति या निर्देश के बिना कोई जोड़, हटाव या परिवर्तन नहीं करेगा। नियोक्ता द्वारा मौखिक अधिकृति या निर्देश, यदि उसके द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि किया जाता है, तो लिखित रूप से दिया गया माना जाएगा।

4.15.2 किसी भी अतिरिक्त के लिए कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वह इस संविदा के खंड 4.5 के प्रावधानों के अंतर्गत, नियोक्ता की सहमति से, जैसा कि यहाँ उल्लिखित है, पूर्ण नहीं किया गया है। ऐसे किसी भी अतिरिक्त को यहाँ "अधिकृत अतिरिक्त" कहा गया है तथा इसे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

| | | |
|-----|------|--|
| (क) | (i) | मूल निविदा में निर्धारित शुद्ध दरें या कीमतें उस अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगी, जहाँ ऐसा अतिरिक्त कार्य उसी प्रकृति का हो तथा उन्हीं समान परिस्थितियों में सम्पन्न किया गया हो जिनमें उसमें मूल्यांकित कार्य किया गया है। |
| | (ii) | सभी वस्तुओं के लिए दरें, जहाँ भी संभव हो, मूल्यांकित मात्राओं की अनुसूची में दी गई दरों से निर्धारित की जानी चाहिए। |
| (ख) | | मूल निविदा की शुद्ध कीमतें उन वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करेंगी जो हटा दी गई हैं, बशर्ते कि यदि हटाए गए वस्तुओं के कारण शेष कार्यों के संपादन की परिस्थितियों में परिवर्तन हो, तो उनके लिए कीमतें इस संविदा के उप-धारा (c) के अंतर्गत मूल्यांकित की जाएँगी। |
| (ग) | | जहाँ अतिरिक्त कार्य उपरोक्तानुसार समान प्रकृति के नहीं हैं और/ या समान परिस्थितियों में सम्पन्न नहीं किए गए हैं, या जहाँ हटाए गए वस्तुओं के कारण शेष कार्यों के संपादन की परिस्थितियों में परिवर्तन हो, या यदि किसी हटाए गए या जोड़े गए वस्तु की राशि, संविदा कार्य की कुल राशि या उसके किसी भाग के सापेक्ष ऐसी हो कि नियोक्ता की राय में, मूल्यांकित मात्राओं की अनुसूची या निविदा में निर्दिष्ट शुद्ध दर या कीमत, या कार्य के किसी वस्तु के लिए, ठेकेदार द्वारा यथार्थतः आशंकित नुकसान या व्यय से अधिक हो जाती है, या ऐसे विलोपन या जोड़ के कारण अनुचित या अप्रयोज्य हो जाती है, तो नियोक्ता ऐसी अन्य दर या कीमत निर्धारित करेगा जो परिस्थितियों के अनुसार उसकी राय में उचित एवं उपयुक्त हो। |

| | |
|---|---|
| (घ) | जहाँ अतिरिक्त कार्य को उचित रूप से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, वहाँ ठेकेदार को जिले के स्थानीय दैनिक कार्य दरों एवं मजदूरी के अनुसार शुद्ध दरों पर दैनिक कार्य की कीमतें दी जाएँगी, बशर्ते कि इसके लिए दैनिक समय तथा उपयोग किए गए सामग्री का विवरण वाले वाउचर, कार्य के सम्पादन के बाद के सप्ताह के अंत तक या उससे पहले बैंक के नियोक्ता को सत्यापन हेतु सौंपे जाएँ। |
| संविदा के संबंध में मापन और मूल्यांकन परिशिष्ट में उल्लिखित "अंतिम मापन अवधि" के भीतर पूर्ण किया जाएगा। | |

4.16 **बची हुई सामग्री जिसे लेखे में लिया गया है. नियोक्ता की सम्पत्ति होगी**

जहाँ किसी प्रमाणपत्र (जिसके लिए ठेकेदार ने भुगतान प्राप्त किया है) में नियोक्ता ने किसी अस्थिर सामग्री के मूल्य को शामिल किया है, जो कार्यों के लिए और/या कार्यों पर या उनके निकट स्थापित की गई है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपदा बन जाएगी और उन्हें नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना कार्यों पर उपयोग के अलावा हटाया नहीं जा सकता। ठेकेदार ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

4.17 **अनुचित कार्य को हटाया जाना**

कार्य के दौरान, नियोक्ता को लिखित रूप से समय-समय पर आदेश देने का विशेषाधिकार होगा कि ऐसी सभी सामग्री को, जो नियोक्ता की राय में विनिर्देश या नियोक्ता के निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, आदेश में निर्दिष्ट उचित समय या समयों के भीतर कार्य से हटा दिया जाए, उचित सामग्री से प्रतिस्थापन किया जाए, तथा चित्रों और विनिर्देश या निर्देश के अनुरूप नहीं होने वाली सामग्री या कार्यकुशलता से किए गए किसी भी कार्य को हटाकर उचित रूप से पुनर्निष्पादित किया जाए, और ठेकेदार को तत्काल अपने खर्च पर ऐसे आदेश का पालन करना होगा। ठेकेदार द्वारा ऐसे आदेश का पालन न करने की स्थिति में, नियोक्ता को अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने और उन्हें भुगतान करने का अधिकार होगा ताकि वे उसी कार्य को पूरा कर सकें, तथा इससे उत्पन्न या इससे संबंधित सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएँगे, या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय या भविष्य में देय होने वाली किसी भी राशि से काटे जा सकते हैं।

4.18 **वास्तविक पूर्णता के बाद की कमियाँ**

परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" के भीतर, प्रणाली के चालू होने / सौंपे जाने की तिथि से 12 महीने के भीतर, यदि नियोक्ता की राय में संविदा के अनुसार न होने वाली सामग्री या कार्यकलाप के कारण कोई दोष, सिकुड़न, बैठना या अन्य त्रुटियाँ दिखाई देती हैं, तो नियोक्ता के लिखित निर्देशों और उसमें निर्दिष्ट उचित समय के भीतर, ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर उन्हें सुधारा और ठीक किया जाएगा। यदि ठेकेदार ऐसा नहीं करता है, तो नियोक्ता अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है ताकि ऐसे दोषों, अन्य त्रुटियों को सुधारा जा सके, और इससे उत्पन्न या इसके संबंधित सभी क्षति, हानि और व्यय ठेकेदार द्वारा ठीक किए जाएँगे और वहन किए जाएँगे, और ऐसी क्षति, हानि और व्यय नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से वसूल किए जा सकते हैं या ठेकेदार को देय या भविष्य में देय किसी भी धनराशि से नियोक्ता द्वारा काटे जा सकते हैं, या नियोक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसे सुधार और ठीक करने के स्थान पर ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से एक राशि काट सकता है, जो नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाएगी और जो ऐसे कार्य को सुधारने की लागत के बराबर होगी। ठेकेदार इस खंड के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरदायी रहेगा, भले ही नियोक्ता द्वारा किसी प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए गए हों या किसी लेखा को पारित किया गया हो।

4.19 वास्तविक पूर्णता प्रमाण पत्र और दोष दायित्व अवधि

कार्यों को पूर्ण माना नहीं जाएगा जब तक कि नियोक्ता लिखित रूप से प्रमाणित नहीं कर देता कि वे वास्तव में पूर्ण हो चुके हैं। दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाणपत्र की तिथि से प्रारंभ होगी।

4.20 व्यक्ति और संपदा को हुए नुकसान के संबंध में बीमा

- 4.20.1 ठेकेदार इस संविदा के कार्यान्वयन से किसी भी तरह से संबंधित कार्य, लापरवाही, दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं को होने वाली सभी चोटों तथा संपदा को होने वाली सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे यह चोट या क्षति उसके स्वयं, किसी नामित उप-ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी या दोनों के कार्य या लापरवाही से उत्पन्न हो। इस खंड में इस बात को शामिल माना जाएगा कि इसके अंतर्गत बिल्कुल बगल के भवनों सहित अन्य भवनों को होने वाली कोई भी क्षति, सड़कों, गलियों, पैदल मार्गों, पुलों या मार्गों को होने वाली कोई भी क्षति, तथा इस संविदा के विषय बनाने वाली इमारतों और कार्यों को कोहरे, बारिश, हवा या मौसम की अन्य कठोरताओं से होने वाली सभी क्षतियाँ शामिल हैं। ठेकेदार नियोक्ता को ऐसी चोट या क्षति से उत्पन्न सभी व्ययों तथा किसी भी कानून के किसी अधिनियम के तहत की गई किसी भी मांग या ऐसी मांग के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति या हर्जाना के निर्णय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिमुक्त रखेगा।
- 4.20.2 ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार की क्षति को पुनर्स्थापित करेगा, ताकि संविदा कार्य को हर प्रकार से पूर्ण एवं अद्यतन अवस्था में सौंपा जा सके तथा तृतीय पक्षों की संपदा को हुई क्षति के संबंध में सभी दावों को पूरा किया जा सके या अन्यथा संतुष्ट किया जा सके। ठेकेदार द्वारा तृतीय पक्ष दायित्व को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी ली जाएगी, जो मानव जीवन के नुकसान/अक्षमता (ठेकेदार से संबंधित नहीं होने वाले व्यक्तियों) को कवर करेगी। यह पॉलिसी निर्माण/स्थापना/कमीशनिंग के दौरान साइट पर उक्त संविदा कार्य के संबंध में अन्य व्यक्तियों के सामग्री/उपकरण/संपदा को हुई क्षति के जोखिम को भी कवर करेगी, जिसमें यदि कोई हो तो बैंकों की संपदा भी शामिल है। मानव जीवन के नुकसान या पूर्ण/आंशिक अक्षमता के लिए तृतीय पक्ष दायित्व का मूल्य, पूर्ण एवं आंशिक अक्षमता के लिए आवश्यक वैधानिक मूल्य होगा तथा फिर भी यह ऐसी क्षतिपूर्ति को कवर करेगा जो किसी न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। अन्य व्यक्तियों के उपकरण/संपदा को हुए क्षति के लिए कवर बैंक द्वारा स्वीकृत होगा। ठेकेदार के उप-ठेकेदार पॉलिसी के धारक या लाभार्थी नहीं होंगे और न ही उन्हें पॉलिसी में नामित किया जाएगा। बैंक, ठेकेदार के साथ, पॉलिसी का प्रमुख धारक होगा। बैंक के पास पॉलिसी को समनुदेशित करने का अनन्य अधिकार सुरक्षित है।
- 4.20.3 ठेकेदार, निर्माण कार्य से संबंधित या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी बात के संबंध में सार्वजनिक या किसी अन्य तृतीय पक्ष द्वारा नियोक्ता के विरुद्ध किए जाने वाले सभी दावों के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देगा तथा अपने व्यय पर, संविदा के वास्तविक पूर्णता तक, एक स्वीकृत कार्यालय के साथ नियोक्ता एवं ठेकेदार के संयुक्त नामों पर ऐसे जोखिमों के विरुद्ध बीमा पॉलिसी लेगा एवं बनाए रखेगा तथा इस संविदा की वैधता अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी नियोक्ता को जमा करेगा। ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम या इस संविदा की वैधता अवधि के दौरान लागू किसी अन्य विधि या सामान्य कानून के तहत नियोक्ता पर किए जाने वाले सभी दावों के लिए भी नियोक्ता को समान रूप से क्षतिपूर्ति देगा तथा अपने व्यय पर, संविदा की वास्तविक पूर्णता तक, एक स्वीकृत कार्यालय के साथ नियोक्ता एवं ठेकेदार के संयुक्त नामों पर ऐसे जोखिमों के विरुद्ध बीमा पॉलिसी लेगा एवं बनाए रखेगा तथा इस संविदा की वैधता अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी नियोक्ता के पास जमा करेगा।
- 4.20.4 ठेकेदार, उपर्युक्त उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर छोड़े गए किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस संविदा के लापरवाह या दोषपूर्ण निष्पादन के कारण उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपदा को हुए सभी अन्य क्षतियों के लिए भी उत्तरदायी होगा। वह इसके अलावा, किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के संबंध में तथा उनसे उत्पन्न किसी भी क्षतिपूर्ति या क्षति के आदेश के संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति

देगा।

4.20.5 नियोक्ता, ऐसे किसी दावे या क्षति से उत्पन्न या उसके संबंध में उत्पन्न किसी भी क्षति, क्षतिपूर्ति, लागत, शुल्क एवं व्यय की राशि को, इससे नियोक्ता के उस संबंध में अन्य अधिकारों को प्रभावित किए बिना, ठेकेदार को देय या भविष्य में देय होने वाली किसी भी या सभी राशियों से काटने का अधिकार रखेगा। ठेकेदार, अपने व्यय पर, स्वीकृत कार्यालय के साथ, संविदा के वास्तविक पूर्णता तक, निम्नलिखित बीमा पॉलिसी लेगा एवं बनाए रखेगा, जो नियोक्ता एवं उसके स्वयं के संयुक्त नाम पर होगी, जिसमें नियोक्ता प्रथम (मुख्य) होगा, तथा इस संविदा की वैधता अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ नियोक्ता के पास जमा करेगा।

1. संविदा की कुल राशि के लिए परिवहन, भंडारण, संस्थापन, परीक्षण और कमीशनिंग पॉलिसी (सी.ए.आर. पॉलिसी)
2. कर्मकार प्रतिकर पॉलिसी
3. "ठेकेदार के समस्त जोखिम पॉलिसी" में तृतीय पक्ष देयता न्यूनतम 5.00 लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना और सम्पत्ति के नुकसान के संबंध में 10.00 लाख रुपये प्रति घटना होगी।

4.21 आग से होने वाले नुकसान का बीमा

- (a) ठेकेदार अपनी लागत पर कार्यों का बीमा कराएगा तथा कार्य की वास्तविक पूर्णता तक उन्हें बीमित रखेगा, आग के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के विरुद्ध, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में (पॉलिसी में पूर्ववर्ती का नाम पहले आएगा), संविदा की पूर्ण राशि और यदि नियोक्ता द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए तो किसी अतिरिक्त राशि के लिए, ऐसी अतिरिक्त राशि का प्रीमियम ठेकेदार को एक अधिकृत अतिरिक्त के रूप में दिया जाएगा। ऐसी पॉलिसी केवल नियोक्ता की संपदा को कवर करेगी तथा दावे के मूल्यांकन और पुनर्स्थापन में उनकी सेवाओं से संबंधित नियोक्ता और सर्वेक्षक की फीस को भी कवर करेगी, और ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार या कर्मचारी की किसी भी संपदा को नहीं कवर करेगी। ठेकेदार निर्दिष्ट किए गए अनुसार पॉलिसी और प्रीमियम की रसीदें जमा करेगा, जब तक कि नियोक्ता द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए। ऊपर वर्णित अनुसार बीमा न कराने की स्थिति में, ऐसी चूक के संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों को प्रभावित किए बिना, नियोक्ता उसकी ओर से ऐसा बीमा कर सकता है और ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से भुगतान किए गए प्रीमियम को काट सकता है। यदि कार्यों को निलंबित करना आवश्यक हो जाता है, तो ठेकेदार पॉलिसी के तहत दावा निपटाने के बाद या बीमा कार्यालय द्वारा कार्य पुनर्स्थापित करने के बाद, यदि वे ऐसा करना चुनें, तो उतनी ही सावधानी के साथ, जैसे कि आग लगी ही न हो, और सभी प्रकार से समान संविदा की शर्तों के तहत कार्य को पूरा करना जारी रखेगा। आग के बाद पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापन की स्थिति में, ठेकेदार को पूर्णता के लिए ऐसा समय विस्तार प्राप्त होगा जो नियोक्ता उचित समझे।
- (b) उपरोक्त अनुसार देय राशि, उचित रूप से पूर्ण किए गए कार्यों तथा कार्यों में उपयोग के लिए साइट पर पहुँचाई गई संविदा सामग्री एवं सामान का कुल मूल्य होगी, जो उक्त प्रमाणपत्र की तिथि से अधिकतम सात दिन पूर्व की तिथि तक एवं उस तिथि को सम्मिलित करते हुए होगी, जिसमें से नियोक्ता द्वारा रखी जाने वाली राशि (नीचे उल्लिखित अनुसार) तथा इस खंड के तहत पहले से भुगतान की गई कोई किश्त घटाई जाएगी। बशर्ते कि ऐसे प्रमाणपत्र में केवल उक्त सामग्री एवं सामान के मूल्य को सम्मिलित किया जाए, जब वे उचित रूप से और शीघ्रता से साइट पर लाए जाते हैं, तथा वे उचित रूप से संग्रहीत और/ या मौसम को देखते हुए सुरक्षित तरीके से रखे जाएं।

4.22 कार्य आरम्भ करने और पूर्ण करने की तारीख

ठेकेदार को इस परिशिष्ट में वर्णित 'प्रारंभ की तिथि' या नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट किसी बाद की तिथि को साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, और वह तदनंतर तथा तुरंत कार्य आरंभ करेगा तथा नियमित रूप से उन्हें आगे बढ़ाकर उन्हें (सिवाय उस रंगाई या

अन्य सजावटी कार्य के जिसे नियोक्ता देरी करना चाहे) परिशिष्ट में वर्णित 'पूर्णता की तिथि' तक या उससे पहले, यद्यपि इसमें बाद में वर्णित समय विस्तार की व्यवस्थाओं के अधीन पूरा करेगा।

4.23 कार्य पूर्ण न करने के लिए नुकसानी

यदि ठेकेदार पूर्वोक्त परिशिष्ट में वर्णित तिथि या खंड 4.24 के तहत किसी विस्तारित समय के भीतर कार्य को पूरा नहीं करता है और नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसकी राय में उसे युक्तिसंगत रूप से पूरा होना चाहिए था, तो ठेकेदार को परिशिष्ट में "परिनिर्धारित हर्जाना" के रूप में नामित राशि का भुगतान नियोक्ता को करना होगा, जो उक्त कार्य अधूरा रहने की अवधि के लिए लागू होगी, और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि को काट सकता है।

4.24 विलम्ब और समय विस्तार

यदि नियोक्ता की राय में, कार्य (a) अप्रत्याशित घटना के कारण या (b) असाधारण रूप से खराब मौसम के कारण या (c) संलग्न या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों के साथ की गई या धमकी दी गई कार्यवाही या विवाद के कारण, जो ठेकेदार के स्वयं के दोष के कारण नहीं उत्पन्न हुई हो या (d) नियोक्ता द्वारा नियुक्त या नामित अन्य ठेकेदारों या श्रमिकों के कार्यों या देरी के कारण, जो मात्राओं की अनुसूची और/या विनिर्देश में उल्लिखित नहीं हैं या (e) इस संविदा के खंड 4.2 के अनुसार नियोक्ता के निर्देशों के कारण या (f) सार्वजनिक अशांति, स्थानीय श्रमिकों के संघर्ष, हड़ताल या तालाबंदी के कारण, जो इमारत निर्माण व्यवसायों को प्रभावित करते हों या (g) ठेकेदार द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से आवेदन करने के बावजूद नियोक्ता से समय पर आवश्यक निर्देश प्राप्त न करने के कारण या (h) अन्य कारणों से, जिन्हें नियोक्ता ठेकेदार के नियंत्रण से परे घोषित कर सकता है या (i) इस दशा में कि कार्य का मूल्य मूल्यांकित मात्राओं की अनुसूची के मूल्य से भिन्नता के कारण अधिक हो जाता है, तो संविदा कार्यों के पूर्ण होने के लिए समय का उचित और न्यायसंगत विस्तार किया जाएगा। ऐसी हड़ताल या तालाबंदी की स्थिति में, ठेकेदार फिर भी लगातार देरी को रोकने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा और नियोक्ता की संतुष्टि के लिए आवश्यक सभी कार्य करता रहेगा।

4.25 नियोक्ता के अनूदेशों के पालन में ठेकेदार की विफलता

यदि ठेकेदार नियोक्ता से प्राप्त लिखित सूचना के बाद, जिसमें दस दिनों के भीतर अनुपालन की मांग की गई हो, ऐसे अतिरिक्त आरेखों के साथ अनुपालन नहीं करता है, तो नियोक्ता अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है जो इसके प्रभाव के लिए आवश्यक कोई भी कार्य करना हो, और इससे संबंधित सभी लागतों को नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से वसूला जा सकता है या उसको देय राशि से काटा जा सकता है।

4.26 नियोक्ता द्वारा संविदा का समापन

यदि ठेकेदार, जो एक व्यक्ति या फर्म है, कोई "दिवालियापन का कृत्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है, या एक संयुक्त कंपनी है और उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश जारी किया जाता है या स्वैच्छिक समापन के लिए प्रभावी संकल्प पारित किया जाता है या न्यायालय तथा आधिकारिक नियुक्ति या विलयकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन होता है, तो ऐसी दिवालियापन या समापन की क्रियाओं के अनुसार, उसे नियोक्ता द्वारा उसके लिए आवश्यक कार्य करने के लिए सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, यदि नियोक्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, नियोक्ता की युक्तिसंगत संतुष्टि के लिए यह साबित करने में असमर्थ होगा कि वह संविदा को पूरा करने और इसके लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है।

अथवा यदि ठेकेदार (चाहे वह व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी हो) के विरुद्ध न्यायालय द्वारा संपदा को जब्त करने हेतु निष्पादन या अन्य कार्यवाही जारी की जाती है,

अथवा इस संविदा के अंतर्गत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसके नाम पर जब्त किया जाए,

अथवा नियोक्ता कि लिखित पूर्व सहमति के बगैर इस संविदा को समनुदेशित करना या किराए पर दे,

अथवा इस संविदा या ठेकेदार को देय या देय होने वाले इसके किसी बकाया भुगतान को प्रभारित या भारित करे,

अथवा यदि नियोक्ता को यह विनिश्चय हो जाता है कि ठेकेदार

- (i) ने संविदा को छोड़ दिया है, अथवा
- (ii) कार्य को आरम्भ करने में विफल रहा है, या नियोक्ता से कार्य आरम्भ करने की सूचना प्राप्त करने के बाद 14 दिनों तक कार्य की प्रगति रोककर रखता है जिसके लिए कोई वैध कारण नहीं कि जैसी परिस्थिति में कार्य रोका जाए, अथवा
- (iii) कार्य को ऐसी सम्यक् सावधानी के साथ आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी वांछित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्य सहमत समय पर पूरा हो जाए, अथवा
- (iv) साइट से सामग्री हटाने में विफल रहा है या नियोक्ता द्वारा इन शर्तों के अंतर्गत इस बात की लिखित सूचना दिए जाने पर कि कार्य खराब है और अस्वीकार्य है, उस कार्य को गिराने और उसकी सामग्री को हटाकर दूसरा कार्य सात दिन के भीतर करने में विफल रहा है।
- (v) ने कोई कार्य किए जाने की लिखित सूचना दिए जाने के बाद इस संविदा द्वारा सात दिन तक वैसे सभी या कोई कार्य, मामले या चीजें करने में लापरवाही की है या करने में विफल रहा है।

तब, और ऐसे किसी भी मामले में, नियोक्ता पूर्व में किए गए किसी भी त्याग के बावजूद, ठेकेदार को लिखित सूचना देने के सात दिनों के बाद, संविदा को समाप्त कर सकता है और ठेकेदार के दायित्वों को, जो पूरी तरह से लागू रहेंगे, मानों संविदा को इस तरह समाप्त नहीं किया गया हो, और मानों बाद में किए गए कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से किए गए हों। इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंटों या कर्मचारियों द्वारा कार्य पर प्रवेश कर सकता है और भूमि, संलग्न भूमि या सड़कों पर स्थित सभी यंत्र, औजार, सीढ़ियाँ, मशीनरी और सामग्री का कब्जा ले सकता है, तथा उन्हें अपनी संपदा के रूप में उपयोग कर सकता है या अपने कर्मचारियों और मजदूरों द्वारा उनका उपयोग करके कार्यों को जारी रखने और पूरा करने में या किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नियुक्त करके कार्यों को पूरा करा सकता है, जो ठेकेदार या अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को कार्यों के लिए सामग्री और यंत्र को पूरा करने, समाप्त करने या उपयोग करने के लिए नियुक्त किया गया हो। जब कार्य पूर्ण हो जाएं या उसके बाद जल्द से जल्द, नियोक्ता ठेकेदार को उसकी अतिरिक्त सामग्री और यंत्र हटाने के लिए लिखित सूचना देगा, और यदि ठेकेदार इसे उसकी प्राप्ति के बाद बीस दिनों की अवधि के भीतर नहीं करता है, तो नियोक्ता उसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है तथा ठेकेदार को शुद्ध राशि का श्रेय दे सकता है। इसके बाद नियोक्ता अपने हस्ताक्षरित लिखित रूप में निर्धारित करेगा कि नियोक्ता को या नियोक्ता द्वारा क्या (यदि कुछ हो) देय या भुगतान करना है, उक्त यंत्र और सामग्री के मूल्य के लिए जिन पर नियोक्ता ने कब्जा किया है, तथा कार्यों को पूरा कराने में नियोक्ता को हुए व्यय या हानि के लिए, और ठेकेदार को देय राशि, और जो राशि नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को भुगतान की जाएगी, जैसा भी मामला हो, और नियोक्ता का निर्णय दोनों पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

4.27 ठेकेदार द्वारा संविदा का समापन

4.27.1 यदि नियोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया हो जाए और ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को लिखित सूचना देने के तीस दिन बाद भी भुगतान न किया जाए, अथवा यदि नियोक्ता संविदा को अस्वीकार कर दे, अथवा यदि नियोक्ता के आदेश या किसी न्यायालय के किसी आदेश या अन्य आदेश के अंतर्गत कार्य तीन महीने तक रुक जाए, तो उपर्युक्त किसी भी स्थिति में, ठेकेदार नियोक्ता को लिखित सूचना द्वारा संविदा समाप्त करने का अधिकार रखेगा तथा वह नियोक्ता से सभी किए गए कार्यों के लिए भुगतान तथा संविदा के उद्देश्य के लिए आपूर्ति, खरीद या तैयार किए गए किसी भी संयंत्र या सामग्री पर हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवज़ा वसूल करने का अधिकारी होगा।

4.27.2 इस प्रकार के भुगतान की राशि निर्धारित करते समय, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का अनुसरण किया जाएगा, अथवा जहाँ वे लागू न हों, तो मूल्यांकन इस संविदा के खंड 4.15 के अनुसार किया जाएगा।

4.28 प्रमाण पत्र और भुगतान

- 4.28.1 ठेकेदार को रिज़र्व बैंक द्वारा अपने अभियंता द्वारा जारी अंतरिम प्रमाणपत्र के अधीन समय-समय पर किश्तों में भुगतान किया जाएगा, जब इस संविदा के अनुसार कार्य किया जाता है जिसका लगभग मूल्य परिशिष्ट में "अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्य का मूल्य" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (या नियोक्ता के युक्तिसंगत विवेक से कम)। रिज़र्व बैंक अपने विवेकानुसार अंतरिम प्रमाणपत्र में उस राशि को शामिल कर सकता है जो वह ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर कार्य के उपयोग के लिए आपूर्ति की गई सामग्री के लिए उचित समझे। जब कार्य वास्तव में पूर्ण हो जाएंगे और नियोक्ता लिखित रूप से प्रमाणित करेगा कि वे पूर्ण हो चुके हैं, तब ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा अपने अभियंता द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसार शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। ठेकेदार, परिशिष्ट में "दोष दायित्व अवधि" के रूप में उल्लिखित अवधि के समाप्त होने पर रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप से जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाणपत्र के अनुसार, वास्तविक समाप्ति की तारीख से, या ऐसी अवधि के समाप्त होने के तुरंत बाद जब कार्य अंतिम रूप से पूर्ण हो जाएं और दोषों को इस संविदा के वास्तविक अभिप्राय और अर्थ के अनुसार ठीक कर दिया जाए, जो भी बाद में हो, सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी के मुक्ति का हकदार होगा। यह शर्त रहेगी कि कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूर्ण होने के बाद रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र का जारी करना ठेकेदार को खंड 4.20 के अंतर्गत उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा, न ही ठेकेदार को धोखाधड़ी, बेईमानी या कार्य या सामग्री से संबंधित किसी मामले में धोखाधड़ी या कपट से संबंधित मामलों में उसकी दायित्व से मुक्ति करेगा, और ऐसे सभी दोषों और सामग्री में अपर्याप्तताओं के मामले में, जो एक युक्तिसंगत जांच से प्रकट नहीं होती हैं। कोई भी प्रमाणपत्र स्वयं में यह साबित करने का प्रामाणिक प्रमाण नहीं होगा कि कोई भी कार्य या सामग्री, जिससे यह संबंधित है, संविदा के अनुसार है, न ही ठेकेदार को उन राशियों का दावा होगा जिन्हें रिज़र्व बैंक ने किसी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो और नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया हो, और जो बाद में अदेय पाए जाएं, और इस संबंध में रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 4.28.2 अपनी संतुष्टि के अनुसार कार्य या उनके किसी भाग को पूरा नहीं किये जाने पर नियोक्ता के पास किसी भी प्रमाणपत्र को रोकने का अधिकार होगा।
- 4.28.3 नियोक्ता किसी प्रमाणपत्र द्वारा अपने द्वारा जारी किए गए किसी भी पिछले प्रमाणपत्र में कोई सुधार कर सकता है।
- 4.28.4 यदि ठेकेदार कार्य का बीमा कराने और वास्तविक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने तक उसे बनाए रखने में विफल रहता है तो कोई भी प्रमाणपत्र या भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।
- 4.28.5 ऐसे प्रमाणपत्रों को नियोक्ता को सौंपे जाने के बाद, परिशिष्ट में "प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने की अवधि" के रूप में नामित अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा।

4.29 विलंबित भुगतान

यदि नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि परिशिष्ट में उल्लिखित "प्रमाणपत्रों को सकारने की अवधि" के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस राशि पर परिशिष्ट में उल्लिखित "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" से ब्याज लगेगा, जो उस तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक लागू होगा जिस तिथि को नियोक्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था।

4.30 मामलों का अंतिम विनिश्चय बैंक/ नियोक्ता द्वारा

इस संविदा के खंड 4.2(a), 4.2(b), 4.4, 4.7, 4.12, 4.19, 4.28 (1,2,3,4) के अंतर्गत सभी या किसी भी मामले के संबंध में निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाणपत्र (भुगतान के अलावा) (जिन मामलों को यहाँ "अपवादित मामले" कहा गया है) अंतिम, निर्णायक तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे और उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। नियोक्ता का कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाणपत्र या मूल्यांकन, अथवा नियोक्ता द्वारा उनमें से किसी को देने से इनकार, इसके खंड 4.31 के अंतर्गत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, जिसका अर्थ है कि उन्हें नियोक्ता के निर्णय के समान सभी पहलुओं (संदर्भ खोलने से संबंधित प्रावधान सहित) में लागू किया

जाएगा।

4.31 विवाद का मध्यस्थता द्वारा निपटारा

कार्य के अंतर्गत उत्पन्न किसी विवाद या अंतर की स्थिति में (चाहे कार्य के प्रगति के दौरान हो या पूर्ण होने के बाद तथा चाहे संविदा के निर्धारण, त्याग या उल्लंघन से पूर्व या बाद में हो) जब तक कि इसके अंतर्गत उल्लिखित किसी अपवादित मामले के संबंध में न हो, इस करार के पक्षकार पहले ऐसे विवादों या अंतरों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा करने का प्रयास करेंगे। यदि दोनों पक्ष ऐसे सौहार्दपूर्ण निपटारे तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो सभी विवादों या अंतरों का अंतिम निपटारा इसमें उल्लिखित अनुसार मध्यस्थों द्वारा किया जाएगा।

यदि पक्षों द्वारा ऐसे सौहार्दपूर्ण निपटारे में विफलता होती है, तो ऐसी विफलता के 28 दिनों के भीतर कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित सूचना दे सकता है जिसमें विवादित या अंतर वाले सभी मामलों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे की मांग की जाए। ऐसी लिखित सूचना में उन मामलों का विवरण दिया जाना चाहिए जो विवादित हैं या जिनके संबंध में ऐसी लिखित सूचना दी गई है, और अन्य कोई मामला दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ या एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में मतभेद होने की स्थिति में दो मध्यस्थों (प्रत्येक पक्ष द्वारा एक नियुक्त) तथा मध्यस्थों द्वारा नियुक्त एक अधिकारी के मध्यस्थता के लिए सौंपा नहीं जाएगा। ऐसी मध्यस्थताओं पर माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी विधिक संशोधन या पुनर्प्रवर्तन तथा उसके अंतर्गत समय-समय पर बनाए गए नियम लागू होंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों में से किसी एक की मृत्यु, कार्य करने में लापरवाही, कार्य करने से इनकार, त्याग या किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने या न्यायालय द्वारा किसी कारण से उसके आदेश को रद्द कर दिए जाने की स्थिति में, पक्षकारों के लिए उपर्युक्त तरीके से एक अन्य मध्यस्थ की नियुक्ति करना कानूनी रूप से वैध होगा।

मध्यस्थता का स्थान पटना, भारत होगा।

इस अनुसूची के अंतर्गत नियुक्त मध्यस्थ या मध्यस्थों को संयुक्त रूप से मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने का अधिकार होगा तथा पक्षों की सहमति से निर्णय जारी करने के लिए समय बढ़ाने का अधिकार होगा। मध्यस्थता के लिए संदर्भ और उस पर निर्णय जारी होने तक, पक्षकारों को इस करार के अनुसार सभी संबंधों में कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए तथा यदि कोई विवाद हो, तो वह अंततः मध्यस्थता द्वारा निपटारा जाएगा।

इसमें उल्लिखित अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रत्येक या किसी भी संदर्भ के संबंध में, संदर्भ और निर्णय के संबंध में आने वाले व्यय एवं संबंधित लागत, मध्यस्थ या मध्यस्थों या निर्णायक (जैसा भी मामला हो) के विवेक पर निर्भर करेंगे, जो उनकी राशि निर्धारित कर सकते हैं।

मध्यस्थ, मध्यस्थगण या निर्णायक (जैसा भी मामला हो), प्रत्येक विवाद के मद के संबंध में तर्कसंगत निर्णय देंगे, जो दोनों पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। यह सहमति की गई है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के मध्यस्थता के लिए संदर्भित होने के कारण कार्य के क्रियान्वयन में विलंब नहीं करेगा, बल्कि सभी आवश्यक सावधानी के साथ कार्य जारी रखेगा तथा मध्यस्थों (जैसा भी मामला हो) के निर्णय जारी होने तक इस करार के नियम और शर्तों का पालन करेगा, साथ ही इस करार के अंतर्गत कार्य के वास्तविक क्रियान्वयन से संबंधित निर्देशों का भी पालन करेगा; तथा कोई भी निर्णय ठेकेदार को इस करार के नियम और शर्तों के सख्त पालन तथा कार्य के वास्तविक क्रियान्वयन से संबंधित निर्देशों के पालन के उसके दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। बैंक तथा ठेकेदार यहाँ इसपर भी सहमत हैं कि इस अनुसूची के अंतर्गत मध्यस्थता करार के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही की पूर्वापेक्षित शर्त होगी।

मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान यदि पक्षकार पारस्परिक रूप से अपने विवाद या अंतर का निपटारा, समझौता या समाधान कर लेते हैं, तो मध्यस्थता के लिए संदर्भ तथा मध्यस्थ या मध्यस्थों या निर्णायक (जैसा भी मामला हो) की नियुक्ति को रद्द माना जाएगा तथा मध्यस्थता कार्यवाही उस तिथि से वापस ली गई या समाप्त मानी जाएगी, जब पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थों या निर्णायक (जैसा भी

मामला हो) के समक्ष उसके संबंध में संयुक्त समझौता ज्ञापन दाखिल करते हैं। इस खंड के उद्देश्य के लिए, "अपवादित मामले" शब्द का अर्थ एवं संदर्भ कार्य का क्षेत्र, संविदा कीमत, वितरण अनुसूची एवं अंतिम स्वीकृति प्रमाणपत्र के अंतर्गत सभी या किसी भी मामले से होगा।

4.32 अंतिम बिल की तकनीकी छानबीन का अधिकार

नियोक्ता को अंतिम बिल के भुगतान के समय ठेकेदार के कार्यों तथा अंतिम बिल सहित सभी समर्थक वाउचर, सारांश आदि का तकनीकी परीक्षण कराने का अधिकार होगा। यदि इस परीक्षण या अन्य किसी कारण से कोई राशि अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता द्वारा उस राशि की वसूली करना कानूनी रूप से वैध होगा।

4.33 नियोक्ता कामगारों को दिए गए मुआवजे की वसूली का हकदार

यदि किसी भी कारण से, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों या उसके किसी विधिक संशोधन या पुनर्प्रवर्तन के कारण, नियोक्ता को ठेकेदार द्वारा कार्य के क्रियान्वयन में नियुक्त किसी श्रमिक को क्षतिपूर्ति भुगतान करने का दायित्व होता है, तो नियोक्ता को ठेकेदार से ऐसी भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि वसूल करने का अधिकार होगा, और इससे नियोक्ता के उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियोक्ता को ऐसी राशि या उसके किसी भाग को सुरक्षा जमा-राशि से या इस संविदा के अंतर्गत या अन्यथा नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी राशि से कटौती करके वसूल करने की स्वतंत्रता होगी। नियोक्ता उक्त अधिनियम के अंतर्गत उसके विरुद्ध किए गए किसी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध और उसके द्वारा नियोक्ता को ऐसे विरोध के परिणामस्वरूप नियोक्ता के लिए उत्पन्न होने वाली सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति में।

4.34 कार्य का परित्याग

निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय, यदि नियोक्ता किसी भी कारण से पूरे कार्य या उसके किसी भाग को क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं मानता है, तो नियोक्ता ठेकेदार को लिखित सूचना देगा, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को पूरे कार्य के क्रियान्वयन से उसे प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ या लाभकारी परिणाम के आधार पर क्षतिपूर्ति या अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान का कोई दावा नहीं होगा।

4.35 अतिरिक्त सामग्री की वापसी

इस संविदा के किसी भी या सभी धाराओं में विपरीत कुछ भी लिखा होने के बावजूद, जहां संविदा के संपादन हेतु कोई सामग्री सरकार द्वारा जारी आदेश, अनुमतियों या लाइसेंसों के अंतर्गत की गई खरीद के माध्यम से नियोक्ता की सहायता से प्राप्त की गई हो, ठेकेदार उक्त सामग्री को आर्थिक रूप से तथा केवल संविदा के उद्देश्य के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना उसका निपटान नहीं करेगा, तथा यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यकता हो तो, सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियोक्ता द्वारा निर्धारित कीमत पर, जो ठेकेदार द्वारा उसके संबंध में चुकाए गए बिक्री कर, चुंगी और अन्य ऐसे करों सहित खरीद कीमत से अधिक नहीं होगी, उसे नियोक्ता को वापस करेगा। उपरोक्त शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, ठेकेदार, अनुमति या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होने के अतिरिक्त, ऐसे उल्लंघन के कारण उसे प्राप्त हुए या सामान्यतः प्राप्त होने वाले सभी धनराशि, लाभ या लाभों के लिए नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा।

4.36 ठेकेदार, यदि व्यक्ति हो, की मृत्यु होने पर संविदा समाप्त करने का नियोक्ता का अधिकार

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय को प्रभावित किए बिना, यदि ठेकेदार, जो एक व्यक्ति है, की मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता को ऐसी समाप्ति के लिए किसी भी दायित्व को उठाए बगैर संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

4.37 हाशिए की टिप्पणियाँ

यहां दिए गए शीर्षक और इसके संलग्नक में दिए गए शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और इन कागजात तथा इसके

संलग्नक की व्याख्या में किसी भी तरह से ध्यान में नहीं लिए जाएंगे।

- 4.38 **कामगार को न्यूनतम मजदूरी:** ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सांविधिक आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अर्थात् केंद्रीय श्रम आयुक्त की दरों (सीएलसी दरें) के अनुसार सभी कामगारों को भुगतान किया जाए। इस आशय का एक प्रमाण पत्र, हर महीने कार्य के निष्पादन की अवधि और बाद की वारंटी और एएमसी अवधि के दौरान बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 4.39 **श्रम लाइसेंस, ईएसआई, पीएफ:** ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानों का पालन करेगा और ईएसआई और पीएफ के लिए भुगतान की सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इस संबंध में बैंक को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
- 4.40 **अप्रत्याशित घटना की स्थितियाँ** (पूर्णता अवधि के जारी रहने और बाद में वादा किए गए डीएलपी और सीएएमसी अवधि के दौरान लागू) :- कोई भी पक्ष अप्रत्याशित परिस्थितियों या चूककर्ता पक्ष के नियंत्रण से परे कारणों के कारण प्रदर्शन में विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, भले ही ऐसी विफलता को रोकने के लिए उसने सर्वोत्तम प्रयास किए हों, जिसमें ईश्वरीय कृत्य, युद्ध, दंगे, अवरोध, हड़ताल, लॉकआउट, किसी भी सरकारी अधिकारी के कार्य, अधिनियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त करने में देरी या आवेदनों की अस्वीकृति, आग या बाढ़ शामिल हो सकते हैं।

स्थान:

दिनांक:

मुहर के साथ निविदाकार के हस्ताक्षर

खंड -V
पहले संदर्भित परिशिष्ट

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | दोष देयता अवधि | खंड 4.19 में उल्लिखित "इसके बाद संदर्भित शर्तें" में उल्लिखित वास्तविक पूर्णता प्रमाणपत्र की तारीख से बारह महीने। | बोलीदाताओं की स्वीकृति (स्वीकृत/स्वीकार नहीं) |
| 2. | अंतिम मापन की अवधि | 1 माह | |
| 3. | प्रारंभ होने की तिथि | कार्य आवंटित होने की तारीख से 14 ^{वाँ} दिन | |
| 4. | पूरा होने की तिथि | वास्तविक पूर्णता प्रमाणपत्र की तारीख | |
| 5. | परिनिर्धारित नुकसानी की दर | प्रति सप्ताह किए गए कार्य के मूल्य का 0.25% जो कि संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन होगा | |
| 6. | अंतरिम प्रमाण पत्र के लिए कार्य का मूल्य | रु. 25 लाख | |
| 7. | प्रमाण पत्र सकारने की अवधि | अंतरिम बिल के लिए एक महीना और अंतिम बिल के लिए 3 महीने | |
| 8. | विलंबित भुगतान के लिए ब्याज | 3% प्रति वर्ष | |

स्थान:

दिनांक:

निविदाकार की मुहर और हस्ताक्षर

खंड-VI

सिस्टम की आवश्यकता और विशेष शर्तें

1. प्रस्तावित फायर अलार्म सिस्टम मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन में स्थापित किया जाएगा और जिसे चौबीसों घंटे (24x7) संचालित किया जाएगा। सिस्टम के आसान रखरखाव और निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य पैनल (एफएसीपी) डिजाइन मॉड्यूलर होना चाहिए, यानी एफएसीपी के आंतरिक कार्ड को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि दोषपूर्ण कार्ड को हटाते समय कोई अन्य कार्ड गड़बड़ न हो/ हटाया न जाए। कार्ड केवल एक ही आम बस में एक दूसरे के साथ किसी भी भौतिक संपर्क के बिना लगाए जाएंगे।
2. **सभी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे दरों का उल्लेख करने से पहले आरबीआई के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन, पटना में साइट का अनिवार्य रूप से दौरा करें ताकि फायर अलार्म सिस्टम और इसके सहायक उपकरणों की सटीक आवश्यकता को समझा जा सके।**
3. सिस्टम में किसी भी ऐड्रेसेबल डिवाइस को सिस्टम कीपैड के माध्यम से सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है।
4. सिस्टम स्टेटस रिपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर के कमाण्ड द्वारा जेनरेट और मुद्रित की जाएगी।
5. दरों में कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक मामूली सिविल कार्य शामिल होने चाहिए, जिसमें डैश फास्टरों का उपयोग करके ग्राउंडिंग, वेल्डिंग और अन्य छोटे कार्य शामिल हैं, जिनका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन काम पूरा करने के लिए अनिवार्य हैं।
6. कार्य को इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि मौजूदा चल रहे कामकाज में न्यूनतम बाधा और परेशानी हो।
7. सफल फर्म उसी क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य ठेकेदार के साथ सहयोग करेगी। इस कार्य के लिए अलग से एक इंजीनियर प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए जो कार्य का पर्यवेक्षण और निगरानी करे।
8. उपयुक्त आकार के एम.एस. ऐंगल लोहे से बने कोई भी फ्रेम और सस्पेंडर्स कार्य में सम्मिलित होंगे।
9. प्रस्तावित सिस्टम मशीन मुख्य पैनल, पुनरावर्तक पैनल, पैनिक स्विच, साउंडर, हूटर, पीसी और केबलिंग कार्य आदि के साथ पूर्ण है। बैंक केवल एक बिंदु पर आने वाली आपूर्ति प्रदान करेगा और बाद में तांबे के केबल के उपयुक्त आकार का उपयोग करके वायरिंग को कार्य में शामिल किया जाना है।
10. बैंक अपने विवेकाधिकार से, डिस्पैच से पहले कारखाने के परिसर में सामग्री का निरीक्षण कर सकता है और शिपमेंट के लिए मंजूरी दे सकता है। आपूर्तिकर्ता को प्रस्ताव के साथ विस्तृत निरीक्षण / गुणवत्ता आश्वासन योजना जमा करनी चाहिए। हालांकि, यह किसी भी तरह से ठेकेदार की जिम्मेदारी से उसे मुक्त नहीं करेगा जो साइट पर स्थापना एवं कमीशनिंग के बाद दोष दायित्व अवधि और उसके बाद की CAMC अवधि के दौरान प्रणाली/घटकों के निरंतर प्रदर्शन के लिए है। आपूर्तिकर्ता को निरीक्षण के दौरान ही आपूर्ति किए गए उपकरणों के लिए कारखाना परीक्षण रिपोर्ट / परिणाम जमा करने चाहिए।
11. सभी उल्लिखित मात्राएं अनुमानित हैं और कम या ज्यादा हो सकती हैं। सफल ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि साइट पर समुचित मापन करके सामग्री की खरीद करें।
12. मजदूरों को परिसर के भीतर ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13. मजदूरों के लिए पानी साइट पर उपलब्ध स्रोत से निःशुल्क लिया जा सकता है।
14. कार्य के लिए अपेक्षित विद्युत भी इसी प्रकार साइट पर उपलब्ध स्रोत से निःशुल्क ली जा सकती है।
15. यदि स्थानीय प्राधिकारियों से कोई अनुमति अपेक्षित हो तो वह ठेकेदार द्वारा प्राप्त की जाएगी।

16. इच्छुक निविदाकार निविदा के आरेखों, विनिर्देशों इत्यादि में संबंध में कोई स्पष्टीकरण बैंक के किसी कार्यदिवस पर विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
17. निविदाकार कृपया ध्यान दें कि, कार्य दिन के समय या बैंक के निर्देशानुसार किया जाना है। इसलिए, बगल के भवन निवासियों को न्यूनतम व्यवधान देते हुए और दैनिक सफाई कार्य के साथ ठेकेदार द्वारा संपूर्ण कार्य किया जाना है। दीवार/स्लैब/स्तंभ केवल चेस-कटर से ही काटे जाने चाहिए।
18. ठेकेदार कार्य पूरा होने के बाद **यथा कृत / यथा निर्मित आरेख** तैयार करेगा और अंतिम बिल के साथ प्रस्तुत करेगा।
19. कार्य के लिए समस्त सामग्री कार्यस्थल पर सीढ़ियों के माध्यम से लायी जाएगी और सामग्री उठाने के लिए सामान ढोने की कोई लिफ्ट उपलब्ध नहीं होगी।
20. उपरोक्त कार्य से उत्पन्न कोई भी मलबा/ धूल या अपशिष्ट सामग्री आवश्यकतानुसार और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार बार-बार साफ की जाएगी।
21. सभी तोड़-फोड़ वाले कार्य और शोर उत्पन्न करने वाले कार्य दिन के समय और अवकाश के दिनों में किए जाने चाहिए और दिन के समय के कार्य को प्रतिबंधित समय के भीतर किया जाना चाहिए। ठेकेदार को शाम और रात के समय आपूर्ति उपलब्ध करानी होगी। ठेकेदार को दरें उद्धृत करते समय उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखना होगा।
22. निविदाकार साइट पर एकत्र सारा मलबा दैनिक आधार पर (बैंक परिसर से) हटाएगा। मजदूरों द्वारा प्रयुक्त सीढ़ियाँ और आने-जाने के रास्ते बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार अच्छी तरह साफ किए जाएंगे।
23. ठेकेदार कार्य के निष्पादन के दौरान एक योग्य पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति करेगा। साइट पर बिना निगरानी के कोई काम नहीं किया जाएगा।
24. निविदाकार केवल अनुमोदित ब्रांडों की सामग्री का उपयोग करेगा। बैंक निविदाकार द्वारा इंगित ऐसे किसी भी विकल्प के अभाव में उसमें दिए गए नामों में से किसी भी ब्रांड की सामग्री का चयन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

स्थान :-

दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर और मुहर

खंड-VII

तकनीकी विनिर्देश और कार्य का दायरा

7.0 विवरण

विनिर्देश के इस खंड में पटना स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए एक पूर्ण, संचालित, समन्वित प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक एक इंटेलिजेंट एनालॉग एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और सौपना शामिल है। इसमें अलार्म चालू करने के उपकरण, अलार्म नोटीफिकेशन उपकरण, कंट्रोल पैनल, सहायक नियंत्रण उपकरण, उद्घोषक, बिजली की आपूर्ति और वायरिंग जैसा कि यहां निर्दिष्ट है, शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

फायर अलार्म सिस्टम आईएस और एनएफपीए मानक की आवश्यकताओं और बिहार अग्नि रोकथाम अधिनियम के अनुसार संरक्षित परिसर सिग्नलिंग सिस्टम के लिए अन्य लागू मानकों का पालन करेगा, सिवाय इसके कि इस विनिर्देश द्वारा संशोधित और पूरक हो। सिस्टम की निगरानी या तो विद्युत रूप से या फील्ड उपकरणों के सॉफ्टवेयर-निर्देशित पोलिंग द्वारा की जाएगी।

एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम सभी क्षेत्रों जैसे मुख्य भवन का बेसमेंट (पार्किंग)+जी+2 और एनेक्स भवन का जी+2 को कवर करेगा।

• वास्तविक निर्माण आरेख सिस्टम को निष्पादित करने वाले वेंडर द्वारा तैयार किया जाएगा जिसे निष्पादन से पहले बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

• भूतल पर फायर कंट्रोल रूम/सुरक्षा अधिकारियों के केबिन में या निविदा आमंत्रणकर्ता प्राधिकारी द्वारा निर्देशित एक यूएल/एन/वीडीएस सूचीबद्ध माइक्रोप्रोसेसर-आधारित फायर अलार्म कंट्रोल पैनल (एफएसीपी) होगा। एफएसीपी को अलार्म सिस्टम के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। भवन की संपूर्ण महत्वपूर्ण सुविधाओं को कवर करने के लिए एफएसीपी से एक इनपुट लूप (एसएलसी लूप) बिछाया जाएगा, जिससे विभिन्न यूएल सूचीबद्ध स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर और मैनुअल कॉल पॉइंट, रिसे और कंट्रोल मॉड्यूल जुड़े होंगे। इमारतों के अंदर स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। इमारतों के लिए इनडोर प्रकार मैनुअल कॉल पॉइंट प्रदान किए जाएंगे।

• रहने वालों की निकासी के लिए आग की स्थिति की घोषणा करने के लिए विभिन्न इमारतों के लिए प्रदान किए जाने वाले ऑडियो विजुअल स्ट्रोब (एवीएस) को जोड़ने वाले इनपुट लूप के समानांतर एक आउटपुट लूप (नोटिफिकेशन उपकरण सर्किट लूप) भी पूरे भवन में रखा जाएगा।

• फायर अलार्म सिस्टम की स्थिति की समानांतर घोषणा के लिए सुरक्षा गार्ड कक्ष (परिसर के प्रवेश द्वार पर) में एक रिपीटर पैनल प्रदान किया जाएगा। इसका एफएसीपी से सीधा संबंध होगा।

• इसके अलावा, लिफ्ट मूवमेंट, एएचयू प्रेशराइजेशन फैन, स्मोक एक्सट्रैक्शन फैन, बेसमेंट में वेंटिलेशन पंखे, फायर पंप रूम, स्प्रींकलर सिस्टम की निगरानी, पंपिंग सिस्टम आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रोग्राम करने योग्य रिसे नियंत्रणों को अलार्म सिस्टम के साथ इंटरफेस किया जाएगा ताकि इसकी परिचालन स्थिति की घोषणा की जा सके और जिसके लिए अलार्म पैनल में आवश्यक हार्डवेयर प्रदान किया जाएगा।

• आग की स्थिति में, धुआं/हीट डिटेक्टर धुएं/गर्मी को महसूस करेगा और ऑटोमेशन पैनल को इनपुट सिग्नल भेजेगा। पैनल सिग्नल को संसाधित करता है और अलार्म की घोषणा करने के लिए एवीएस (ऑडियो विजुअल स्ट्रोब) को सक्रिय करता है। यदि किसी निवासी को डिटेक्टरों से पहले आग का पता चल जाता है, तो वह अलार्म की घोषणा करने के लिए मैनुअल कॉल पॉइंट संचालित कर सकता है।

• आग की स्थिति का प्रदर्शन भी विभिन्न स्थानों पर स्थापित पुनरावर्तक पैनल में दोहराया जाएगा/प्रदर्शित किया जाएगा।

- फायर अलार्म सिस्टम इस विनिर्देश द्वारा संशोधित और पूरक बातों को छोड़कर, संरक्षित परिसर सिग्नलिंग प्रणालियों के लिए बिहार अग्नि निवारण अधिनियम के अनुसार आईएस.एनएफपीए और अन्य लागू मानकों की अपेक्षानुसार होना चाहिए। सिस्टम की निगरानी या तो विद्युत रूप से या फील्ड उपकरणों के सॉफ्टवेयर-निर्देशित पोलिंग द्वारा की जाएगी।
- विनिर्देश के इस खंड में पटना स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए एक पूर्ण, संचालित, समन्वित प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक एक इंटेलिजेंट एनालॉग एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और सौपना शामिल है। इसमें अलार्म चालू करने के उपकरण, अलार्म नोटीफिकेशन उपकरण, कंट्रोल पैनल, सहायक नियंत्रण उपकरण, उद्घोषक, बिजली की आपूर्ति और वायरिंग जैसा कि यहां निर्दिष्ट है, शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

7.1 कार्य का दायरा

कार्य के दायरे में पटना में बैंक के कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए एक इंटेलिजेंट एनालॉग एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और सौपना शामिल है।

मौजूदा फायर अलार्म पैनल और सिस्टम उपकरणों को हटा दिया जाएगा और एक नए इंटेलिजेंट एड्रेसेबल, फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम के साथ बदल दिया जाएगा, जिसे इस निविदा में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार आपूर्ति और स्थापित किया जाएगा।

(A) आधारभूत कार्यनिष्पादन

- (i) विभिन्न प्रकार के उपकरणों से सभी संकेतों को उपयुक्त वर्ग के लूप किए गए मल्टीप्लेक्स संचार प्रणाली पर डिजिटल रूप से एन्कोड किया जाएगा (डिजिटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चेक डिजिट या एकाधिक पोलिंग को नियोजित करेंगे)।
- (ii) उपकरण कम विद्युत धारा के, ठोस-अवस्था एकीकृत सर्किट के होंगे, और केंद्रीय प्राथमिक पावर और स्टैंडबाय बैटरी पावर स्रोत से संचालित होंगे।
- (iii) किसी भी सिस्टम सिग्नलिंग लाइन सर्किट पर एक एकल ग्राउंड या खुला, डिवाइस सर्किट, या अधिसूचना उपकरण सर्किट शुरू करने से सिस्टम की खराबी, ऑपरेटिंग पावर की हानि या अन्य सर्किट पर अलार्म की रिपोर्ट करने की क्षमता का नुकसान नहीं होगा।
- (iv) मुख्य एफएसीपी पर आने वाले अलार्म सिग्नल बिजली की विफलता (या आउटेज) के बाद तब तक हटेंगे नहीं जब तक कि अलार्म सिग्नल संसाधित और रिकॉर्ड नहीं किया जाता है।

(B) बुनियादी प्रणाली कार्य संचालन

जब फायर अलार्म/परेशानी की स्थिति का पता चलता है और डिवाइस या उपकरणों को शुरू करने वाले सिस्टम में से किसी एक द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, तो निम्नलिखित कार्य तुरंत होंगे:

- (i) सिस्टम अलार्म एलईडी फ्लैश होगी या सिस्टम की समस्या एलईडी फ्लैश होगी।
- (ii) नियंत्रण कक्ष में एक स्थानीय सिग्नल बजेगा।
- (iii) एलसीडी डिस्प्ले फायर अलार्म/परेशानी की स्थिति से जुड़ी सभी जानकारी को इंगित करेगा, जिसमें अलार्म बिंदु का प्रकार और संरक्षित परिसर के भीतर इसका स्थान शामिल है।
- (iv) प्रिंटिंग और हिस्ट्री स्टोरेज उपकरण घटना के समय और तारीख के साथ फायर अलार्म कंट्रोल पैनल की स्थिति से जुड़ी जानकारी को लॉग करेंगे।
- (v) सभी सिस्टम आउटपुट प्रोग्राम, जिसमें अलार्म/परेशानी की स्थिति में विशेष बिंदु द्वारा सक्रिय किए जाने वाले नियंत्रण-दर-घटना समीकरणों के माध्यम से असाइन किए गए हूटर की ध्वनि शामिल है, निष्पादित किया जाएगा, और संबंधित सिस्टम

आउटपुट (अलार्म नोटीफिकेशन उपकरण और/या रिले) सक्रिय किए जाएंगे।

(C) फायर अलार्म कंट्रोल पैनल

सामान्य

1. पैनल **यूएल नवीनतम संस्करण / एन सूचीबद्ध/वीडीएस प्रमाणित** होगा और एनएफपीए 72 के नवीनतम मानकों का पालन करेगा।
2. पैनल एक माइक्रोप्रोसेसर आधारित, ऐडेसेबल नेटवर्क योग्य और इंटेलिजेंट होगा।
3. पैनल में आवश्यकतानुसार धुआं निकासी प्रणाली, एयर हैंडलिंग इकाइयों, अग्निशमन उपकरण, लिफ्ट, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और अन्य तृतीय पक्ष प्रणालियों के साथ इंटरफेसिंग के लिए सभी आवश्यक प्रावधान होंगे।
4. फायर अलार्म कंट्रोल पैनल/सिस्टम को सभी आवश्यक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तकनीकी सहायता, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कुंजी (एसडीके), एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) के साथ आपूर्ति किया जाएगा ताकि ओपन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जैसे **बीएसीएनईटी/मोडबस/ओपीसी आदि** के माध्यम से प्रस्तावित कमांड और कंट्रोल सेंटर में फायर अलार्म सिस्टम को एकीकृत किया जा सके।
5. सिस्टम 3 सेकंड से भी कम की विश्व घोषणा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक डिटेक्टर प्रतिक्रिया समय का समर्थन करेगा।
6. प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि भविष्य के विस्तार के लिए प्रत्येक लूप में कम से कम 20 प्रतिशत की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो।

7. नियंत्रण कक्ष माइक्रोप्रोसेसर आधारित नेटवर्क योग्य प्रणाली होगी जिसे विशेष रूप से आग का पता लगाने और अलार्म अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। नियंत्रण कक्ष में एक पूर्ण और परिचालन प्रणाली प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और साइट विशिष्ट सिस्टम प्रोग्रामिंग शामिल होगी। नियंत्रण कक्ष को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि किसी भी एप्लिकेशन के बीच बातचीत को कॉन्फिगर और संशोधित किया जा सके। नियंत्रण कक्ष की परिचालन प्राथमिकता यह सुनिश्चित करेगी कि नियंत्रण कक्ष द्वारा समन्वित गतिविधियों में जीवन सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

पैनल को दो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। (एक सक्रिय और दूसरा स्टैंडबाय)। सीपीयू उन सभी लूप कार्डों के साथ इंटरफेस करेगा जिनके पास फायर अलार्म सिस्टम के कार्यों को निष्पादित करने के लिए अपने अलग-अलग माइक्रोप्रोसेसर होंगे। **सीपीयू की विफलता के मामले में, एक स्टैंडबाय सीपीयू को सिस्टम की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना मुख्य सीपीयू के कार्यों को संभालना चाहिए।** वैकल्पिक रूप से, यदि सिस्टम डिज़ाइन ऑनलाइन स्टैंडबाय सीपीयू के लिए प्रदान नहीं करता है, तो सिस्टम के सामान्य और संतोषजनक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग के लिए एक प्रीलोडेड और प्रीप्रोग्राम किए गए स्टैंडबाय सीपीयू प्रदान किया जाना चाहिए।

फायर अलार्म पैनल एक मल्टी-लूप (मात्रा की अनुसूची के अनुसार लूपों की सटीक संख्या) पैनल होगा और सभी लूप कार्ड किसी भी संयोजन में प्रति लूप **256** डिटेक्टरों/उपकरणों की न्यूनतम क्षमता के साथ एक ही आकार के होने चाहिए। इसमें बैकलिट न्यूनतम **640-वर्ण** लिक्विड क्रिस्टल/एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले, व्यक्तिगत, रंग कोडित सिस्टम स्थिति एलईडी, और अल्फ़ान्यूमेरिक कीपैड या टच स्क्रीन कीपैड और फायर अलार्म सिस्टम का नियंत्रण, और आंतरिक / बाहरी प्रिंटर का प्रावधान होगा।

पैनल पिछली 2500 घटनाओं की एक हिस्ट्री फ़ाइल बनाए रखेगा, प्रत्येक में समय और तारीख की मुहर होगी। इतिहास की घटनाओं में सभी अलार्म, परेशानियां, ऑपरेटर क्रियाएं और प्रोग्रामिंग प्रविष्टियां शामिल होंगी। नियंत्रण पैनल 1000 ईवेंट अलार्म इतिहास बफर भी बनाए रखेंगे, जिसमें 1000 ईवेंट इतिहास फ़ाइल से 2500 सबसे हालिया अलार्म ईवेंट शामिल हैं।

लूप इंटरफ़ेस बोर्ड 6563 फीट लंबाई तक एनएफपीए स्टाइल 6 द्विस्टेड शील्डेड सर्किट चलाने में सक्षम होगा। लूप इंटरफ़ेस

बिना किसी मोड़ और शील्ड के 6563 फीट तक लम्बाई के एनएफपीए स्टाइल 6 चलाने में भी सक्षम होगा। इसके अलावा, लूप वायरिंग इमारत या संरचना से बाहर निकलने के लिए लिस्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करेगी। किसी भी स्थिति में "टी"-टैपिंग की अनुमति दी जाएगी।

एफएस में पूर्व-संकेत और सकारात्मक अलार्म अनुक्रम होगा, यानी सिस्टम अलार्म प्रसंस्करण शुरू होने के बाद 60 से 180 सेकंड तक अलार्म की देरी के साथ केवल विशिष्ट क्षेत्रों में अलार्म सिग्नल को ध्वनि करने के लिए साधन प्रदान करेगा। सिस्टम 3 सेकंड से कम की विश्व घोषणा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक डिटेक्टर प्रतिक्रिया समय का समर्थन करेगा।

प्रारंभिक या संभावित आग की स्थिति की प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त करने के लिए, सिस्टम प्रोग्राम की गई सेटिंग के ऊपर रीयल-टाइम डिटेक्टर सेंसिंग मानों के लिए सिस्टम प्रतिक्रिया निर्धारित करने के लिए एक प्रोग्राम करने योग्य विकल्प का समर्थन करेगा। नियंत्रण कक्ष में प्री-अलार्म संकेत के दो स्तर उपलब्ध होंगे: चेतावनी और कार्रवाई।

सिस्टम पैनल प्रोग्रामिंग को या तो पैनल से दूर एक ऑफ-लाइन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम के माध्यम से या कनेक्टेड और ऑन-लाइन होने की अनुमति देने के लिए साधन प्रदान करेगा। सिस्टम दो पासवर्ड स्तरों, मास्टर और उपयोगकर्ता का समर्थन करेगा। अधिकतम 6 उपयोगकर्ता पासवर्ड उपलब्ध होंगे, जिनमें से प्रत्येक को प्रोग्रामिंग परिवर्तन मेनू परिवर्तन स्थिति मेनू या दोनों तक पहुंच प्रदान की जा सकती है। पासवर्ड परिवर्तन स्क्रीन तक पहुंच की अनुमति केवल मास्टर पासवर्ड देगा।

सिस्टम सभी घटनाओं, अलार्म, परेशानी, पर्यवेक्षी, या सुरक्षा इतिहास को सूचीबद्ध करने वाली विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए साधन प्रदान करेगा।

सिस्टम सहकारी मल्टी-डिटेक्टर सेंसिंग में एक ही लूप पर अन्य पतों पर एक डिटेक्टर को दो डिटेक्टरों तक जोड़ने का साधन प्रदान करेगा। डिटेक्टरों पर अनुक्रमिक पते की कोई आवश्यकता नहीं होगी और अलार्म घटना सभी सहयोगी डिटेक्टरों चैम्बर रीडिंग का परिणाम या उत्पाद होगी।

एडेसेबल मुख्य बिजली आपूर्ति एकल चरण 240 वीएसी, 50 हर्ट्ज पर काम करेगी, और एफएसीपी के लिए सभी आवश्यक बिजली प्रदान करेगी।

एफएस पीयर टू पीयर शैली में नेटवर्क योग्य होगा और तांबे पर 3 एमबीपीएस की न्यूनतम गति से अन्य नेटवर्क नोड्स के साथ संचार करने में सक्षम होगा। यह तांबे या फाइबर ऑप्टिक्स पर एक नेटवर्क बनाने में सक्षम होगा।

इसके अलावा, फायर अलार्म पैनल में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी -

- i) फायर अलार्म की स्थिति में, लेकिन खराबी की स्थिति में नहीं, सटीक स्थान मुख्य फायर अलार्म पैनल (एमएफएपी) पर दिखाया जाएगा।
- ii) लोकल साउंडर को स्वचालित रूप से आवाज करना चाहिए।
- iii) पूरी जानकारी समय और घटना की तारीख के साथ मुद्रित की जाएगी।
- iv) प्रभावित क्षेत्रों पर एयर हैंडलिंग इकाइयां स्वचालित रूप से बंद हो जाएंगी और संबंधित फायर डैम्पर्स भी बंद हो जाएंगे।
- v) सीढ़ियों के दबाव पंखे स्वचालित रूप से चालू हो जाएंगे।
- vi) सिस्टम में एकीकृत ऑडियो भाग उचित सिग्नल (टोन या आवाज) को उपयुक्त स्पीकर सर्किट पर निर्देशित करेगा।
- vii) प्री-रिकॉर्डेड अलार्म संदेश पब्लिक ऐडेस सिस्टम पर चलाए जाएंगे।

- viii) पैनल में इनपुट सिग्नल को संसाधित करने और आवश्यकताओं के अनुसार सीधे या इंटरफ़ेस मॉड्यूल के माध्यम से आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करने की सुविधा होगी।
- ix) पैनलों में एट्रेसेबल डिटेक्टरों के लिए फेल सेफ प्रोग्रामेबल रिले के माध्यम से बाहरी एक्चुएशन के लिए अलार्म आउटपुट मॉड्यूल हेतु आवश्यक इंटरफ़ेस इकाइयाँ होंगी।
- x) प्रोसेसर एक कॉमन बस के माध्यम से अन्य मॉड्यूल के साथ संवाद करेगा।
- xi) सिस्टम सभी बुनियादी जानकारी और कार्य विशिष्ट डेटा को मेमोरी में संग्रहीत करेगा।
- xii) अलग-अलग पासवर्ड प्रणाली के संचालन में किसी भी बदलाव की रक्षा करेंगे।
- xiii) पैनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिजाइन में अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे स्प्रिंकलर और जल प्रवाह स्विच, फायर डैम्पर्स के संचालन, प्रेशराइजेशन पंखे आदि से अतिरिक्त इनपुट स्वीकार करने की क्षमता शामिल होगी।
- xiv) पैनल के पास एक अतिरिक्त लूप कार्ड होगा जो किसी भी ऑपरेटिंग लूप कार्ड के बर्न आउट या खराब होने की स्थिति में स्टैंडबाय के रूप में काम करेगा।
- xv) **पैनल पूरी तरह से बंद, धूल और कीटों से मुक्त होगा।**

7.3 फायर अलार्म सिस्टम डिवाइस

1. प्रत्येक उपकरण यूएल नवीनतम संस्करण / ईन सूचीबद्ध/वीडीएस प्रमाणित होगा।
2. एट्रेसेबल डिवाइसें संस्थापन और रखरखाव में आसान डिफेंड, डेसिमल एट्रेस स्विच का उपयोग करेंगी। डिवाइसें 001 से 150 के रेंज में एक पते पर सेट करने में सक्षम होंगी। उपकरणों को एसएलसी के कंडक्टरों की एक ही जोड़ी से पावर और कम्प्युनिकेशन प्राप्त होगा।
3. सफल ठेकेदार तब तक डिटेक्टर स्थापित नहीं करेगा जब तक कि सभी कार्यों से संबंधित निर्माण और सफाई का कार्य अंतिम रूप से पूर्ण न हो जाए।
4. आरंभिक डिवाइसें उन सभी क्षेत्रों, डिब्बों या स्थानों पर स्थापित की जाएंगी जहां अन्य एनएफपीए कोड और मानकों द्वारा अपेक्षित है या अधिकार क्षेत्र धारक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित है।
5. किसी उपकरण के डुप्लिकेट पते की स्थिति में, फायर पैनल इसे गलती की स्थिति के रूप में इंगित करेगा। तथापि, एसएलसी को फायर पैनल पर खराबी की स्थिति के प्रदर्शन के साथ सामान्य रूप से कार्य करना जारी रखना चाहिए।
6. प्रत्येक एट्रेसेबल डिटेक्टर और डिवाइस आग से संबंधित घटनाओं (धुएं के घनत्व, दहन के कणों, तापमान) के एनालॉग प्रदर्शन के साथ जानकारी के लिए फायर अलार्म पैनल स्कैन का जवाब देगा।
7. डिटेक्टर का मानक आधार अन्य धुआं/हीट/मल्टीक्राइटेरिया डिटेक्टरों के साथ विनिमेय होगा।
8. एफएसीपी में सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए, डिटेक्टर स्वचालित रूप से धूल संचय और अन्य धीमे पर्यावरणीय परिवर्तनों की भरपाई करेंगे जो उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। डिटेक्टर एनएफपीए मानक 72 की कैलिब्रेटेड संवेदनशीलता परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने वाले यूएल नवीनतम संस्करण / ईएन द्वारा सूचीबद्ध होंगे।
9. एट्रेसेबल डिवाइसें स्थापना और रखरखाव में आसान किस्म की एट्रेस स्विच का इस्तेमाल करेंगी।

रिपीटर पैनल

- (i) रिपीटर पैनल मुख्य फायर अलार्म पैनल के रूप में सभी नियंत्रणों और निगरानी के साथ सक्रिय रिपीटर पैनल होगा।
- (ii) पैनल एक नियंत्रक के रूप में कार्य करेगा।
- (iii) पैनल सिस्टम रीसेट, परेशानी और अलार्म साइलेंस और मैनुअल अलार्म में रिमोट कमांड की अनुमति देगा।
- (iv) कुंजी वाले स्विच से कुंजियों को सक्षम या अक्षम किया जाएगा।
- (v) पैनल एनालॉग फायर डिटेक्शन और अलार्म मुख्य नियंत्रण कक्ष के साथ संगत होगा।
- (vi) यह पूरे सिस्टम यानी नेटवर्क के सभी पैनलों के लिए जानकारी प्रदर्शित करने के लिए प्रोग्राम करने योग्य होगा।
- (vii) इसमें न्यूनतम 80 वर्णों का एलसीडी डिस्प्ले (डिस्प्ले सिस्टम स्थिति) होगा। बैक लिट डिस्प्ले आग का पता लगाने पर प्रदर्शित स्थिति, परेशानी और अलार्म संदेशों को अंग्रेजी में दोहराएगा।
- (viii) सिस्टम टेक्स्ट डिस्प्ले में शामिल होंगे: अलार्म मिसिंग पॉइंट समस्या; सिस्टम टेस्ट, सर्विस, स्थानीय सिस्टम टेस्ट, पोलिंग सर्किट और एड्रेस द्वारा अतिरिक्त कस्टम परीक्षण।
- (ix) इसमें एक आंतरिक परेशानी बजर होगा।
- (x) प्रत्येक आग का पता लगाने और अलार्म पैनल के साथ 4 रिपीटर पैनलों को जोड़ना संभव होगा।
- (xi) यह अलार्म और परेशानी की स्थिति की घोषणा करेगा।

उपयोग:

रिपीटर पैनल को किसी भवन या परिसर के प्रवेश द्वार पर गार्ड रूम/सुरक्षा कक्ष में स्थापित किया जा सकता है, जिसमें एक या अधिक इमारतें हो सकती हैं ताकि आपात स्थिति में सुरक्षाकर्मी सीधे समस्या स्थल पर पहुंच सकें।

7.3.1 रिपीटर पैनल की स्थापना संबंधी अपेक्षाएं :

- (i) कोई भी पैनल या प्रबंधन सिस्टम किसी भी कमरे के अंदर या गंभीर वातावरण की स्थिति वाले कमरे में स्थित नहीं होगा।
- (ii) पैनल को एक इमारत या किसी अन्य विशिष्ट स्थान पर "फायर अलार्म कंट्रोल रूम" में लगाया जाएगा ताकि किसी भवन में प्रवेश करने के प्रयास के बिना और विभाग/सलाहकार वास्तुकार के ड्राइंग अनुमोदन के अनुसार दिखाई दे सके।
- (iii) पैनल किसी दीवार पर लगाया जाएगा।

7.4 सूत्रपाती उपकरण

फ्लोटिंग संवेदनशीलता के साथ इंटेलिजेंट मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर

इंटेलिजेंट मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर एक एड्रेसेबल डिवाइस होगा जिसे एक ही सेंसिंग डिवाइस में न्यूनतम फोटोइलेक्ट्रिक और थर्मल प्रौद्योगिकियों की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन में अपने पर्यावरण को निर्धारित करने के लिए एक अंतर्निहित माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करके अपने पर्यावरण के अनुकूल होने की क्षमता शामिल होगी और स्वचालित रूप से उपयुक्त सेंसिंग सेटिंग्स का चयन करने यानी फ्लोटिंग सेंसिटिविटी की क्षमता शामिल होगी। डिटेक्टर डिज़ाइन यूएल नवीनतम संस्करण / ईएन/ वीडीएस मानकों के अनुसार एक विस्तृत सेंसिटिविटी विंडो की अनुमति देगा। यह डिटेक्टर उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करेगा जो एक ही सेंसिंग डिवाइस के भीतर धीमी गति से सुलगाती आग और थर्मल गुणों पर प्रतिक्रिया करते हैं। यह हीट-ओनली अलार्म मोड में काम करने में सक्षम होगा, जो पैनल से एक विशेष कमांड द्वारा सक्षम होगा।

माइक्रोप्रोसेसर डिज़ाइन उस वातावरण के प्रकार के आधार पर उचित संवेदनशीलता स्तरों का चयन करने में सक्षम होगा

जिसमें यह है (कार्यालय, विनिर्माण, रसोई आदि) और फिर पर्यावरण में परिवर्तन के रूप में सेटिंग को स्वचालित रूप से बदलने की क्षमता होगी (जैसे ही दीवारें हटाई जाती हैं या ऑक्सीजन में परिवर्तन होता है)।

इंटेलेजेंट मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्शन डिवाइस में आग की स्थिति में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करने के प्रयास में फोटोइलेक्ट्रिक सिग्नल के सिग्नल के साथ थर्मल सेंसर के सिग्नल को संयोजित करने की क्षमता शामिल होगी। इसमें थर्मल और स्मोक सेंसिंग चैंबर की विशेषताओं की जांच करके और वास्तविक आग और भ्रामक घटनाओं के डेटाबेस से उनकी तुलना करके आग की स्थिति और झूठी अलार्म स्थिति के बीच अंतर करने की अंतर्निहित क्षमता भी शामिल होगी।

7.5 एड्रेसेबल फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर

इसमें एक ऑप्टिकल सेंसिंग चैंबर होगा जो प्रकाश प्रकीर्णन सिद्धांत पर काम करता है। जब धुआं संवेदन कक्ष में प्रवेश करता है तो यह प्रकाश बिखेरता है जो एक फोटोकेल द्वारा प्राप्त होता है। पैनल द्वारा रिसेप्शन के लिए सिग्नल को प्रवर्धित और डिजिटाइज़ किया जाता है। डिटेक्टर पर एलईडी संकेत के साथ डिटेक्टर पूरी तरह से ठोस स्थिति में होगा।

प्रति फोटोइलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर न्यूनतम कवरेज 50 वर्ग मीटर होगा। एनएफपीए 72, अध्याय 5 के अनुसार संरचनात्मक विन्यास या विभाजन आदि के आधार पर यह कवरेज क्षेत्र कम हो जाएगा। स्मोक डिटेक्टर को एक ही एसएलसी में हीट डिटेक्टर या मैनुअल पुश बटन से जोड़ना संभव होगा।

स्मोक डिटेक्टरों का स्थान अनपेक्षित अलार्म को कम करने के लिए धुएं, नमी, धूल या धुएं के संभावित परिवेश स्रोतों और विद्युत या यांत्रिक प्रभावों के मूल्यांकन पर आधारित होगा। स्मोक डिटेक्टरों का चयन और प्लेसमेंट डिटेक्टर की प्रदर्शन विशेषताओं और उन क्षेत्रों दोनों को ध्यान में रखना चाहिए जिनमें स्थापना के बाद अनपेक्षित अलार्म या अनुचित संचालन को रोकने के लिए डिटेक्टरों को स्थापित किया जाना है।

एनएफपीए के अनुसार, यदि परिवेश की स्थिति चार में से कोई भी है - 0 डिग्री सेल्सियस (32 डिग्री फारेनहाइट) से नीचे का तापमान, 38 डिग्री सेल्सियस (100 डिग्री फारेनहाइट) से ऊपर का तापमान, 93 प्रतिशत से ऊपर सापेक्ष आर्द्रता, 1.5 मीटर/सेकंड (300 फीट/मिनट) से अधिक वायु वेग तो स्मोक डिटेक्टर संस्थापित नहीं किए जाएंगे। फोटोइलेक्ट्रिक स्मोक सेंसर में यूएल 864 नवीनतम संस्करण /एन 54/वीडीएस मानकों के अनुसार नामिक संवेदनशीलता होगी।

7.6 एड्रेसेबल हीट डिटेक्टर

हीट डिटेक्टर अपने स्वयं के मैनुअल रूप से सेट डिजिटल कोड के साथ एक एड्रेसेबल डिटेक्टर होगा और इसकी स्थिति के बारे में फायर अलार्म पैनल को एकल डिजिटल आउटपुट देने में सक्षम होगा। हीट डिटेक्टरों को 135 डिग्री फारेनहाइट पर रेट किया जाएगा और 15 डिग्री फारेनहाइट प्रति मिनट पर रेट किए गए दर वाले तत्व होंगे। यह दो तारों के माध्यम से फायर अलार्म कंट्रोल पैनल सिग्नलिंग लाइन सर्किट से जुड़ेगा।

यह 0 से 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान भिन्नता का सामना करने में सक्षम होगा। इसके अलावा, 93% तक सापेक्ष आर्द्रता (गैर-संघनक प्रकार) इसके प्रदर्शन में बाधा नहीं डालेगी। वोल्टेज रेटिंग 15-29 वोल्ट डीसी से होगी, यद्यपि व्यावसायिक फायर अलार्म पैनल के कार्यशील वोल्टेज के आधार पर वोल्टेज को बदला जा सकता है। डिटेक्टर एनएफपीए अपेक्षाओं को पूरा करेगा और यह यूएल के नवीनतम संस्करण के साथ सूचीबद्ध होगा। अबाधित क्षेत्रों के लिए प्रति डिटेक्टर अनुमोदित कवरेज 30 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। डिटेक्टर किसी भी अलार्म स्थिति के बाद रीसेट किए जाने हेतु सक्षम होगा।

दूरस्थ निगरानी: सिस्टम को सभी आवश्यक केबलिंग और कनेक्टिविटी के साथ एक रिमोट मॉनिटरिंग/रिपीटर पैनल प्रदान किया जाना चाहिए। पैनल अधिमानतः स्थानीय ऑनसाइट नियंत्रण कक्ष में प्रदान किए गए सभी कार्यों का अनुकरण करेगा, जिसमें श्रव्य और दृश्य घोषणाएं प्रदान करना शामिल है।

अग्निशमन प्रणालियों के साथ एकीकरण: नियंत्रित क्षेत्र/कमरे के अंदर आग/धुएं का पता चलने की पुष्टि होने की स्थिति में तीसरे पक्ष की अग्निशमन प्रणालियों जैसे दमन प्रणाली/स्वचालित अग्निशामक यंत्र आदि को सक्रिय करने के लिए प्रणाली को आवश्यक नियंत्रण और वायरिंग प्रदान की जानी चाहिए।

7.7 एड्रेसेबल मैनुअल कॉल प्वाइंट

मैनुअल कॉल प्वाइंट दोहरी कार्रवाई के लिए डिजाइन होगा। एड्रेसेबल मैनुअल फायर अलार्म बॉक्स, नियंत्रण कक्ष से आदेश मिलने पर, मैनुअल स्विच की स्थिति और पता योग्य संचार मॉड्यूल स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाले पैनल को डेटा भेजेंगे। वे एक कुंजी संचालित परीक्षण-रीसेट लॉक का उपयोग करेंगे और उन्हें इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि वास्तविक आपातकालीन संचालन के बाद, उन्हें एक कुंजी के उपयोग के अलावा सामान्य उपयोग में बहाल नहीं किया जा सके।

मैनुअल फायर अलार्म बॉक्स में कवर पर दिए गए स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले संचालन संबंधी अनुदेश होंगे। FIRE शब्द स्टेशनों के सामने उठे हुए अक्षरों में दिखाई देगा। सुरक्षात्मक श्रेणी इनडोर के लिए आईपी 54 और बाहरी अनुप्रयोगों के लिए आईपी 65 होगी।

7.8 नोटीफिकेशन डिवाइसें

स्ट्रोब लाइट सहित अलार्म हूटर

स्ट्रोब लाइट सहित अलार्म हूटर इनडोर अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होंगे। सभी हूटर 24 वोल्ट डीसी से संचालित होंगे। न्यूनतम ध्वनि स्तर 80 फीट पर 10 डीबी होगा। UL 1971 और UL 864 नवीनतम संस्करण / EN 54 / VDS के लिए सूचीबद्ध। स्ट्रोब सह अलार्म हूटर को प्राथमिक सिग्नलिंग नोटीफिकेशन डिवाइस के रूप में वायर किया जाएगा।

स्ट्रोब लाइट स्ट्रोब की संपूर्ण ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज पर 1 हर्ट्ज पर फ्लैश करेगी। स्ट्रोब लाइट में एक ज़ीनॉन फ्लैश ट्यूब और संबंधित लेंस/रिफ्लेक्टर सिस्टम शामिल होगा। हूटर में दो टोन विकल्प होंगे, दो श्रव्यता विकल्प (24 वोल्ट पर) और एक अस्थायी 3 पैटर्न और एक गैर-अस्थायी निरंतर पैटर्न के बीच स्विच करने का विकल्प।

स्ट्रोब सह अलार्म हूटर लूप संचालित होगा या फिर एफएसीपी या बिजली आपूर्ति के किसी भी केंद्रीकृत विश्वसनीय स्रोत से स्वतंत्र विद्युत लेगा। इस उद्देश्य के लिए पावर केबल और बिजली आपूर्ति इकाइयों की व्यवस्था करना स्ट्रोब सह अलार्म हूटर के एसआईटीसी के दायरे में होगा और इसका अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

7.9 मॉड्यूल

7.9.1 मॉनिटर मॉड्यूल (फायर अलार्म पैनल में इनपुट के लिए)

मॉनिटर मॉड्यूल का उपयोग वेट राइज़र सिस्टम, स्प्रींकल सिस्टम आदि जैसे सिस्टम की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए किया जाएगा। मॉनिटर मॉड्यूल एड्रेसेबल होना चाहिए और पर्यवेक्षित प्रणाली की किसी भी असामान्य स्थिति को एफएसीपी को संप्रेषित करने में सक्षम होना चाहिए। मॉड्यूल में एक एलईडी होगी जो फायर अलार्म पैनल द्वारा स्कैन किए जाने पर ब्लिंक करे। यह मॉड्यूल एक या एकाधिक हाउसिंग का उपयोग करके कम से कम चार संभावित मुक्त संपर्कों की पोलिंग की निगरानी करने के लिए उपयुक्त होगा और सतह या फ्लैश माउंटिंग के लिए डिजाइन किया जाएगा। संचालन मोड का चयन किया जा सकता है और प्रत्येक इनपुट के लिए मॉड्यूल की एड्रेसिंग से अलग से असाइन किया जा सकता है, और मापदंडों की सेटिंग फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के माध्यम से पीसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके की जानी चाहिए। मॉड्यूल में एक एकीकृत शॉर्ट सर्किट आइसोलेटर होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि खराबी स्थानीय है और तार टूटने या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में लूप पूरी तरह से काम करना जारी रखे।

जब किसी केस में या निर्माता डिजाइन के अनुसार रखा जाए तब मॉड्यूल में न्यूनतम आईपी 40 सुरक्षा श्रेणी होना चाहिए। मॉड्यूल प्रोग्रामिंग के समय फायर अलार्म पैनल के माध्यम से पीसी के साथ सेट करने के लिए सॉफ्ट एड्रेसिंग के साथ होना चाहिए। मॉड्यूल में एकीकृत बजर फोर्स सिग्नलिंग रखरखाव अलार्म होना चाहिए।

एक एलईडी प्रदान की जाएगी जो सामान्य स्थिति में फ्लैश करेगी जो यह इंगित करेगी कि मॉड्यूल चालू है।

7.9.2 नियंत्रण मॉड्यूल (फायर अलार्म पैनल से आउटपुट के लिए)

एचयू, सीढ़ी दबाव प्रणाली, अग्निशमन प्रणाली आदि जैसी प्रणालियों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए एड्रेसेबल कंट्रोल

मॉड्यूल प्रदान किया जाएगा। नियंत्रण मॉड्यूल एफएसीपी से आवश्यक संदेश प्राप्त करेगा और नियंत्रित प्रणाली के संचालन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक ट्रिगर शुरू करेगा जैसे कि एफएसीपी द्वारा महसूस की गई किसी भी आग की स्थिति में एएचयू (एस) को बंद करना। नियंत्रण मॉड्यूल नामित एएचयू अग्निशमन उपकरण आदि के लिए उपरोक्त कार्यों के लिए कॉन्फ़िगर करने में सक्षम होना चाहिए। निर्दिष्ट उपकरण को आवश्यक सिग्नल के प्रसारण पर, एफएसीपी में एक उपयुक्त संकेत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि यह इंगित किया जा सके कि वांछित कार्य जैसे नामित एएचयू को बंद करना और/या सीढ़ी दबाव प्रणाली शुरू करना आदि, पूरा हो गया है/शुरू हो गया है। उपरोक्त को करने के लिए, नियंत्रण मॉड्यूल को आवश्यक रिले, सर्किटरी, हार्डवेयर संभावित मुक्त NO/NC संपर्कों आदि से लैस किया जाना चाहिए।

डिवाइस मॉड्यूल में एक एलईडी भी होगी जो अपने स्वास्थ्य या खराबी की स्थिति को इंगित करने के लिए फायर अलार्म पैनल द्वारा स्कैन किए जाने पर ब्लिंक करेगी।

7.10 फॉल्ट आइसोलेटर डिवाइस

सर्किट या डिवाइस के सक्रिय होने से पहले या बाद में किसी भी सर्किट या डिवाइस पर वायर-टू-वायर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, एक समस्या संकेत शुरू करेगा और उस सर्किट या डिवाइस को बाकी सिस्टम से अलग कर देगा। फॉल्ट आइसोलेटर डिवाइस दोष-सहिष्णु लूप के शॉर्ट-सर्किट सेगमेंट या डिवाइस का पता लगाएगा और उसे अलग करेगा। फॉल्ट आइसोलेटर डिवाइस स्वचालित रूप से लूप की सामान्य स्थिति में वापसी का निर्धारण करेगा और पृथक खंड को पुनर्स्थापित करेगा।

फॉल्ट आइसोलेटर प्रत्येक डिटेक्टर/डिवाइस के लिए निर्माता/यूएल मानक आवश्यकता के अनुसार या दस से अधिक डिटेक्टर/उपकरणों के सेट के बाद लूप में प्रदान किए जाएंगे।

7.11 इंटेलिजेंट रिपीटर पैनल

रिपीटर पैनल सिस्टम की स्थिति और घटना के स्थान को इंगित करने के लिए न्यूनतम उपयुक्त डिस्प्ले या टच-स्क्रीन के साथ होगा जो मुख्य फायर अलार्म पैनल का अनुकरण करेगा। इसकी निगरानी की जाएगी, यह दूर स्थित होगी और इसमें एक बैक-लिट एलसीडी डिस्प्ले होगा। इसमें डायग्नोस्टिक्स का समर्थन करने के लिए ऑन-बोर्ड इनपुट, आउटपुट और स्थिति संकेतक होंगे। यह सिस्टम में सभी अलार्म और समस्या की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। रिपीटर पैनल UL 864 नवीनतम T संस्करण सूचीबद्ध होगा। रिपीटर पैनल अनुशंसित केबलों का उपयोग करके मुख्य नियंत्रण कक्ष से 3300 फीट तक की वायरिंग दूरी में सक्षम होगा। इसमें ऐक्नॉलेज, सिग्नल साइलेंस, सिस्टम रीसेट, लैप टेस्ट इत्यादि जैसी कार्यात्मक कुंजियाँ होंगी।

7.12 नेटवर्क ग्राफिक कंट्रोल स्टेशन (एनसीएस)

एनसीएस एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करेगा। नेटवर्क नियंत्रण सॉफ्टवेयर सभी नेटवर्क गतिविधि को ग्राफिक रूप से घोषित और नियंत्रित करने में सक्षम होगा। नेटवर्क डिस्प्ले डिवाइस जो केवल नेटवर्क बिंदुओं के सबसेट को प्रदर्शित करने में सक्षम हैं, इसके उपयुक्त विकल्प नहीं होंगे।

एनसीएस इंटेल i7 नवीनतम पीढ़ी, 8 जीबी रैम, डिस्क: 1 टीबी न्यूनतम - 15000 आरपीएम, 1 जीबी ईथरनेट पोर्ट, ऑप्टिकल माउस, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, स्पीकर, प्रीलोडेड विंडोज 11 और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, लेजर जेट प्रिंटर और 32 "फ्लैट स्क्रीन एलसीडी/एलईडी मॉनिटर या ओईएम की सिफारिश किए गए विनिर्देश के अनुसार जो भी प्रदान किया जाना बेहतर हो, के साथ एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा।

एनसीएस न्यूनतम 5000 डिटेक्टरों/डिवाइस प्वाइंट्स को कैप्चर करने में सक्षम होगा। ईवेंट हार्ड डिस्क पर संग्रहीत किए जाएंगे और ड्राइव पर बैक-अप स्टोरेज करने में सक्षम होंगे। हिस्ट्री बफर ऑपरेटर को घटनाओं को काल-क्रम से देखने की अनुमति देगा। ऑपरेटर, दिनांक, समय, फायर अलार्म, परेशानियों (सुरक्षा, पर्यवेक्षी और सिस्टम / डिवाइस सहित), अक्षम बिंदु / क्षेत्र, सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑपरेटर प्रतिक्रिया और ऑपरेटर लॉग इन / लॉग आउट द्वारा कालानुक्रमिक घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक फिल्टर उपलब्ध होगा। एनसीएस इतिहास फ़ाइलों को प्रिंट करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

एनसीएस सॉफ्टवेयर एक उच्च-प्रदर्शन रंगीन ग्राफिक प्रणाली होगी जो सभी नेटवर्क घटनाओं और बिंदुओं को प्रदर्शित करने में

सक्षम होगी। सॉफ्टवेयर को उपयोग में आसान ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करना चाहिए। ऑपरेटर को सभी निगरानी किए गए उपकरणों के लिए एक सुसंगत रूप और संचालन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। एनसीएस सॉफ्टवेयर में चार फायर अलार्म कंट्रोल पैनल तक की निगरानी करने की क्षमता होगी। फायर ग्राफिक सॉफ्टवेयर को विभिन्न प्रणालियों और / या सेंसर के स्थानों के वास्तविक स्थानों को दर्शाने वाले फ्लोर-प्लान और आइकन के साथ निगरानी की जा रही प्रत्येक सुविधा का ग्राफिक रूप से प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए। सॉफ्टवेयर को 5000 प्वाइंट्स (न्यूनतम) के साथ वर्तमान उपकरणों को समायोजित करना चाहिए। डीएलपी और सीएएमसी अवधि (यानी, 1 वर्ष के डीएलपी के बाद 7 वर्ष) एनसीएस और इसकी लाइसेंस कुंजी को संचालित करने के लिए आवश्यक ओएस, एंटीवायरस और अन्य सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना संविदा के दायरे में है। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी:

- a. सभी ऑफ-सामान्य घटनाओं को पाठ और संबंधित ग्राफिक स्क्रीन के साथ एक साथ प्रदर्शित किया जाता है।
- b. स्वचालित स्क्रीन नेविगेशन (प्रत्येक डिवाइस के लिए चयन योग्य) जो घटना की प्राथमिकता के आधार पर अलार्म या ईवेंट से संबंधित डिवाइस का पता लगाता है और जूम करता है।
- c. गतिशील रूप से जेनरेट फ्लोर प्लान का ओवरव्यू।
- d. फ्लोर प्लान को जूम इन और आउट किया जा सकता है और डिवाइस को अलग-अलग जूम स्तरों पर रखा जा सकता है।
- e. किसी भी डिवाइस और घटना की स्थिति के पूर्ण लिंक मल्टीमीडिया (पाठ, ऑडियो, वीडियो और बिटमैप्स, सभी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा डिफाइन किए जा सकते हैं।
- f. भवन के फ्लोर प्लान तक आसान पहुंच के लिए इंट्यूटिव नेविगेशनल ट्री और आइकन।
- g. फायर पैनलों का नियंत्रण (पैनल मॉडल द्वारा निर्धारित नियंत्रण की सीमा तक)
- h. प्रतिक्रिया ट्रेकिंग के साथ ऑपरेटर लॉग।
- i. सभी सिस्टम डेटा के लिए बैकअप क्षमता - स्क्रीन, मेम्बर और हिस्ट्री डेटाबेस।
- j. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर - ऑपरेटर खातों की अत्यंत लचीली डेफिनिशन की अनुमति देने के लिए निश्चित सुरक्षा, निगरानी और नियंत्रण प्रोफाइल।
- k. अलार्म के समय एक पॉप अप।
- l. दोषपूर्ण उपकरणों के लिए डिवाइस अक्षम करने की सुविधा।
- m. जब पीसी चालू किया जाता है, तो एनसीएस सॉफ्टवेयर को बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से लोड किया जाना चाहिए

7.12 बैटरियाँ

- (i) बैटरी (एसएमएफ) में अलार्म सिस्टम को अलार्म की स्थिति में कम से कम 2 घंटे और सामान्य स्थिति में कम से कम 24 घंटे के लिए पावर देने की पर्याप्त क्षमता होगी। मुख्य बिजली आपूर्ति की विफलता के मामले में, पैनल स्वचालित रूप से बैटरी पर स्विच हो जाएगा और बिजली आने पर पुनः इसके विपरीत स्विच हो जाएगा।
- (ii) बैटरियों को पूरी तरह से रखरखाव मुक्त होना है।
- (iii) बैटरियों के अलावा, उपलब्ध सहायक विद्युत पर प्रचालन के लिए उपयुक्त बैटरी चार्जर प्रदान किया जाना है।
- (iv) बिजली आपूर्ति प्रणाली में "चार्ज विफलता", "बैटरी कम वोल्टेज" आदि जैसे परेशानियों या विफलता के लिए दृश्यमान और श्रव्य घोषणा प्रदान की जाएगी।

7.13 अनुमोदन

सभी उपकरणों में उचित लिस्टिंग और/या अनुमोदन होंगे और वे निम्नलिखित मान्यता प्राप्त एजेंसियों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

यूएल नवीनतम संस्करण- अंडरराइटर्स लेबोरेटरीज इंक

आईएस- कोड नवीनतम

ईएन - नवीनतम

वीडीएस नवीनतम

7.14 केबल/कॉन्ड्यूट

सभी केबल/कॉन्ड्यूट्स दीवार, छत और हैंगरों पर जहां कहीं आवश्यक हो, बिछाए जाने चाहिए और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार आवश्यक हार्डवेयर जैसे 450 मिमी की हैवी ड्यूटी सैडल बिछाया जाना चाहिए। केबल एफआरएलएस, बख्तरबंद पीवीसी मुड़ी हुई 1.5 वर्ग मिमी मल्टी स्ट्रैंडेड इंसुलेटेड, कॉपर कंडक्टर केबल, आईएस: 1554 के अनुरूप होंगे और निर्दिष्ट मेक के होंगे। सभी केबलों को उपयुक्त आकार की गाँठों और लग्स का उपयोग करके अच्छी तरह से टर्मिनेट किया जाएगा और लेबल/अंकन किया जाएगा।

7.15 स्थापना के लिए विस्तृत तकनीकी विनिर्देश:

उपरोक्त प्रणाली को एनएफपीए 72 और आईएस-2189 के दिशानिर्देशों और प्रासंगिक मानकों के अनुसार सख्ती से स्थापित किया जाएगा।

7.15.1 डिटेक्टर स्पेसिंग:

- डिटेक्टरों के बीच सूचीबद्ध स्पेसिंग (छत की ऊंचाई 3 मीटर मानते हुए) है - फ्लैट छत से नीचे, स्मोक डिटेक्टरों के लिए 75 मीटर और हीट डिटेक्टरों के लिए 5.3 मीटर।
- तथापि, शीघ्र और विश्वसनीय प्रचालन के लिए डिटेक्टरों के सूचीबद्ध अंतराल पर सामान्यतः सुरक्षा कारक 30 प्रतिशत माना जाता है।
- इसलिए, डिटेक्टरों के बीच की दूरी को स्मोक डिटेक्टर के लिए 6.5 मीटर और हीट डिटेक्टरों के लिए 5.0 मीटर माना जाता है जो 30 प्रतिशत से कम है। गलियारों में डिटेक्टर की दूरी कमरों/कब्जे वाले क्षेत्रों की तुलना में 1.5 गुना होगी।
- डिटेक्टर और दीवार के बीच का खाली स्थान डिटेक्टरों के बीच की दूरी का 0.5 गुना है।
- कमरे के किसी भी कोने से निकटतम डिटेक्टर तक के बीच की खाली जगह डिटेक्टरों के बीच की दूरी का 0.7 गुना है।
- सुरक्षित कमरे की छत की ऊंचाई के आधार पर डिटेक्टरों के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है।
- डिटेक्टरों को किसी भी एयर इनलेट (एचवीएसी सिस्टम के एयर इनलेट की आपूर्ति) या फोर्सर्ड वेंटिलेशन सिस्टम के 1 मीटर के भीतर नहीं लगाया जाएगा।
- डिटेक्टरों को किसी भी दीवारों, विभाजन, संरचनात्मक बीम और डक्ट वर्क के 500 मिमी के भीतर नहीं लगाया जाना चाहिए, जहां अवरोध 250 मिमी से अधिक गहराई में हैं।
- जहां विभाजन या भंडारण रैक जो छत के 300 मिमी के भीतर पहुंचते हैं, उन्हें दीवारों के रूप में माना जाएगा जो डिटेक्टरों को लगाने के लिए छत तक गई हैं।
- इसी प्रकार, संरचनात्मक बीम जैसे छत की ओवरऑल ऊंचाई के 10 प्रतिशत से अधिक गहरे लगे छत के अवरोधों को

डिटेक्टर लगाने के लिए दीवार के रूप में माना जाएगा, अर्थात्, इस तरह के बीम द्वारा गठित प्रत्येक बे को डिटेक्टरों के प्रावधान के लिए अलग एनक्लोजर माना जाएगा।

- (k) डिटेक्टर साइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक डिटेक्टर के नीचे 500 मिमी की स्पष्ट जगह बनी रहे।
- (l) एक डिटेक्टर को परिसर के संरक्षित छोर पर एयर डिफ्यूज़र, किसी भी दरवाजे, खिड़की या संरक्षित परिसर को अन्य परिसर से अलग करने वाले दीवार विभाजन में किसी भी खुले स्थान से 1.5 मीटर की छत पर रखा जाएगा।
- (m) सभी सीढ़ियों के कूप, लिफ्ट शाफ्ट, अन्य यूटिलिटी शाफ्ट आदि में शीर्ष पर एक डिटेक्टर होना चाहिए। लिफ्ट मशीन रूम में डिटेक्टर लगाया जाएगा।
- (n) डिटेक्टर को केबल टनल, डक्टों, फाल्स फ्लोर, एसी और एचयू रूम, लंबे एसी रिटर्न डक्ट में भी लगाया जाएगा।
- (o) 800 मिमी से अधिक की फॉल्स सीलिंग/फ्लोरिंग में रिक्तियों को सामान्य स्थापना की तरह दूरी वाले डिटेक्टरों के साथ संरक्षित किया जाएगा और प्रतिक्रिया संकेतक फॉल्स सीलिंग के नीचे प्रदान किए जाएंगे।

7.15.2 मैनुअल कॉल प्वाइंट :

- (a) मैनुअल कॉल पॉइंट पूरे भवन में फैले हुए होंगे ताकि वे निर्बाध और आसानी से सुलभ हों।
- (b) मैनुअल कॉल पॉइंट आमतौर पर किसी भी क्षेत्र/फर्श/कमरे के निकास मार्ग पर स्थित होंगे।
- (c) उपरोक्त के अलावा, अतिरिक्त मैनुअल कॉल पॉइंट भी प्रदान किए जाएंगे ताकि एक ही मंजिल पर क्षैतिज रूप से मापे जाने पर निकटतम मैनुअल कॉल पॉइंट की दूरी भवन के अंदर 30 मीटर से अधिक न हो।
- (d) प्रत्येक मैनुअल कॉल पॉइंट को दीवार/स्तम्भ पर सुरक्षित रूप से लगाया जाएगा ताकि इसका संचालन योग्य भाग फर्श से 3'-6" (1.1 मीटर) से कम और 4'-6" (1.4 मीटर) से अधिक न हो।

मैनुअल कॉल पॉइंट्स की निर्माण संबंधी अपेक्षाएं

इसका उपयोग मैनुअल रूप से फायर अलार्म को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है, और इसे सिस्टम लूप तकनीक से कनेक्शन के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अलार्म को कांच तोड़कर तब तक के लिए उठाया जाता है जब तक कि उसके बदले में एक ग्लास पैनल फिट न कर दिया जाए या अलार्म को नियंत्रण कक्ष से बंद न किया जाए। डायमंड बिट से खरोंचे जैसी उपयुक्त व्यवस्था को फैंजिबल तत्व में शामिल किया जाएगा।

इकाइयों के भीतर एक माइक्रो स्विच को कांच के किनारे से "बंद" रखा जाता है, जब कांच टूट जाता है, तो स्विच रिलीज हो जाता है, और नियंत्रण कक्ष को एक संकेत प्रेषित किया जाता है जहां अलार्म उठाया जाता है। कांच पर वरीयतः में प्लास्टिक लेपित होता है ताकि चोट लगने से स्प्लिंटर्स को नुकसान न हो।

कांच को तोड़े बिना परीक्षण के लिए एक परीक्षण कुंजी, उपलब्ध होनी चाहिए ताकि माइक्रो स्विच रिलीज करने के लिए ग्लास को नीचे किया जा सके या हटाया जा सके। तदनुसार पूर्ण कार्यात्मक परीक्षण किया जाता है। मैनुअल कॉल प्वाइंट अलार्म ट्रिगरिंग के रीसेट/समायोजन के लिए सुविधा।

यह यूनिट ज्वाला रोधी और स्वतः बुझने वाले गुणों वाले पॉलीकार्बोनेट एबीएस मिश्रण से, या ढले हुए एल्यूमीनियम से, या एएसए प्लास्टिक से, या निर्माता के डिजाइन और लागू मानकों के अनुसार बनाई जाएगी। इसमें अधिमानतः एक एकीकृत शॉर्ट सर्किट आइसोलेटर होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि खराबी स्थानीय है और तार टूटने या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में लूप पूरी तरह से काम करना जारी रखे।

कॉल बॉक्स में 20 मिमी की पाइप के टर्मिनेशन को हटाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें दीवार की सतह पर या दीवार में आधा धँसाकर लगाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी होनी चाहिए।

'फायर' शब्द सामने की तरफ लाल रंग में उभरा हुआ दिखाई देगा।

पुष्टि-स्वरूप एलईडी प्रदर्शन - ट्रिगर अलार्म संकेत (चमक) और/या रखरखाव निकासी के लिए लाल। सुरक्षात्मक श्रेणी इनडोर के लिए आईपी54 और आउटडोर के लिए आईपी65 होगी।

7.15.3 ऑडियो विजुअल स्ट्रोब:

- (a) ऑडियो-विजुअल स्ट्रोब (एवीएस) का औसत ध्वनि स्तर 70 डीबीए से कम नहीं होना चाहिए।
- (b) दीवार पर लगे एवीएस के शीर्ष भाग की ऊंचाई तैयार फर्श से कम से कम 90 इंच (2.30 मीटर) होनी चाहिए।
- (c) एवीएस के बीच की दूरी एक मंजिल में 100 फीट (30 मीटर) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (d) 20 फीट से कम चौड़े गलियारों में प्रत्येक 30 फीट (9.1 मीटर) की दूरी पर एक एवीएस होगा।
- (e) एक एवीएस गलियारे के अंत से 15 फीट (4.57 मीटर) से अधिक की दूरी पर स्थित नहीं होगा।
- (f) इसे UL/EN मानक को पूरा करना चाहिए और इसमें IP 54 सुरक्षा होनी चाहिए।

7.15.4 कनेक्टिंग केबल:

- (a) कनेक्टिंग केबल का प्रकार और उनका आकार फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के निर्माता की सिफारिश के अनुसार होगा।
- (b) उपरोक्त विनिर्देश के आधार पर इस एप्लिकेशन के लिए मल्टी स्ट्रैंड एफआरएलएस बख्तरबंद कॉपर केबल का उपयोग किया जाएगा।

7.15.5 लूप की लंबाई और एक लूप में उपकरणों की संख्या:

- (a) विभिन्न लूप की लंबाई और एक लूप में समायोजित किए जा सकने वाले उपकरणों की संख्या केबलों के आकार के संबंध में फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के निर्माता की सिफारिश के अनुसार होगी।

7.16 लागू कोड और मानक:

- सिस्टम की स्थापना, परीक्षण और रखरखाव निम्नलिखित लागू कोड, मानकों और नियामक निकायों के अनुसार होगा:
 - (a) एनएफपीए राष्ट्रीय फायर अलार्म कोड।
 - (b) एनएफपीए: जीवन सुरक्षा कोड।
 - (c) बिहार अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय (संशोधन) अधिनियम, अद्यतन संशोधित
 - (d) आईएस-2189: 2008 अद्यतन संशोधित
 - (e) एनएफपीए, राष्ट्रीय विद्युत संहिता (एनईसी)
 - (f) राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 अद्यतन संशोधित
 - (g) क्षेत्राधिकार वाले स्थानीय अधिकारियों की अपेक्षाएं

7.17 लागू सूचियाँ और अनुमोदन

सिस्टम निम्नलिखित में से एक या अधिक लिस्टिंग और अनुमोदनों के अनुसार होगा:

- (a) यूएल सूचीबद्ध: अंडरराइटर्स लेबोरेटरीज या एन
- (b) और/या वीडिएस अनुमोदित

7.18 बोली संबंधी अनिवार्य अपेक्षाएं:

- a) बोलीदाता एफएसीपी (फायर अलार्म कंट्रोल पैनल) और संबंधित घटकों के लिए अनुमोदित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वितरकों या मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) में से कोई एक होगा और इसके समर्थन में प्रमाण पत्र भाग-1 में दिया जाएगा।
- b) केवल वैध डीलरशिप प्रमाणपत्र वाले ओईएम या भारतीय अधिकृत डीलर ही बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

- c) भारतीय वितरक का ओईएम के साथ पहले से एक स्थापित संबंध होगा, जिसे सिस्टम का उपयोग करके निष्पादित कार्यों के संदर्भ में ट्रेक रिकॉर्ड द्वारा मापा जा सके।
- d) बोलीदाता के पास प्रिंसिपल से एफडीए प्रणाली के डिजाइन, स्थापना और कमीशनिंग पर तकनीकी बैक-अप होना चाहिए, और प्रिंसिपल से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- e) ओईएम (/बोलीदाता) एक प्रमाण पत्र देगा जिसमें कहा जाएगा कि उनकी प्रणाली यूएल/एन/वीडीएस द्वारा अनुमोदित है।
- f) **भारतीय वितरक के पास भारत में अपना सेवा नेटवर्क होगा और कम से कम 8 वर्षों के लिए कलपुर्जों की उपलब्धता की गारंटी होगी।**

7.19 सामान्य तकनीकी आवश्यकताएं

- a) प्रणाली के सभी घटक नए और हाल ही के निर्मित होंगे और स्थानीय कोड के अनुसार स्थापित किए जाएंगे। उत्पाद अपने जीवन के अंत में नहीं होना चाहिए। निर्माता को एक वचन देना होगा कि उद्धृत उत्पाद नवीनतम मॉडल का है और कम से कम 8 वर्षों तक पुर्जों का समर्थन करने में सक्षम होगा।
- b) भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के पास ऐसे किसी भी और सभी घटकों को, जो नवीनतम मेक के नहीं हैं या नहीं होने का संदेह है; और/या सिस्टम घटकों और डिजाइनों की प्रामाणिकता के आधार पर बिना शर्त अस्वीकार करने का विशेष अधिकार सुरक्षित है।
- c) प्रदर्शन गारंटी परीक्षण: सिस्टम इंस्टालेशन के लिए स्वीकृति एनएफपीए और आईएस-मानकों में दिए गए इंस्टालेशन स्वीकृति दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से होगी।

7.20 कार्य का दायरा

कार्य के दायरे में बैंक के पटना स्थित मुख्य कार्यालय भवन तथा एनेक्स भवन के लिए एक इंटेलिजेंट एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और सौंपना शामिल है। इसमें सिस्टम की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है।

7.20.1 स्थापना

- (i) चूंकि कार्य मौजूदा कब्जे वाले भवन में किया जाना है, इसलिए मौजूदा फायर अलार्म सिस्टम के वर्तमान वास्तविक प्रचालन को बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए, इस कार्य के निष्पादन की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए और बैंक के इंजीनियर और बैंक के सुरक्षा/अग्निशमन अधिकारी के परामर्श से इस तरह से निष्पादित किया जाना चाहिए कि भवन की अग्नि सुरक्षा बाधित न हो।
- (ii) साइट पर पूरी सामग्री की आपूर्ति होने के बाद ही कार्य निष्पादन के लिए लिया जाएगा।
- (iii) कार्य के निष्पादन से पहले, निविदाकार प्रस्तावित नई फायर अलार्म प्रणाली के लिए चित्र तैयार करेगा और इसे बैंक से अनुमोदित कराएगा।
- (iv) संस्थापन एनईसी, एनएफपीए, स्थानीय और राज्य कोड के अनुसार होगा, जैसा कि चित्र पर दिखाया गया है, और प्रमुख उपकरण निर्माता द्वारा अनुशंसित है।
- (v) सभी कॉन्ड्यूइट, जंक्शन बॉक्स, कॉन्ड्यूइट सपोर्ट और हैंगर तैयार क्षेत्रों में छिपाकर लगाए जाएंगे और बैंक के निर्देश के अनुसार अनफिनिशड क्षेत्रों में खुले रखे जा सकते हैं।
- (vi) **केबल बिछाने और डिटेक्टरों को ठीक करने आदि के लिए फॉल्स सीलिंग के ऊपर के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए लाइट फिक्स्चर/फॉल्स सीलिंग टाइल्स को हटाना और फिर से लगाना इस संविदा के दायरे में होगा। इसके लिए**

कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक की संपदा को हुए किसी भी नुकसान को बिना किसी अतिरिक्त दावे के ठीक कर दिया जाएगा।

- (vii) सिस्टम प्रोग्रामिंग और परीक्षण अवधि से पहले स्मोक डिटेक्टर स्थापित नहीं किए जाएंगे। यदि इस अवधि के दौरान निर्माण चल रहा है, तो स्मोक डिटेक्टरों को संदूषण और भौतिक क्षति से बचाने के उपाय किए जाएंगे।
- (viii) सभी फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम उपकरण, नियंत्रण पैनलों और रिमोट एनाउंसिएटर फिनिशड क्षेत्रों में स्थित होने पर दीवार पर लगे होंगे और अनफिनिशड क्षेत्रों में स्थित होने पर सतह के ऊपर लगाए जा सकते हैं।
- (ix) ऐड्रेसेबल इंटेलिजेंट ब्रेक-ग्लास इकाइयाँ (मैनुअल स्टेशन) सतह पर टाँगे जाने के लिए उपयुक्त होंगी।
- (x) **निविदाकारों से अनुरोध है कि निविदा प्रस्तुत करने से पहले, वे साइट का दौरा करें और निविदा में निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को सभी प्रकार से पूरा करने के लिए कुशल जनशक्ति, लागत आदि की भागीदारी के संबंध में तदनुसार योजना बनाएं।**
- (xi) पुरानी प्रणाली को नष्ट करना सभी पुराने उपकरणों, एफएसीपी, रिपीटर पैनल सहित, ठेकेदार के दायरे में है। नए फायर अलार्म सिस्टम के सफल संचालन और बैंक के अग्रिमन/सुरक्षा अधिकारी की सहमति के बाद पुराने फायर अलार्म सिस्टम से संबंधित एमसीपी आदि को उचित प्रकार से नष्ट किया जाएगा।
- (xii) ठेकेदार निष्पादन के दौरान काम की देखरेख के लिए एक योग्य पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा। **पर्यवेक्षक की उपस्थिति के बिना साइट पर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।**

7.20.2 सिस्टम का परीक्षण

ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त लागत के, सिस्टम के लिए सभी समायोजन और परीक्षणों के दौरान तकनीकी रूप से पर्यवेक्षण और भाग लेने के लिए फायर अलार्म उपकरण के निर्माता द्वारा अधिकृत एक सक्षम, प्रशिक्षित इंजीनियर या तकनीशियन की सेवा उपलब्ध कराएगा।

- (i) केबलों और तारों को सक्रिय करने से पहले, सही कनेक्शन की जांच करें और शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट, निरंतरता और इन्सुलेशन का परीक्षण करें।
- (ii) डिवाइस सर्किट खोलें और सत्यापित करें कि खराबी का सिग्नल सक्रिय है।
- (iii) सिग्नलिंग लाइन सर्किट खोलें और सत्यापित करें कि खराबी का सिग्नल सक्रिय है।
- (iv) नोटीफिकेशन अप्लांस सर्किट को खोलें, शॉर्ट करें और सत्यापित करें कि खराबी का सिग्नल सक्रिय है।
- (v) इनीशिएटिंग डिवाइस सर्किट को भूयोजित करें और खराबी के सिग्नल की प्रतिक्रिया को सत्यापित करें।
- (vi) सिग्नलिंग लाइन सर्किट को भूयोजित करें और खराबी के सिग्नल की प्रतिक्रिया को सत्यापित करें।
- (vii) अधिसूचना उपकरण सर्किट को भूयोजित करें और खराबी के सिग्नल की प्रतिक्रिया सत्यापित करें।
- (viii) सभी अलार्म अधिसूचना उपकरणों के लिए अलर्ट टोन और पहले से रिकॉर्ड किए गए आवाज संदेश, यदि कोई है, की जाँच करें।
- (ix) वॉक टेस्ट का उपयोग करके सभी इंटेलिजेंट स्मोक डिटेक्टरों की स्थापना, पर्यवेक्षण और संचालन की जाँच करें।
- (x) सिस्टम को पता लगाने के लिए आवश्यक अलार्म स्थितियों में से प्रत्येक को सिस्टम पर लाया जाना चाहिए। उचित प्राप्ति और एफएसीपी पर सिग्नल के उचित प्रसंस्करण और नियंत्रण बिंदुओं के सही सक्रियण को सत्यापित करें।

(xi) जब सिस्टम में वैकल्पिक सुविधाएँ शामिल हों, तो उचित परीक्षण प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए निर्माता के मैनुअल का संदर्भ लेना चाहिए। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित या समूहीकृत उपकरणों द्वारा किए गए नियंत्रणों का सत्यापन, संवेदनशीलता निगरानी, सत्यापन कार्यक्षमता आदि जैसे विषयों को संबोधित करना है।

(xii) निविदा विनिर्देश को पूरा करने के लिए आरओ के स्थानीय इंजीनियर द्वारा आवश्यक कोई अन्य परीक्षण।

7.20.3 अंतिम निरीक्षण

अंतिम निरीक्षण में, प्रमुख उपकरणों के निर्माता का एक प्रशिक्षित प्रतिनिधि यह प्रदर्शित करेगा कि सिस्टम हर मामले में ठीक से काम कर रहे हैं।

7.20.4 अनुदेश

(i) सिस्टम के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार अनुदेश प्रदान करें। सभी सिस्टम घटकों और कार्यक्रम परिवर्तनों और कार्यों सहित पूरे सिस्टम के संचालन के प्रायोगिक प्रदर्शन किए जाएंगे।

(ii) ठेकेदार और/या सिस्टम निर्माता के प्रतिनिधि एक टंकित "ऑपरेशन क्रम" उपलब्ध कराएंगे।

7.20.5 दस्तावेज़ीकरण

(i) आरेखों और विनिर्देशों के अनुपालन के विनिश्चय हेतु स्पष्ट रूप से प्रस्तुत पर्याप्त जानकारी शामिल की जाएगी।

(ii) इसमें निर्माता का नाम, मॉडल नंबर, रेटिंग, विद्युत अपेक्षाएं, उपकरण लेआउट, डिवाइस व्यवस्था, प्वाइंट से प्वाइंट पूर्ण वायरिंग आरेख, उद्घोषक लेआउट और मुख्य नियंत्रण लेआउट, कॉन्फिगरेशन और टर्मिनेशन शामिल होने चाहिए।

(iii) तकनीकी डेटा शीट सहित पूर्ण संचालन और रखरखाव मैनुअल।

(iv) ऑपरेशन का एक स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण प्रदान करें जो उपकरण और सिस्टम को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।

(v) उपरोक्त दस्तावेजों की तीन प्रतियां पुस्तक के रूप में अच्छी तरह से बंधी हुई जमा की जानी चाहिए।

(vi) डिटेक्टर और उपकरणों का फर्श वार ड्राइंग स्थान

7.20.6 वारंटी

सिस्टम की वास्तविक पूर्णता की तारीख से कम से कम एक (1) वर्ष की अवधि के लिए वारंटी दी जाएगी। नियोक्ता वारंटी शर्तों को बनाए रखने के लिए वारंटी अवधि के दौरान किए जाने वाले रखरखाव को निर्दिष्ट करेगा। बोलीदाता 1 वर्ष के डीएलपी के बाद 7 साल की अवधि के लिए रखरखाव के लिए भी बोली उद्धृत करेगा।

दोष दायित्व अवधि के बाद व्यापक एएमसी के दायरे में दोषपूर्ण केबल के प्रतिस्थापन सहित अलार्म प्रणाली के सभी स्पेयर पार्ट्स को देखना और बदलना शामिल है।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है जो इस संविदा की शर्तों के रूप में जारी किए गए हैं।

दिनांक:

स्थान:

(निविदाकार के हस्ताक्षर और मुहर)

खंड -VIII

अनुमोदित ब्रांड की सूची

| क्र. सं. | विवरण | अनुमोदित मेक | बोलीदाता द्वारा ऑफर किया गया मेक |
|----------|--|---|--|
| 1. | बख्तरबंद एफआरएलएस कॉपर केबल्स (लाल रंग) | फिनोलेक्स / ग्लोस्टर / पॉलीकैब / सीसीआई/हैवेल्स/यूनिवर्सल समकक्ष या | |
| 2. | अग्नि उपकरण: नियंत्रण नोड्स (फायर पैनल, रिपीटर पैनल, सॉफ्टवेयर आदि), आरम्भकर्ता उपकरण (डिटेक्टर, मैनुअल कॉल पॉइंट); नोटिफिकेशन उपकरण (हूटर सह स्ट्रोब आदि), नियंत्रण / रिले मॉड्यूल | हनीवेल सीमेंस/बॉश /एडवर्ड्स/टाइको/जॉनसन कंट्रोल/या समकक्ष | |
| 3. | कंप्यूटर (पीसी) | एचपी/डेल/लेनोवो या समकक्ष | |
| 4. | प्रिंटर | कैनन/एचपी/एप्सन | |
| 5. | केबल ग्लैंड्स और लग्स | डॉवेल, ब्राको, कोमेट, जैनसन | |
| 6. | सॉफ्टवेयर | OEM लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर के अनुसार | |
| 7. | पीवीसी कॉन्ड्यूइट (मीडियम ड्यूटी) | प्रेसिजन / एकेजी / पॉलीकैब या समकक्ष | |

दिनांक:

स्थान:

(निविदाकार के हस्ताक्षर और मुहर)

निविदाकारों द्वारा ऑफर मेक और मॉडल

| | मद | ऑफर किया गया मेक | ऑफर किया गया मॉडल |
|-----|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. | फायर अलार्म कंट्रोल पैनल | | |
| 2. | फायर अलार्म सीपीयू 1 | | |
| 3. | फायर अलार्म सीपीयू 2 | | |
| 4. | नेटवर्क ग्राफिक कंट्रोल स्टेशन | | |
| 5. | रिपीटर पैनल | | |
| 6. | मल्टीक्राइटेरिया डिटेक्टर | | |
| 7. | हीट डिटेक्टर | | |
| 8. | मैनुअल कॉल प्वाइंट | | |
| 9. | हूटर सह स्ट्रोब लाइट्स | | |
| 10. | फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल | | |
| 11. | नियंत्रण मॉड्यूल | | |
| 12. | प्रतिक्रिया संकेतक | | |
| 13. | मॉनिटर मॉड्यूल | | |
| 14. | फायर अलार्म केबल | | |
| 15. | हूटर/स्ट्रोब लाइट | | |
| 16. | मॉनिटर के साथ कंप्यूटर/पीसी | | |
| 17. | प्रिंटर | | |

निविदाकारों को निविदा के भाग। में उपरोक्त सभी प्रस्तावित मेक और मॉडल के तकनीकी साहित्य की आपूर्ति करनी होगी।

फर्म को उपरोक्त प्रस्तावित मेक एंड मॉडल का कम से कम एक फायर अलार्म कंट्रोल पैनल स्थापित और चालू किया होना चाहिए। इस तरह की स्थापना का विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

दिनांक:

स्थान:

(निविदाकार के हस्ताक्षर और मुहर)

कार्यालय भवन में प्रस्तावित एफएस उपकरणों के फ्लोरवार स्थान का विवरण

| क्र.सं. | मदों का विवरण | मुख्य कार्यालय भवन | | | | | एनेक्स भवन | | |
|---------|---|--------------------|------|---------|-----------|---------|------------|---------|----------|
| | | ऊँचा | भूतल | पहला तल | दूसरा ताल | बेसमेंट | भूतल | पहला तल | दूसरा तल |
| 1 | फायर अलार्म कंट्रोल पैनल (एफएसीपी) मुख्य पैनल | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | रिपीटर पैनल | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | स्मोक डिटेक्टर (या तो टू सीलिंग पर/फाल्स सीलिंग पर) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) फॉल्स सीलिंग के नीचे | 15 | 52 | 49 | 45 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| | बी) फाल्स सीलिंग से ऊपर (यानी, टू सीलिंग पर) | 17 | 42 | 35 | 30 | 45 | 11 | 5 | 3 |
| 4 | मल्टी-सेंसर डिटेक्टर (गर्मी या धुआं या दोनों) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ए) फॉल्स सीलिंग के नीचे | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | बी) फॉल्स सीलिंग के ऊपर (यानी, टू सीलिंग पर) | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | एलपीजी गैस रिसाव डिटेक्टर | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | प्रतिक्रिया संकेतक | 0 | 0 | 11 | 4 | 20 | 0 | 6 | 11 |
| 8 | फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | हूटर सह स्ट्रीब | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | मैनुअल कॉल पॉइंट (एमसीपी) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| | कुल | 40 | 119 | 121 | 106 | 91 | 30 | 15 | 21 |

नोट-

ए) डिवाइस का स्थान, हालांकि, यदि आवश्यक हो तो निष्पादन अवधि के दौरान इसमें बदलाव हो सकता है।

ख) बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि वे भाग- II निविदा की मात्रा के बिल के अनुसार दरें उद्धृत करें।

ग) पुराना फायर अलार्म सिस्टम न्यू फायर अलार्म सिस्टम के समानांतर चलेगा और इसे अधिकतम 3 महीने तक निगरानी में रखा जाएगा। शिष्टाचार और सुरक्षा कक्ष द्वारा नई प्रणाली के संतोषजनक कार्य-निष्पादन पर, शिष्टाचार और सुरक्षा कक्ष के परामर्श से पुरानी प्रणाली को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया जाएगा और इसका निपटान रिबेट/बाईबैक के तहत किया जाएगा।

दिनांक:

स्थान:

(निविदाकार की मुहर और हस्ताक्षर)

खंड -IX

निविदाकार द्वारा भरने/प्रस्तुत किए जाने वाले तकनीकी डेटा

| क्र.सं | विवरण | निविदा संबंधी अपेक्षाएँ | बोलीदाता द्वारा भरा जाना है हां/नहीं | टिप्पणियां |
|--------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | फायर अलार्म कंट्रोल पैनल (5 लूप्स), जिसे निम्नानुसार 10 लूप तक बढ़ाया जा सके | | | |
| | पैनल में कुल लूप | 5 | | |
| | लूप के विस्तार के लिए प्रावधान | 10 लूप तक | | |
| | मुख्य सीपीयू की विफलता की स्थिति में मुख्य सीपीयू के कार्यों को संभालने के लिए वैकल्पिक सीपीयू | आवश्यक | | |
| | प्रति लूप न्यूनतम एड्रेसेबल डिटेक्टर और उपकरण (मॉड्यूल) | 256 | | |
| | सम्पूर्ण प्रणाली स्कैनिंग समय | 3 सेकंड | | |
| | पैनल पर बिल्ट इन कीपैड के माध्यम से फील्ड प्रोग्रामिंग | पैनल पर प्रावधान | | |
| | पैनल पर डिस्प्ले | 640 सीएच एलसीडी/टच पैनल | | |
| | डिजिटल वॉयस कमांड (डीवीसी) और अग्निशामकों हेतु टेलीफोन संचार प्रणाली का प्रावधान | प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए | | |
| | अलार्म सत्यापन | आवश्यक | | |
| | समायोज्य अलार्म संवेदनशीलता स्तर | आवश्यक | | |
| | ईवेंट्स की हिस्ट्री | 999 ईवेंट्स | | |
| | ट्रबल अलार्म हिस्ट्री | 999 ईवेंट्स | | |
| | लूप की लंबाई | 2000 मीटर | | |
| | नवीनतम यूएल 9वां संस्करण सूचीबद्ध/ईएन 54 मानक/वीडीएस प्रमाणित | आवश्यक | | |

| | | | | |
|----|--|--------|--|--|
| 2. | रिपीटर पैनल | | | |
| | यूएल/एन/वीडीएस | आवश्यक | | |
| | डिस्प्ले | आवश्यक | | |
| | पैनल से सभी ईवेंट्स और अधिसूचना की मिमिक करें | आवश्यक | | |
| | इसमें स्वीकार करने, सिग्नल साइलेंस करने, सिस्टम रीसेट, लैप टेस्ट आदि जैसे कार्यात्मक की (keys) होंगे। | आवश्यक | | |
| 3. | एनालॉग एड्रेसेबल फोटो थर्मल स्मोक डिटेक्टर (फाल्स सीलिंग के नीचे/दू सीलिंग पर) | | | |
| | यूएन सूचीबद्ध/एन/वीडीएस | आवश्यक | | |
| | यह एनालॉग एड्रेसेबल और इंटेलिजेंट होगा | आवश्यक | | |
| | डिटेक्टर में फ्लोटिंग सेंसिटिविटी होनी चाहिए, अर्थात्, अपने वातावरण को निर्धारित करने के लिए एक अंतर्निहित माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करके अपने वातावरण के अनुकूल होने और स्वचालित रूप से उपयुक्त सेंसिंग सेटिंग्स चुनने की क्षमता | आवश्यक | | |
| | इसमें वास्तविक आग और भ्रामक घटनाओं के डेटाबेस से तुलना करके आग की स्थिति और झूठे अलार्म वाली स्थिति के बीच अंतर करने की अंतर्निहित क्षमता शामिल होगी। | आवश्यक | | |
| | इनबिल्ट आइसोलेटर या आइसोलेटर बेस | आवश्यक | | |
| 4. | एनालॉग एड्रेसेबल मल्टीक्राइटेरिया डिटेक्टर | | | |
| | यूएल सूचीबद्ध/एन | आवश्यक | | |
| | यह एनालॉग एड्रेसेबल और इनटेलिजेंट होगा | आवश्यक | | |
| | इनबिल्ट आइसोलेटर या आइसोलेटर बेस | आवश्यक | | |
| 5. | एलपीजी डिटेक्टर | | | |
| | यूएल सूचीबद्ध/एन | आवश्यक | | |
| | यह एनालॉग एड्रेसेबल और इनटेलिजेंट होगा | आवश्यक | | |

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|--|--|
| 6 | एड्रेसेबल मैनुअल कॉल प्वाइंट | | | |
| | यूएल सूचीबद्ध/एन | आवश्यक | | |
| | एड्रेसेबल | आवश्यक | | |
| 7 | हूटर कम स्ट्रॉब लाइट्स | आवश्यक | | |
| | हूटर का आउटपुट 10 फीट पर 80 डीबी होगा | आउटपुट 80 डीबी | | |
| | उन्हें मॉड्यूल के साथ मुख्य फायर पैनल से जोड़ा जाएगा। (यदि यह लूप पावर्ड नहीं है) | मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ | | |
| | 3 अलग-अलग टोन | | | |
| 8 | फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल | आवश्यक | | |
| | स्वचालित रीसेट व्यवस्था | आवश्यक | | |
| | क्या पेश किए गए डिटेक्टरों और उपकरणों को इनबिल्ट फॉल्ट आइसोलेटर प्रदान किया जाता है | | | |
| | यदि डिटेक्टरों और उपकरणों में इनबिल्ट फॉल्ट आइसोलेटर प्रदान नहीं किया गया है, तो निर्माता की /यूएल/एन मानक आवश्यकता के अनुसार या बीस से अधिक डिटेक्टर/उपकरणों के सेट के बाद अलग फॉल्ट आइसोलेटर प्रदान किया जाएगा। | | | |
| 9 | एड्रेसेबल कंट्रोल मॉड्यूल | आवश्यक | | |
| 10 | एड्रेसेबल मॉनिटर मॉड्यूल | आवश्यक | | |
| 11 | नेटवर्क ग्राफिक कंट्रोल स्टेशन | आवश्यक | | |
| | b) मुख्य नेटवर्क सॉफ्टवेयर को विभिन्न प्रणालियों और/या सेंसर के वास्तविक स्थानों को दर्शाने वाले फ्लोर प्लान्स और आइकन के साथ निगरानी की जा रही प्रत्येक सुविधा का ग्राफिक रूप से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होना चाहिए। | आवश्यक | | |
| | c) सॉफ्टवेयर को वर्तमान उपकरणों को समायोजित करना चाहिए और 15000 आईबीएमएस (एक्सेस कंट्रोल, फायर, एचवीएसी आदि) अंक तक कम से कम विस्तार योग्य होना चाहिए। इसमें क्लाउड | आवश्यक | | |

| | | | | |
|----|---|--------|--|--|
| | कनेक्टिविटी के लिए भविष्य का विकल्प होना चाहिए। | | | |
| | d) सॉफ्टवेयर एक ब्लॉक में नियंत्रण कक्ष में स्थित होगा और एक दूसरे से जुड़े सभी ब्लॉक पैनल की निगरानी करेगा | आवश्यक | | |
| | e) सॉफ्टवेयर फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क पर 100 एमबी बॉड ट्रांसमिशन दर के साथ 100 नोड्स और केबल या अधिक पर 12 एमबी बॉड ट्रांसमिशन की निगरानी करने में सक्षम होगा। | आवश्यक | | |
| | f) सॉफ्टवेयर फायर डिटेक्शन सिग्नल के साथ-साथ फायर नेटवर्क पर वॉयस सिग्नल का उपयोग करके मुख्य नियंत्रण कक्ष से 2वे संचार की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करेगा। | आवश्यक | | |
| 12 | सिस्टम मेमोरी: 8 जीबी रैम, डिस्क: 2 टीबी न्यूनतम, डिस्क की गति: 15000 आरपीएम, लोड डिवाइस: डीवीडी-आरडब्ल्यू (ड्रूअल लेयर्ड), नेटवर्क कनेक्शन: ड्रूअल 1 जीबी, कॉर्पोर्ट: 3, साउंड कार्ड, माउस, स्पीकर, कीबोर्ड, ईथरनेट कार्ड, पीसीआई स्लॉट, आरएस -232 / आरएस -485 सीरियल कॉम पोर्ट, विंडोज ओएस, एंटीवायरस | आवश्यक | | |
| 13 | कलर डेस्कजेट प्रिंटर और 32" फ्लैट स्क्रीन एलसीडी/एलईडी मॉनिटर" | आवश्यक | | |

दिनांक:

स्थान:

(निविदाकार की मुहर और हस्ताक्षर)

खंड- X
जांच सूची
वाणिज्यिक शर्तें

आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)।

निविदाकारों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विवरण भरें।

| क्र.सं. | विवरण | बैंक की शर्तें | स्वीकार्य है या नहीं (हां या नहीं लिखें) |
|---------|---|---|--|
| 1. | वैधता | भाग- I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए वैध होगा। | |
| 2. | बयाना धन जमा राशि (ईएमडी) | भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में तैयार किए गए रुपये 94,000/- का डिमांड ड्राफ्ट जो पटना में भुगतान योग्य हो, या इसे ईएमडी के बदले या एनईएफटी या बीजी के रूप में दिनांक 08 जनवरी 2026 को 12:00 बजे तक संपदा विभाग, आरबीआई, पटना में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाए। | |
| 3. | पूरा होने की अवधि | कार्य आदेश जारी करने के 14वें दिन से 60 दिन | |
| 4. | परिनिर्धारित हर्जाना (एलडी) | प्रति सप्ताह किए गए कार्य के मूल्य का 0.25%, जो संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन होगा। | |
| 5. | सभी उपकरणों के लिए गारंटी | कमीशनिंग/सौंपने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए गारंटी प्रस्तुत करेगा। | |
| 6. | सेवा सुविधा | सेवा सुविधा पटना, कोलकाता, रांची में उपलब्ध होगी। | |
| 7. | सेवा प्रदान करने में देरी के लिए जुर्माना | शिकायत का समाधान अधिकतम संभावित समय खंड 3.16 और 3.17 वाणिज्यिक शर्तों में दर्शाए गए विवरण के अनुसार होगा और उससे अधिक नहीं होगा। | |

| | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|
| 8. | कार्य के लिए भुगतान की शर्तें | <p>1. सामग्री के स्थल पर सुपुर्द करने एवं उसकी जाँच के पश्चात् निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर, समानुपातिक आधार पर उद्धृत कीमत का 60%:</p> <p>a) निर्माता के निरीक्षण एवं परीक्षण प्रमाणपत्र।</p> <p>b) ठेकेदार का प्रमाणपत्र कि सफल स्थापना, कमीशनिंग एवं परीक्षण सहित रखरखाव हेतु आवश्यक सभी घटक, भाग, उप-प्रणाली, उपभोग्य सामग्री आदि स्थल पर अच्छी स्थिति में प्राप्त हो चुके हैं, तथा यदि स्थापना, कमीशनिंग एवं परीक्षण के दौरान कोई कमी देखी जाती है, तो वह बैंक को निःशुल्क प्रदान की जाएगी।</p> <p>c) ई-निविदा शर्तों के अनुसार, परिवहन, भंडारण, स्थापना, कमीशनिंग एवं सौंपने की अवधि के दौरान उत्पन्न सभी जोखिमों एवं तृतीय पक्ष के दायित्वों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसियाँ।</p> <p>2. सम्पूर्ण प्रणाली की स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग एवं उसे सौंपने तथा खंड 3.11.3 के अनुसार बैंक गारंटी (बीजी) के प्रस्तुत किए जाने पर उद्धृत कीमत का शेष 40%</p> | |
| 9. | एएमसी के लिए भुगतान की शर्तें | खंड 3.16 के अनुसार संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने पर छमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा | |
| 10. | बीमा | <p>इसमें शामिल होंगे</p> <p>(i) कांटेक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी में निर्माता के कारखाने से स्थल तक परिवहन (वायु/समुद्र/सड़क आदि के अनुसार लागू) हेतु भंडारण, स्थापना, परीक्षण एवं परिवहन बीमा शामिल होना चाहिए।</p> | |

| | | | |
|-----|------------------------------|--|--|
| | | (ii) "कांटेक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी" में तीसरे पक्ष की देयता किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम ₹ 5.00 लाख (रुपये पांच लाख मात्र) और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपदा को नुकसान के संबंध में ₹ 10.00 लाख (केवल दस लाख रुपये) होगी। | |
| | | (iii) कर्मकारों की मुआवजा नीति, जो प्रणाली को सौंपने की तारीख तक वैध होगी। | |
| | | आरबीआई और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर अलग-अलग बीमा पॉलिसियां प्रदान की जाएंगी, जिसमें आरबीआई का नाम पॉलिसियों में पहला होगा। | |
| 11. | बैंकरों की सूची | निविदा के भाग I के साथ अपलोड किया जाना है, जिसमें पूरा डाक पता और डीलिंग व्यक्ति का नाम हो। | |
| 12. | ग्राहकों की सूची | निविदा के भाग I के साथ अपलोड किया जाना है, जिसमें पूरा डाक पता और डीलिंग व्यक्तियों के नाम होंगे। | |
| 13 | भुगतान में देरी के लिए ब्याज | 3% प्रति वर्ष। | |

नोट - कृपया मर्दों के सामने हां/नहीं इंगित करें। यदि 'नहीं', तो कृपया केवल विचलन इंगित करें।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकार की मुहर और हस्ताक्षर

कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर जमा किया जाए)

स्थान: _ _

दिनांक: _____

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
दक्षिण गांधी मैदान
पटना- 800001

महोदया/महोदय

कार्य का नाम: आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और अनुलग्नक भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)।

संदर्भ:

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (इसके बाद "आरबीआई" कहा जाता है) ने मैसर्स _____ (ठेकेदार का नाम) (इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा) को उपर्युक्त शीर्षक वाली परियोजना (जिसे इसके बाद "संविदा" कहा जाएगा) के लिए संविदा प्रदान किया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल होंगे।

और जबकि ठेकेदार उक्त संविदा में निहित निबंधन और शर्तों को पूरा करने के लिए उक्त ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक को ₹ _____ (केवल रुपये _____) (आंकड़ों और शब्दों में राशि) की कुल राशि के लिए एक कार्य-निष्पादन प्रतिभूति गारंटी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। हम, _____ (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा), मैसर्स _____, ठेकेदार के अनुरोध पर, इसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को संविदा के नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए कार्य-निष्पादन गारंटी के रूप में रुपये _____ तक की राशि के भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी इस बात का साक्षी है कि

1. हम (बैंक का नाम) यहाँ घोषणा करते हैं और आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों एवं अधिकारियों के प्रति यह प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि यदि आरबीआई का निष्कर्ष होता है कि ठेकेदार ने संविदा की शर्तों के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, तो ऐसा निष्कर्ष हमारे और उक्त ठेकेदार दोनों के लिए बाध्यकारी होगा; तथा हम

आरबीआई के मांग करने पर, बिना किसी आपत्ति के, आरबीआई को ₹ (केवल रुपये) या आरबीआई द्वारा मांगी गई किसी भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त संविदा के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा अपने कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए कार्यनिष्पादन गारंटी राशि के समकक्ष माना जाएगा, बशर्ते कि हमारी इस राशि के लिए दायित्व ₹ (केवल रुपये) से अधिक न हो।

2. हम यह भी स्वीकार करते हैं एवं पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त राशि, जो ₹ (केवल रुपये) से अधिक नहीं है, हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, आरबीआई से लिखित सूचना प्राप्त करने पर, जिसमें यह बताया गया हो कि राशि उनके लिए बकाया है, भुगतान करेंगे। हम किसी अतिरिक्त प्रमाण या साक्ष्य की मांग नहीं करेंगे और आरबीआई की सूचना हमारे लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगी तथा हम इस पर किसी भी रूप या तरीके से प्रश्न नहीं उठाएंगे। बैंक आरबीआई द्वारा मांगी गई किसी भी राशि का भुगतान करेगा, भले ही ठेकेदार द्वारा किसी अदालत, न्यायाधिकरण या निर्णायक के समक्ष किसी मुकदमे या कार्यवाही में कोई विवाद उठाया गया हो, और इस गारंटी के अंतर्गत दायित्व पूर्णतः निरपेक्ष एवं स्पष्ट होगा। हम यह प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि हम उपरोक्त सूचना प्राप्त करने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करेंगे।
3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के अंतर्गत हमारा आरबीआई के प्रति दायित्व, आरबीआई और ठेकेदार के बीच के करार या अन्य करारों से स्वतंत्र होगा।
4. हम इस गारंटी को आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना रद्द नहीं करेंगे।

हम एतद्वारा आगे सहमत हैं कि -

a) उक्त करार की शर्तों के अनुपालन या उक्त संविदा एवं/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी भी नियम और शर्त के पालन में आरबीआई द्वारा कोई दयालुता, अनुमति, समय की वृद्धि या ठेकेदार के प्रति कोई अनुग्रह दिखाई जाती है या इससे संबंधित कोई अन्य मामला हमें किसी भी रूप में हमारे दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा और इस गारंटी के अंतर्गत हमारा दायित्व भी बना रहेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा उनके कर्तव्यों के पूर्ण पालन से समाप्त होगी तथा उनके असफल रहने की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹ (केवल रुपये) तक की राशि के भुगतान से समाप्त होगी।

b) इस गारंटी के अंतर्गत हमारी दायित्व राशि ₹ (केवल रुपये) से अधिक नहीं होगी।

c) इस गारंटी के अंतर्गत हमारा दायित्व हमारे उक्त ग्राहकों/अधिकारियों की किसी भी असमर्थता, अनियमितता या उनके दायित्वों में किसी भी परिवर्तन या उनके संगठन के विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

d) यह गारंटी (दोष दायित्व अवधि के 60 दिन बाद तक) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई इच्छुक हो, तो वे इसे अपने द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त अवधि के लिए इसी गारंटी में वर्णित शर्तों एवं नियमों के अनुसार नवीनीकृत कर सकते हैं।

e) इस गारंटी के अंतर्गत हमारा दायित्व तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि यह गारंटी उपरोक्त अनुसार नवीनीकृत नहीं की जाती या जब तक हमारे उक्त ग्राहक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जिसके संबंध में आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाण पत्र ही अंतिम एवं बाध्यकारी साबित होगा, इसमें से जो भी तिथि बाद की हो। यदि हमारे विरुद्ध कोई दावा, मुकदमा या कार्यवाही निर्धारित अवधि या किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तो इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के हमारे विरुद्ध सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम इसके अंतर्गत सभी दायित्वों एवं बाध्यताओं से मुक्त हो जाएंगे।

साक्षी के रूप में, हम, बैंक के प्रतिनिधि, जिन्हें इसके लिए पूर्णतः अधिकृत किया गया है, आज दिनांक _____ माह, _____ वर्ष को इस गारंटी पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाते हैं:

जिसके साक्षी में, मैंने/हमने बैंक के ----- (माह) (वर्ष) के ----- दिन इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और इस पर मुहर

लगाया है और इसके साथ यह विधिवत रूप से अधिकृत किया गया है।

_____ के लिए और उसकी ओर से (बैंक का नाम)

प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम

बैंक की स्टाम्प/मुहर

उपर्युक्त नामित द्वारा बैंक के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित किया गया:

गवाह 1

हस्ताक्षर

नाम

पता

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टॉप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जा सकें)।

बयाना राशि जमा/बोली संबंधी प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान: _ _

दिनांक: _____

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
दक्षिण गांधी मैदान
पटना - 800001

महोदया/महोदय

कार्य का नाम: आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और अनुलग्नक भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

संदर्भ:

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे बाद में 'आरबीआई' कहा जाएगा) ने उक्त निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर उपर्युक्त शीर्षक वाले कार्य (इसके बाद "उक्त निविदा" कहा जाएगा) के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

यह निविदाओं के आमंत्रण की शर्तों में से एक है कि निविदाकार बयाना जमा राशि (ईएमडी) के रूप में केवल रुपये (रुपये) की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

मैसर्स (निविदाकार/बोलीदाता का नाम) _____, (इसके बाद "निविदाकार/बोलीदाता" कहा जाएगा), जो हमारे ग्राहक/घटक हैं, उक्त कार्य के लिए अपनी निविदा/बोली प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं और हमसे अनुरोध किया है कि हम ईएमडी के संबंध में उक्त राशि (केवल रुपये) के संबंध में आरबीआई को बैंक गारंटी प्रस्तुत करें।

अब यह गारंटी इस बात का साक्षी है कि

1. हम (बैंक का नाम) यहाँ घोषणा करते हैं और आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों एवं अधिकारियों के प्रति यह प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि यदि आरबीआई का निष्कर्ष होता है कि ठेकेदार ने संविदा की शर्तों के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, तो ऐसा निष्कर्ष हमारे और उक्त ठेकेदार दोनों के लिए बाध्यकारी होगा; तथा हम आरबीआई के मांग करने पर, बिना किसी आपत्ति के, आरबीआई को ₹ (केवल रुपये) या आरबीआई द्वारा मांगी गई किसी भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त संविदा के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा अपने कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए कार्यनिष्पादन गारंटी राशि के समकक्ष माना जाएगा, बशर्ते कि हमारी इस राशि के लिए दायित्व ₹ (केवल रुपये) से अधिक न हो।
2. हम यह भी स्वीकार करते हैं एवं पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त राशि, जो ₹ (केवल रुपये) से अधिक नहीं है, हम बिना किसी

आपत्ति या विरोध के, आरबीआई द्वारा लिखित सूचना प्राप्त करने पर, जिसमें यह बताया गया हो कि राशि उनके लिए बकाया है, भुगतान करेंगे। हम किसी अतिरिक्त प्रमाण या साक्ष्य की मांग नहीं करेंगे और आरबीआई की सूचना हमारे लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगी तथा हम इस पर किसी भी रूप या तरीके से प्रश्न नहीं उठाएंगे। बैंक आरबीआई द्वारा मांगी गई किसी भी राशि का भुगतान करेगा, भले ही ठेकेदार द्वारा किसी अदालत, न्यायाधिकरण या निर्णायक के समक्ष किसी मुकदमे या कार्यवाही में कोई विवाद उठाया गया हो, और इस गारंटी के अंतर्गत दायित्व पूर्णतः निरपेक्ष एवं स्पष्ट होगा। हम यह प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि हम उपरोक्त सूचना प्राप्त करने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करेंगे।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के अंतर्गत हमारा आरबीआई के प्रति दायित्व, आरबीआई और ठेकेदार के बीच के करार या अन्य करारों से स्वतंत्र होगा।

हम इस गारंटी को आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना रद्द नहीं करेंगे।

हम एतद्वारा आगे सहमत हैं कि -

a) उक्त संविदा की शर्तों को लागू करने या उक्त निविदा और/या इसके अधीन निर्दिष्ट किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में आरबीआई की ओर से कोई अनुदारता या लापरवाही या निविदाकार को कोई समय देने या कोई अनुग्रह प्रदान करने या इससे संबंधित किसी अन्य मामले के होने से यह हमें किसी भी तरह से हमारे दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा और इस गारंटी के तहत हमारा दायित्व बना रहेगा। यह गारंटी केवल निविदाकारों द्वारा उनके दायित्वों के पालन से ही समाप्त होगी और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारे द्वारा अधिकतम रु. (केवल रुपये) की राशि का भुगतान करने से समाप्त होगी।

b) इस गारंटी के तहत हमारी देयता रु. (केवल रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।

c) इस करार के तहत हमारी देयता हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों द्वारा उक्त कार्य के लिए निविदा देने या उनके अधीन दायित्वों में किसी भी कमजोरी या अनियमितता या हमारे उक्त ग्राहकों के विघटन या गठन में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

d) यह गारंटी (निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से छह महीने तक) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई की इच्छा हो, तो वे इसे इसमें निर्दिष्ट समान शर्तों और नियमों के अनुसार आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत कर सकते हैं।

e) इस गारंटी के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि उपरोक्त अनुसार इसे नवीनीकृत नहीं किया जाता है या जब हमारे उक्त ग्राहक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके संबंध में आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाणपत्र अंतिम साक्ष्य होगा, इसमें से जो भी तिथि बाद की हो। यदि हमारे विरुद्ध कोई दावा, मुकदमा या कार्रवाई निर्धारित अवधि या किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तो इस गारंटी के तहत आरबीआई के हमारे विरुद्ध सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम इसके अधीन सभी दायित्वों और देयताओं से मुक्त कर लेंगे।

भवदीय,

बैंक की ओर से एवं उनके लिए

प्राधिकृत अधिकारी (मुहर सहित)

(नोट: यह गारंटी उस राज्य में लागू स्टैम्प शुल्क की आवश्यकता होगी जहां यह निष्पादित की जाती है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी जिसके हस्ताक्षर और अधिकार की पुष्टि की जा सके।)

निविदाकार की ओर से ओईएम द्वारा रखरखाव की पुष्टि के लिए घोषणा प्रपत्र

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
दक्षिण गांधी मैदान
पटना – 800 001

महोदया/महोदय

आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए निविदा

हम पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन में हमारे द्वारा स्थापित **इंटेलिजेंट एनालॉग एड्रसेबल फायर अलार्म सिस्टम** को हमारे अधिकृत डीलर / सिस्टम इंटीग्रेटर मेसर्स _____ के माध्यम से बनाए रखने का वचन देते हैं, जो निविदा में उद्धृत दरों पर बैंक को सिस्टम सौंपे जाने की तारीख से एक वर्ष की दोष दायित्व / वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद कम-से-कम 7 वर्षों की अवधि के लिए सभी समावेशी वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए निविदा में उल्लिखित दरों पर बनाए रखेंगे, जो केवल निविदा में निर्दिष्ट कीमत संशोधन खंड संबंधी शर्तों के अधीन होगा।।

मेसर्स _____ का हमारे अधिकृत डीलर / सिस्टम इंटीग्रेटर नहीं बने रहने जैसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में, हम, मूल उपकरण निर्माता, स्पेयर पार्ट्स / तकनीकी मैनपावर आदि के माध्यम से अपने किसी अन्य डीलर / सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से समर्थन प्रदान करना जारी रखेंगे, यानी यह हमारी ओर से आवश्यक स्पेयर पार्ट्स आदि की व्यवस्था करके आपकी संतुष्टि के लिए सर्व-समावेशी सेवा होगी, जो ऊपर स्वीकार की गई अवधि के लिए सर्व-समावेशी रखरखाव संविदा के लिए निविदा में उद्धृत दर के भीतर होगी। ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में, नए अधिकृत डीलर / सिस्टम इंटीग्रेटर के विवरण के बारे में बैंक को तुरंत सूचित किया जाएगा।

भवदीय,

के लिए _____

(ओईएम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

के लिए _____

(अधिकृत डीलर/सिस्टम इंटीग्रेटर)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

बैंकों के प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. फर्म की संरचना (चाहे साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोपराइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड हो)
2. फर्म के प्रोपराइटर/साझेदार/निदेशकों के नाम
3. पिछले 3 वित्तीय वर्षों (वर्षवार) के लिए फर्म का टर्नओवर
2023-24
2024-25
2025-26
4. फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा
5. व्यवहार
6. वह अवधि, जबसे फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है
7. कोई अन्य टिप्पणी

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार हमारे बैंक के ग्राहक मेसर्स / श्री _____, जिनका पता हाशिये में दिया गया है, वे सम्माननीय हैं और ₹____ (₹____) की सीमा तक किसी भी व्यवहार के लिए अच्छे माने जा सकते हैं। यह प्रमाण पत्र बैंक या उसके किसी भी अधिकारी पर बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जाता है।

(नाम और मुहर के साथ हस्ताक्षर)

बैंक के लिए

नोट:

- बैंकों के प्रमाण पत्र बैंक के लेटरहेड पर होने चाहिए, जो आरबीआई को संबोधित कवर में सीलबंद होना चाहिए।
- साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक के साथ दर्ज सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए।
- बैंक अधिकारियों का नाम, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर (लैंड लाइन और मोबाइल), फैक्स नंबर आदि (आवश्यकता पड़ने पर बैंक द्वारा व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है।)

वित्तीय स्थिति

| क्रम संख्या | विवरण | वित्तीय वर्ष | | |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 | 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 | 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 |
| | | ₹ लाख में | ₹ लाख में | ₹ लाख में |
| 1 | चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक वित्तीय कारोबार | | | |
| 2 | वर्ष के लिए आयकर रिटर्न | | | |

टिप्पणी:

विवरण को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित निविदाकार के व्यवसाय के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों / खातों की प्रतियों द्वारा समर्थित किया जाए। चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित निविदाकार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों के साथ आयकर निकासी प्रमाण पत्र / आयकर निर्धारण आदेश और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित निविदाकार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों के साथ आयकर निकासी प्रमाण पत्र / आयकर निर्धारण आदेश की प्रतियां साख के प्रमाण के रूप में संलग्न की जाएँ।

मुहर के साथ निविदाकार के हस्ताक्षर

(आ) ग्राहकों के विवरण

(समान कार्यों के लिए कार्य अनुभव को उचित ठहराने वाले संबंधित कार्य आदेश 30 अक्टूबर, 2025 को या उससे पहले दिनांकित होने चाहिए)

| क्र.सं. | फर्म का नाम और संपर्क व्यक्ति का नाम, जिसमें नंबर / फ़ैक्स / ई-मेल आदि शामिल हैं। | कार्य का नाम | कार्य का मूल्य | समापन की तारीख | कार्य आबंटन की तिथि | स्थिति |
|---------|---|--------------|----------------|----------------|---------------------|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

स्थान:

दिनांक:

मुहर सहित निविदाकार के हस्ताक्षर

(B) वित्तीय पात्रता को पूरा करने वाले कार्य

30 अक्टूबर, 2020 को या उसके बाद पूरे किए गए पिछले पांच वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्य/कार्यों (योग्यता) के विवरण

| Sl no | Name of similar work and location | Nature of work / items (brief description) of work involved in the contract. | Name of the owner/ client and Architect. Also indicate whether Government or Semi-Government or Private Body with full postal address. | Name, e-mail ID, telephone (land line and mobile) nos., Fax no. of the contact executive (the person of Tenderer's client who can be contacted by the Bank in case it is so needed). | Cost of work | | Period of completion | | | Reason for delay, if any | Whether work was left incomplete or contract was terminated from either side? | Litigation/ Arbitration, if any with details. | Any other relevant information. | Green building certification category, if available |
|-------|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|---|
| | | | | | Contract Amount (₹ lakh) | Actual value of work done (in ₹ lakh) | Date of commencement of work | Scheduled date of completion | Actual date of completion | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 a | 6b | 7a | 7b | 7c | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

मुहर के साथ निविदाकार के हस्ताक्षर

(कंपनी/फर्म/संगठन के लेटर हेड पर)

ठेकेदार के कार्य-निष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र

हम पुष्टि करते हैं कि मैसर्स (ठेकेदार का नाम) _____ हमारे लिए निम्नलिखित कार्य किए हैं। शीर्षांकित कार्य सौंपने के लिए फर्म को ठीक माना जा सकता है।

ग्राहक का नाम और पता

श्री/मैसर्स ____ द्वारा निष्पादित कार्यों के विवरण

- 1 संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम
- 2 करार सं. और तारीख
- 3 करार की राशि
- 4 कार्य प्रारंभ होने की तिथि
- 5 पूरा होने की निर्धारित तिथि
- 6 पूरा होने की वास्तविक तिथि
- 7 विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि इंगित करें), यदि कोई हो
- 8 पूर्ण किए गए और भुगतान किए गए कार्य की सकल राशि
- 9 उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित किया गया है
- 10 क्या ठेकेदार ने कार्य के निष्पादन के दौरान योग्य इंजीनियर/ओवरसियर को नियुक्त किया था?
- 11 i) काम की गुणवत्ता (ग्रेडिंग का संकेत) उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
ii) कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की मात्रा, यदि कोई हो।

12 i) क्या ठेकेदार मध्यस्थता के लिए गया था?

ii) यदि हाँ, तो दावे की कुल राशि

iii) प्रदान की गई कुल राशि

13 ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ

ए) तकनीकी दक्षता:

उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

बी) वित्तीय सुदृढ़ता:

उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

ग) पर्याप्त टी एंड पी जुटाना:

उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

घ) जनशक्ति जुटाना:

उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

ई) सामान्य व्यवहार:

उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

नोट: सभी कॉलम ठीक से "प्रतिहस्ताक्षरित" करके भरे जाने चाहिए

ग्राहक की कार्यालय मुहर

भवदीय,

(उत्तरदाता अधिकारी के हस्ताक्षर*)

एसई (ई) / कार्यकारी अभियंता (ई) के लिए

टिप्पणी:

* उत्तरदाता अधिकारी किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंध में अधीक्षक/कार्यकारी अभियंता के पद का होना चाहिए

* निजी संगठनों के संबंध में उत्तरदाता अधिकारी महाप्रबंधक स्तर (पद) का होना चाहिए

* इटैलिक में लिखी गई बात अंतिम कार्य-निष्पादन प्रमाण पत्र पर मुद्रित नहीं की जानी है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ एटॉर्नी (मुख्तारनामा) का प्रारूप
(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन दस्तावेजों के माध्यम से सभी को यह ज्ञात है कि, हम
(निविदाकार का नाम एवं उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) एतद्वारा अपने नाम से तथा हमारे पक्ष में, श्री/श्रीमती (मुख्तारनामा धारक का नाम एवं निवास पता) को, जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत हैं एवंके पद पर आसीन हैं, को अपना अधिवक्ता नियुक्त करते हैं एवं उन्हें अधिकृत करते हैं, ताकि वे हमारे नाम से एवं हमारे पक्ष में, **आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)** के लिए हमारी निविदा से संबंधित या उसके संबंधित सभी कार्य एवं बातें करें, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर एवं उनका प्रस्तुतीकरण, आरबीआई को जानकारी/प्रतिक्रिया प्रदान करना, आरबीआई के समक्ष हमारा प्रतिनिधित्व करना तथा उक्त परियोजना के संबंध में हमारे प्रस्ताव से संबंधित सभी मामलों में आरबीआई के साथ सामान्य रूप से व्यवहार करना शामिल है।

हम यहाँ अपने उक्त अधिवक्ता द्वारा इस मुख्तारनामे के अनुसार विधिसम्मत किए गए सभी कार्यों एवं बातों की पुष्टि करते हैं तथा यह स्वीकार करते हैं कि हमारे उक्त अधिवक्ता द्वारा किए गए सभी कार्य एवं बातें सदैव हमारे द्वारा किए गए माने जाएँगे।

टिप्पणी:

पावर ऑफ अटॉर्नी पर ठीक से मुहर लगाई जानी चाहिए और नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

बोलीदाता के नाम एवं हस्ताक्षर/

बोलीदाता की स्टाम्प/मुहर

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टॉप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जा सकें)।

वचनपत्र

कार्य को समझने के लिए निविदाकार द्वारा साइट के दौरे के संबंध में

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
दक्षिण गांधी मैदान
पटना- 800 001

महोदया/ महोदय

कार्य का नाम: "आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और अनुलग्नक भवन के लिए इंटेलिजेंट एंटेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

हम, मैसर्स _____, उपरोक्त कार्य के लिए निविदाकार, इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमने साइट का दौरा किया है और मौजूदा प्रणाली के उचित विवरण को समझा है, जो वर्तमान में काम कर रहा है और प्रस्तावित प्रणाली के लिए यह कार्य का दायरा भी है। हम केबलिंग के साथ-साथ मौजूदा पूरी प्रणाली को हटाने और ले जाने के लिए तैयार हैं और नई प्रणाली के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

दिनांक: *(कंपनी की सील के साथ कंपनी का नाम और पता)*

सार्वजनिक संस्था(ओं) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में वचनपत्र

(निविदाकार द्वारा अपने लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

कार्य का नाम: आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और अनुलग्नक भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

1. मैं/हम _____ (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि,
 - क) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* _____ (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) को भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है।
 - ख) मैं/हम या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म * ने पिछले तीन वर्षों में _____ (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।
 - ग) हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे, यदि मैं/हम या हमारी कोई संबद्ध फर्म * भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा या उससे पहले शीर्षांकित कार्य के लिए कार्य देने से पहले प्रतिबंधित / निलंबित / काली सूची में डाल दिया गया है।

2. मैं/हम _____ (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि, मैं/हम या हमारी कोई संबद्ध फर्म* _____ (संबद्ध फर्म का नाम) * _____ (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्था का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाल दिया गया है और यह _____ (तारीख) तक प्रभावी है। आपकी जानकारी और अभिलेख के लिए इस तरह के पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(बोलीदाता की मुहर और हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से एक को काट दें, जो लागू नहीं है)

* संबद्ध फर्म: एक फर्म को "संबद्ध फर्म" कहा जाएगा यदि प्रबंधन सामान्य है, या पर्याप्त या बहुमत शेयर प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के स्वामित्व में हैं और इसके आधार पर इसके पास नियंत्रित करने वाली शक्ति मौजूद है। इसके अलावा, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्म के रूप में माना जाएगा।

भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा उपक्रम / घोषणा / प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत सील और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
पटना

महोदया/ महोदय

कार्य का नाम: - पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और अनुलग्नक भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

मैं/हम _____ (बोलीदाता का नाम एवं पता, सहित देश का उल्लेख) ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, सार्वजनिक खरीद विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ.नं. 6/18/2019-पीपीडी, दिनांक 23 जुलाई, 2020 एवं उसके उपरांत जारी आदेश/संशोधनों की सामग्री को पढ़ा एवं समझा है, जिसमें भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद के संबंध में प्रतिबंधों का उल्लेख है।

2. मैं/हम _____ (बोलीदाता का नाम) प्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, अथवा
- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और योग्य प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है, जिसका प्रमाणपत्र संलग्न है, अथवा
- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहाँ भारत सरकार ने ऋण सुविधाएँ प्रदान की हैं, अथवा
- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहाँ भारत सरकार विकास परियोजनाओं में संलग्न है।
(उपरोक्त में से जो लागू नहीं होता है, उसे रेखांकित कर दें)

3. मैं/हम आगे प्रमाणित करता/करते हूँ कि _____ (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपरोक्त ज्ञापन एवं उसके उपरांत जारी आदेश/संशोधनों के प्रावधानों के अंतर्गत विचार के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी प्रतिज्ञा करता/करते हूँ/हैं कि यहाँ तक कि उन अनुबंधों के मामले में भी जहाँ बैंक/आरबीआई द्वारा हमें उप-संविदा की अनुमति दी गई है, मैं/हम _____ (बोलीदाता का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से किसी ठेकेदार को कोई कार्य उप-ठेके पर नहीं देंगे, जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपरोक्त ज्ञापन/आदेश में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

4. मैं/हम जानता/जानते हूँ/हैं एवं समझता/समझते हूँ/हैं कि, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह प्रतिबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र/प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमा-राशि/कार्यनिष्पादन बैंक

गारंटी/सुरक्षा जमा-राशि का जब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें वंचित करना शामिल हो सकता है।

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं नाम

रबर की मुहर सहित

स्थान:

दिनांक:

**पेटेंट अधिकारों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा
(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)**

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
दक्षिण गांधी मैदान
पटना – 800 001

महोदय

कार्य का नाम: पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और अनुलग्नक भवन के लिए इंटेलिजेंट एनालॉग एड्रसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

हम, मैसर्स _____ (ठेकेदार का नाम), यहाँ यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम नियोक्ता, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक, को किसी भी कार्य, दावा या कार्यवाही से पूर्णतया क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे तथा उसे क्षतिपूरित बनाए रखेंगे, जो किसी पेटेंट या डिज़ाइन के उल्लंघन या उपयोग या किसी दावा किए गए पेटेंट या डिज़ाइन अधिकारों से संबंधित हो, तथा हम स्वयं किसी भी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान करेंगे जो संविदा में शामिल किसी वस्तु या उसके किसी भाग के संबंध में देय हो, अथवा उससे संबंधित किसी भी कानूनी रूप से उत्पन्न होने वाली क्षति, लागत एवं शुल्कों का भुगतान करेंगे।

यदि उपरोक्त विषयों से संबंधित किसी दावे के अधीन या नियोक्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ की जाती है, तो हम उसकी सूचना मिलने पर, अपने व्यय पर, उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को निपटाएँगे या किसी भी मुकदमे का संचालन करेंगे, बशर्ते कि यदि किसी पेटेंट या डिज़ाइन या किसी दावा किए गए पेटेंट या डिज़ाइन अधिकार का उल्लंघन प्रभारी अभियंता द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेश का प्रत्यक्ष परिणाम हो, तो हम नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

भवदीय,
_____ के लिए

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
ठेकेदार का नाम एवं पता:
ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं मुहर:
दिनांक:
स्थान:

ठेका श्रम नियमों/विनियमों के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक,
दक्षिण गांधी मैदान
पटना - 800 001

महोदया/महोदय

कार्य का नाम: पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए इंटेलिजेंट एनालॉग एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

हम, मैसर्स _____ (ठेकेदार का नाम), यहाँ यह वचन देते हैं कि हम अनुबंधित श्रमिकों के रोजगार एवं उनके भुगतान से संबंधित सभी विधायी नियमों/विनियमों का पालन करेंगे।

हम यह भी यहाँ पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं कि हम नियोक्ता, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक, को अनुबंधित श्रमिकों को किए जाने वाले भुगतानों एवं इस संबंध में कानूनों के पालन के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे तथा उसे क्षतिपूर्ति रखेंगे, बशर्ते कि इससे हमारे अपने उप-ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार प्रभावित न हो।

भवदीय,

_____ के लिए

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ठेकेदार का नाम एवं पता:

ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं मुहर:

दिनांक:

स्थान:

एनईएफटी भुगतान हेतु इनपुट प्रदान करने के लिए प्रोफार्मा

आरटीजीएस/एनईएफटी/ईसीएस - जनादेश प्राधिकरण प्रपत्र

1. ठेकेदार का नाम:
2. बैंक के अभिलेख के अनुसार ठेकेदार का नाम:
- 3ए. ठेकेदार का कोड (यदि लागू हो):
- 3बी. ठेकेदार का पैन नंबर: #

सभी ई-रिटर्न में पैन संख्या का उल्लेख 14-02-2008 से 100% अनिवार्य हो गया है, अतः इसे अवश्य भरें तथा स्व-सत्यापित पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी भेजें। यदि आपूर्तिकर्ता के नाम एवं पैन कार्ड में अंकित नाम में कोई अंतर है, तो उस अंतर के कारण एवं दोनों के बीच संबंध का उल्लेख करते हुए एक नोट भी भेजें।

4. ठेकेदार का पूरा डाक पता:
5. ठेकेदार की ई-मेल आईडी:
6. ठेकेदार का टेलीफोन नंबर और मोबाइल फोन नंबर:
7. बैंक का नाम:
8. बैंक (शाखा) डाक पता:
9. आरटीजीएस*/एनईएफटी** /एमआईसीआर - शाखा का कोड:

आरटीजीएस * - "रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट", एनईएफटी ** - "नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर" एमआईसीआर-मैग्नेटिक इंक रिक्तगतिशन कैरेक्टर - ये "आईएफएससी - भारतीय वित्तीय सेवा कोड" प्रत्येक शाखा के विशिष्ट नंबर हैं। कुछ शाखाओं के लिए दोनों कोड समान हैं और कुछ बैंक, आरटीजीएस के लिए एक कोड संख्या और एनईएफटी के लिए दूसरी कोड संख्या रख सकते हैं। इसलिए, कृपया दोनों पंक्तियों को भरें, भले ही ये समान हों।

10. खाते की प्रकृति: (एसबी/सीसी/सीए)
11. ठेकेदार का बैंक खाता संख्या: ©

ठेकेदार के प्राधिकृत हस्ताक्षर:

दिनांक:

ठेकेदार की मुहर:

प्रमाणित किया गया है कि क्रम संख्या 2, 7 से 11 के अनुसार विवरण हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं।

दिनांक:

बैंक की मुहर

बैंक अधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर

ई-भगतान को कार्यान्वित करने के लिए एनईएफटी विवरण

संस्था का नाम: भारतीय रिज़र्व, पटना

पूरा पता: भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गांधी मैदान, पटना, बिहार – 800 001

| | | |
|----|---|---|
| 1 | खाताधारक का नाम (जैसा कि बैंक खाते में दर्ज है) | भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना |
| 2 | खाता संख्या | 186003001 |
| 3 | खाते का प्रकार (बचत, चालू आदि) | चालू |
| 4 | पैन/टैन नंबर | एएआईएफआर 5286एम/PTND00326E |
| 5 | बैंक का नाम | आरबीआई, पटना |
| 6 | शाखा का नाम | आरबीआई, पटना |
| 7 | बैंक का पता | आरबीआई, पटना |
| 8 | एनईएफटी/आईएफएस कोड | RBIS0PTPA01 (आईएफएससी में पांचवें और दसवें अक्षर शून्य हैं) |
| 9 | खाते का नाम | आरबीआई, एनईएफटी, आवक प्राप्त |
| 10 | जीएसटी नंबर | 10AAIFR5286M1ZV |

कम्प्यूटरीकृत एमबी के लिए अनुलग्नक

कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक का प्रारूप
Format of Computerized Measurement Book

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना कार्यालय
RESERVE BANK OF INDIA, PATNA OFFICE

कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक
COMPUTERISED MEASUREMENT BOOK

(पेज 1 से __)
(Pages 1 to __)

यह पुस्तक श्री/सुश्री _____ द्वारा जारी की गई है

This Book is issued by M/s _____

प्रमाणित किया गया कि इस पुस्तक में ____ पृष्ठ हैं
Certified that this book contains ____ Pages

जिस अधिकारी को पुस्तक जारी की जाती है, उसके हस्ताक्षर
Signature of the official to whom the book is issued

समग्र-संपदा विभाग के हस्ताक्षर / Signature of AGM-Estate Department

| |
|-------------------------------|
| भारतीय रिज़र्व बैंक |
| संपदा विभाग |
| पटना |
| मापन |
| कार्य का नाम: |
| विक्रेता का नाम: मैसर्स _____ |
| कार्य प्रारंभ होने की तिथि: |
| कार्य आदेश संख्या: |
| आवक संख्या: |
| चालान संख्या: |
| कार्य पूरा होने की तिथि: |

| क्र.सं. | मद का विवरण | इकाई | मात्रा |
|---------|-------------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

पृष्ठ सं. - ____

| |
|-----------------------------|
| भारतीय रिज़र्व बैंक |
| संपदा विभाग |
| पटना |
| नकद सार |
| कार्य का नाम - |
| वेंडर का नाम : |
| कार्य प्रारंभ होने की तिथि: |
| कार्य आदेश संख्या: |
| आवक संख्या: |
| चालान संख्या: |
| कार्य पूरा होने की तिथि: |

| क्र.सं. | मद का विवरण | इकाई | मात्रा | दर/ इकाई (₹ में) | राशि (₹ में) |
|---------|-------------|------|--------|------------------------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | कुल | | | | |

पृष्ठ नं. - _

टिप्पणियाँ: सभी पृष्ठ रेखांकित होंगे। (पृष्ठ तीन रंगों में त्रिप्रतिलिपि में होंगे — क्रमशः सफेद, पीला और हरा — ऊपर दिए गए प्रारूप के अनुसार)। प्रत्येक मापन पुस्तिका कठोर बाइंडिंग की जाएगी तथा प्रत्येक आरए बिल एवं अंतिम बिल के साथ सौंपी जाएगी।



भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
संपदा विभाग / Estate Department
पटना / Patna

आरबीआई, पटना में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए इंटेलिजेंट एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

के लिए ई-निविदा

भाग II (मात्रा का कीमत रहित बिल)

बोलीदाता का नाम: _____

पता: _____

मोबाइल _____

ईमेल आईडी: _____

| | |
|--|---|
| ई निविदा सं. | (आरबीआई/पटना क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/25-26/ईटी/ [फायर अलार्म सिस्टम-एमओबी का एसआईटीसी]) |
| ई-निविदा के डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होने की तिथि और समय | 18 दिसंबर, 2025; 15:00 बजे |
| बोलियां जमा करने के लिए निविदा की उपलब्धता (भाग I और भाग II) | से: 18 दिसंबर, 2025; 15:00 बजे; |
| बिली-पूर्व बैठक की तिथि और समय | 24 दिसंबर, 2025; 15:00 बजे (ऑफलाइन) स्थान: संपदा विभाग, दूसरी मंज़िल, भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गांधी मैदान, पटना |
| ई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि | 08 जनवरी, 2026; 12:00 बजे |
| ई निविदा खोलने की तिथि और समय (भाग I) | 08 जनवरी, 2026; 15:00 बजे (भाग II के खोले जाने की सूचना वेंडर को बाद में दी जाएगी) |

मात्रा का बिल

| क्र.सं. | विवरण | मात्रा/यूनिट | दर/इकाई (रुपये में) | राशि रुपये में |
|---------|---|--------------|------------------------|-------------------|
| 1. | <p><u>फायर अलार्म कंट्रोल पैनल (एफएसीपी):</u></p> <p>फायर अलार्म कंट्रोल पैनल की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग (एसआईटीसी) — जो नेटवर्कयोग्य, माइक्रोप्रोसेसर आधारित, 5 लूप वाला तथा 10 लूप तक विस्तार योग्य एड्रेसबल टाइप का हो, एवं 640 अक्षरों के एलसीडी डिस्प्ले से युक्त हो। पैनल में प्रत्येक लूप में 20% अतिरिक्त क्षमता के साथ पर्याप्त संख्या में लूप होने चाहिए। पैनल एक लूप में कम-से-कम 256 एनालॉग एड्रेसबल उपकरण (डिटेक्टर, किसी भी संयोजन में उपकरण) लेने में सक्षम होना चाहिए। चार एक्सेस स्तर, फ्लैश स्कैन डिवाइस लेने में सक्षम, एएचयू को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रोग्रामेबल रिले नियंत्रण, प्रेशराइजेशन पंखे, फायर पंप रूम में वेंटिलेशन पंखे, फायर स्प्रिंकलर और फायर हाइड्रेंट पंप की निगरानी, 240 वोल्ट एसी बिजली आपूर्ति, स्वचालित बैटरी चार्जर, 24 वोल्ट सीलबंद रखरखाव मुक्त (एसएमएफ) बैटरियां सामान्य कामकाज के लिए 24 घंटे पर्याप्त हैं और फिर आवश्यकतानुसार आपातकालीन स्थितियों के दौरान सिस्टम को 2 घंटे तक संचालित करने में सक्षम हैं। एफएएस पैनल में निविदा के भाग-1 में उल्लिखित तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार सभी लूप कार्ड, इंटरफेस कार्ड, कंट्रोल कार्ड, पावर कंट्रोल यूनिट आदि शामिल होंगे। पैनल को नवीनतम संस्करण यूएल / ईएन / वीडिएस प्रमाणन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। उद्धृत दर में सभी कर, परिवहन, बीमा, लेवी आदि शामिल होंगे, और इसमें कार्य को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर फिटिंग, उपभोज्य वस्तुएं शामिल होंगी।</p> | 1 नग | | |
| 2. | <p><u>नेटवर्क ग्राफिक कंट्रोल स्टेशन:</u></p> <p>नेटवर्क ग्राफिक कंट्रोल स्टेशन की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)। मुख्य नेटवर्क सॉफ्टवेयर में फ्लोर प्लान्स और विभिन्न प्रणालियों के वास्तविक स्थानों; और / या सेंसर के स्थान को दर्शाने वाले आइकन के साथ निगरानी</p> | 1 सेट | | |

| क्र.सं. | विवरण | मात्रा/यूनिट | दर/इकाई (रुपये में) | राशि रुपये में |
|---------|--|--------------|------------------------|-------------------|
| | <p>की जा रही प्रत्येक सुविधा को ग्राफिक रूप से दर्शाने में सक्षम होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में वर्तमान उपकरणों को समायोजित किया जाना चाहिए और न्यूनतम 15000 आईबीएमएस (एक्सेस कंट्रोल, फायर, एचवीएसी आदि) बिंदुओं तक विस्तार किया जाना चाहिए। सॉफ्टवेयर को एक ब्लॉक में नियंत्रण कक्ष में स्थित किया जाएगा और एक दूसरे से जुड़े सभी ब्लॉक पैनल की निगरानी करेगा। यह सॉफ्टवेयर फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क पर 100 एमबी बॉड ट्रांसमिशन दर और केबल या उससे अधिक पर 12 एमबी बॉड ट्रांसमिशन के साथ 100 नोड्स की निगरानी करने में सक्षम होगा। सॉफ्टवेयर फायर डिटेक्शन सिग्नल के साथ-साथ फायर नेटवर्क पर वॉइस सिग्नल का उपयोग करके मुख्य नियंत्रण कक्ष से 2-तरफा संचार की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करेगा। उद्धृत दर में सभी कर, परिवहन, बीमा, लेवी आदि शामिल हैं, और यह कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी हार्डवेयर फिटिंग, उपभोज्य वस्तुओं सहित होगी।</p> <p>मॉनिटर और प्रिंटर:</p> <p>इंटेल् आई7 12वीं पीढ़ी या उससे अधिक के साथ पीसी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी), सिस्टम मेमोरी: न्यूनतम 8 जीबी रैम, हार्ड डिस्क: न्यूनतम 1 टीबी, डिस्क स्पीड: न्यूनतम 10000 आरपीएम, एसएसडी:- न्यूनतम 500 जीबी, ग्राफिक कार्ड:- न्यूनतम 4 जीबी, लोड डिवाइस: डीवीडी-आरडब्ल्यू, नेटवर्क कनेक्शन: गीगापोर्ट 1जीबी, कॉम पोर्ट: 3, साउंड कार्ड, माउस, स्पीकर, कीबोर्ड, ईथरनेट कार्ड, पीसीआई स्लॉट, आरएस-232 / आरएस-485 सीरियल कॉम पोर्ट, विंडोज 11 या उससे ऊपर, एंटीवायरस, कलर लेजरजेट प्रिंटर और 32 इंच फ्लैट स्क्रीन एलसीडी / एलईडी मॉनिटर शामिल हैं। उद्धृत दर में सभी कर, परिवहन, बीमा, लेवी आदि शामिल होंगे, और इसमें कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी हार्डवेयर फिटिंग, उपभोज्य वस्तुएं शामिल होंगी।</p> | | | |
| 3. | <p>रिपीटर पैनल:</p> <p>6 इंच या 640-कैरेक्टर्स के साथ यूएल सूचीबद्ध नेटवर्क एड्रेसेबल रिपीटर पैनल की आपूर्ति, बिछाना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी); एलसीडी नेटवर्क में सभी एवेंट्स</p> | 5 नग | | |

| क्र.सं. | विवरण | मात्रा/यूनिट | दर/इकाई (रुपये में) | राशि रुपये में |
|---------|---|--------------|------------------------|-------------------|
| | / डिटेक्टरों, उपकरणों की स्थिति प्रदर्शित करेगा, एनआरपी को कर्टी कीपैड से सुसज्जित किया जाएगा। माउंटिंग विकल्पों में एक उद्घोषक बॉक्स शामिल है, और माउंटिंग के लिए रिक्त मॉड्यूल आवश्यक हैं। उद्धृत दर में सभी कर, परिवहन, बीमा, लेवी आदि शामिल होंगे, और इसमें कार्य को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर फिटिंग, उपभोज्य शामिल होंगे। | | | |
| 4. | फाल्स सीलिंग पर नीचे फोटोथर्मल स्मोक डिटेक्टर: माउंटिंग बेस, एलईडी, डिटेक्टरों को प्रोग्राम करने के लिए एड्रेस स्विच, इनबिल्ट आइसोलेटर के साथ स्वचालित फ्लोटिंग सेंसिटिविटी प्रकार के इंटेलिजेंट एड्रेसबल फोटो थर्मल स्मोक डिटेक्टर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी), सभी कार्य फाल्स सीलिंग के नीचे आवश्यकतानुसार पूर्ण होने चाहिए। यह यूएल / ईएन 54 अनुमोदित होना चाहिए और निविदा के भाग-1 में उल्लिखित तकनीकी विनिर्देश के अनुसार सभी पूर्ण और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। उद्धृत दर सभी करों, परिवहन, बीमा, लेवी आदि सहित होनी चाहिए, और यह कार्य को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर फिटिंग, उपभोज्य वस्तुओं सहित होनी चाहिए। | 175 नग | | |
| 5. | फाल्स सीलिंग पर फोटोथर्मल स्मोक डिटेक्टर: माउंटिंग बेस, एलईडी, डिटेक्टरों को प्रोग्राम करने के लिए एड्रेस स्विच, इनबिल्ट आइसोलेटर, सभी उपयुक्त कनेक्टर बॉक्स आदि के साथ, जैसा कि टू सीलिंग पर आवश्यक हो, पूर्ण होने के साथ स्वचालित फ्लोटिंग सेंसिटिविटी प्रकार वाले इंटेलिजेंट एड्रेसबल फोटो थर्मल स्मोक डिटेक्टर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) यह यूएल / ईएन 54 अनुमोदित होगा और निविदा के भाग-1 में उल्लिखित तकनीकी विनिर्देश के अनुसार बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित सभी प्रकार से पूर्ण होगा, और यह काम पूरा करने के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर फिटिंग, उपभोज्य वस्तुओं सहित होगा और उद्धृत दर में सभी कर, परिवहन, बीमा, लेवी आदि शामिल होंगे। | 188 नग | | |
| 6. | फॉल्स सीलिंग के नीचे/ऊपर मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर: | 27 नग | | |

| क्र.सं. | विवरण | मात्रा/यूनिट | दर/इकाई (रुपये में) | राशि रुपये में |
|---------|--|--------------|------------------------|-------------------|
| | फाल्स सीलिंग के ऊपर/नीचे (फोटो + निश्चित तापमान + तापमान वृद्धि कि दर) इंटेलिजेंट एड्रिसेबल प्रकार के मल्टी सेंसर डिटेक्टर का आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)। इसे उपयोग के लिए बेस के साथ लगाया जाना चाहिए, जो गर्मी या धुएं या संयुक्त दोनों स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक एड्रेसिंग, माइक्रोप्रोसेसर प्रकार जो ऑपरेटिंग तापमान -20 से + 60 तक के लिए उपयुक्त हो। डिटेक्टर में ऑटो लर्न, ड्रिफ्ट कंपेनसेशन आदि होना चाहिए। यह यूएल / ईएन 54 अनुमोदित होना चाहिए। उद्धृत दर सभी करों, परिवहन, बीमा, लेवी आदि सहित होनी चाहिए, और इसमें कार्य को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर फिटिंग, उपभोज्य शामिल हैं। | | | |
| 7. | एलपीजी गैस रिसाव डिटेक्टर: माउंटिंग बेस, एलईडी, इनबिल्ट आइसोलेटर के साथ एलपीजी गैस बैंक के लिए एड्रेस करने योग्य एलपीजी डिटेक्टर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) - सभी फिक्सिंग और कार्य करने के लिए आवश्यक मॉड्यूल के साथ कार्य को पूरा किया जाना है। यह यूएल / ईएन 54 अनुमोदित होगा और निविदा के भाग- में उल्लिखित तकनीकी विनिर्देश के अनुसार कार्य सभी प्रकार से पूर्ण और बैंक के इंजीनियर द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार होगा। उद्धृत दर में सभी कर, परिवहन, बीमा, लेवी आदि शामिल होंगे, और इसमें काम पूरा करने के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर फिटिंग, उपभोज्य वस्तुएं शामिल होंगी। | 04 नग | | |
| 8. | प्रतिक्रिया संकेतक: आवश्यकतानुसार दोहरे एलईडी के साथ प्रतिक्रिया संकेतक की आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)। उद्धृत दर में सभी कर, परिवहन, बीमा, लेवी आदि शामिल होंगे, और काम को पूरा करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर फिटिंग के सभी सामान शामिल होंगे। | 40 नग | | |
| 9 | फ़ाल्ट आइसोलेटर: स्वचालित रीसेट व्यवस्था के साथ दो क्रमिक फॉल्ट आइसोलेटर्स के बीच शॉर्ट, डी-वायर्ड और लूज सर्किट को अलग करने के लिए फॉल्ट आइसोलेटर की आपूर्ति स्थापना | 1 नग | | |

| क्र.सं. | विवरण | मात्रा/यूनिट | दर/इकाई (रुपये में) | राशि रुपये में |
|---------|--|--------------|------------------------|-------------------|
| | परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)। उद्धृत दर में सभी कर, परिवहन, बीमा, लेवी आदि शामिल होंगे, और कार्य को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर फिटिंग, उपभोग्य सामग्रियों को शामिल किया जाएगा। | | | |
| 10. | हूटर कम स्ट्रॉब के साथ नियंत्रण मॉड्यूल: टू/फाल्स सीलिंग पर एट्रेसेबल यूएल सूचीबद्ध हूटर कम स्ट्रॉब की आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) 110 कैंडेला, मॉड्यूल के साथ 1 हर्ट्ज मॉड्यूल सहित संपूर्ण डिवाइस को 3 चयन योग्य कैंडेला आउटपुट पर प्रोग्राम करने के लिए स्विच करें, आवश्यकतानुसार कार्य को पूरा करें। उद्धृत दर में सभी कर, परिवहन, बीमा, लेवी आदि शामिल होंगे, और कार्य को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर फिटिंग, उपभोग्य सामग्री इसमें शामिल हैं। | 29 नग | | |
| 11. | मैनुअल कॉल प्वाइंट/स्टेशन (एमसीपी): एट्रेसेबल डुअल एक्शन मैनुअल कॉल स्टेशन ब्रेक ग्लास टाइप यूनिट की आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी), जैसा कि आवश्यक है (यूएल सूचीबद्ध)। उद्धृत दर में सभी कर, परिवहन, बीमा, लेवी आदि शामिल होंगे, और कार्य को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर फिटिंग, उपभोग्य सामग्रियों को शामिल किया जाएगा। | 22 नग | | |
| 12. | एफआरएलएस आर्मर्ड मुड़ा हुआ कॉपर मल्टी-स्ट्रैंडेड केबल: एफआरएलएस आर्मर्ड 2 सी एक्स 1.5 वर्ग मिमी पीवीसी इंसुलेटेड ट्विस्टेड कॉपर मल्टीस्ट्रैंडेड केबल (लाल रंग) की आपूर्ति, बिछाना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) - आंशिक रूप से दीवार / सतह / भूमिगत कठोर अनुमोदित पीवीसी कंज्यूट (आईएसआई) में सैडल्स का उपयोग करके प्रत्येक 450 मिमी की दूरी पर पूर्ण समाप्ति और आवश्यकतानुसार परीक्षण के साथ लगाना। उद्धृत दरों में सभी कर, परिवहन, बीमा, लेवी आदि शामिल होंगे और कार्य को पूरा करने के लिए इसमें सभी आवश्यक हार्डवेयर फिटिंग, उपभोग्य वस्तुओं शामिल होंगे। | 1000 आरएमटी | | |

| क्र.सं. | विवरण | मात्रा/यूनिट | दर/इकाई (रुपये में) | राशि रुपये में |
|---------|---|--------------|---|---|
| 13. | कुल पूंजीगत लागत ----- (ए) | | | |
| 14. | <p>बाय-बैक योजना के तहत पुरानी सामग्री को हटाने और लेने की छूट:</p> <p>परीक्षण, कमीशनिंग और नए फायर अलार्म सिस्टम के स्थिरीकरण के बाद डिटेक्टर मुख्य पैनल, रिपीटर पैनल, हूटर, स्ट्रोब लाइट आदि (केबल शामिल नहीं) सहित मौजूदा फायर अलार्म सिस्टम को सावधानीपूर्वक हटाने और ले जाने के लिए छूट। कार्य (फायर अलार्म सिस्टम की स्थापना) तब पूरा माना जाएगा जब विघटित सामग्री को आरबीआई परिसर से बाहर ले जाया जाएगा। विघटन कार्य में सभी प्रकार के उपकरणों को हटाना और केबल को छोड़कर पुराने फायर अलार्म घटकों से जुड़ी अन्य प्रणालियों का सुधार शामिल है, अर्थात्, लकड़ी के बोर्डों को हटाना, फाल्स सीलिंग की कटाई और सुधार आदि को पूरा करना और नुकसान को ठीक करना।</p> <p>उद्धृत दर में सभी कर, परिवहन, बीमा, लेवी आदि शामिल होंगे, और इसमें कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक सभी हार्डवेयर फिटिंग, उपभोज्य वस्तुओं शामिल होंगे। ----- ----- (बी)</p> | 1 जॉब | कीमत संबंधी शीट में एमएसटीसी पर उद्धृत किया जाना है | कीमत संबंधी शीट में एमएसटीसी पर उद्धृत किया जाना है |
| 15. | <p>व्यापक एएमसी शुल्क - निविदा भाग-1 में उल्लिखित विवरण के अनुसार 01 (एक) वर्ष की प्रारंभिक गारंटी अवधि पूरी होने के बाद पूरे सिस्टम के लिए सभी समावेशी व्यापक वार्षिक रखरखाव (एएमसी) शुल्क जिसमें मुख्य पैनल, रिपीटर पैनल, सभी डिटेक्टर और उपकरण, एमसीपी, संकेतक, नियंत्रण और निगरानी मॉड्यूल, हूटर, एसएमपीएस, बैटरी, तार / केबल, पीसी, प्रिंटर, कार्ट्रिज रिफिलिंग, ओएस और अन्य सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस और इसके अपडेट, लाइसेंस नवीनीकरण, सभी प्रकार के प्लास्टिक पार्ट्स और उपभोज्य आदि शामिल हैं। उद्धृत दर में सभी कर, परिवहन, बीमा, लेवी आदि शामिल होंगे, और इसमें कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी हार्डवेयर फिटिंग/उपभोग्य वस्तुएं शामिल होंगी।</p> <p>एएमसी राशि संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान की जाएगी। (सी)</p> | प्रति वर्ष | | |

| क्र.सं. | विवरण | मात्रा/यूनिट | दर/इकाई (रुपये में) | राशि रुपये में |
|---------|--|--------------|------------------------|-------------------|
| 16. | कुल स्वामित्व लागत (टीसीओ) = [(ए-बी) + (5.632xसी)] उपरोक्त सूत्र के अनुसार मूल्यांकन किया जाना है | | | |

टिप्पणी:

1. निविदाओं का मूल्यांकन समग्र स्वामित्व लागत के आधार पर किया जाएगा जिसका निर्धारण निम्नानुसार होगा (निविदा के खंड 3.17 / 3.18, धारा III, भाग-1 के अनुसार)

• कुल स्वामित्व लागत (टीसीओ) = निवल पूंजीगत लागत (नए उपकरण की लागत - पुराने उपकरण का छूट मूल्य) + सीएएमसी के लिए एनपीवी कारक **X** सीएएमसी के लिए प्रति वर्ष शुल्क।

• अर्थात्, कुल स्वामित्व लागत (टीसीओ) = निवल पूंजीगत लागत (नए उपकरण की लागत - पुराने उपकरणों के लिए छूट मूल्य) + 5.632 X सीएएमसी के लिए प्रति वर्ष उद्धृत लागत।

2. उपरोक्त सभी दरें सभी प्रकार की सामग्री, स्पेयर पार्ट्स, जीएसटी, परिवहन, बीमा, करार, श्रम, आवश्यक वैधानिक अनुमोदन और, यदि कोई हो तो, कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य सभी खर्चों सहित हैं।

3. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे दर उद्धृत करने से पहले साइट पर जाएं और साइट की स्थितियों से खुद को परिचित करें।

दिनांक:

स्थान:

मुहर सहित ठेकेदार के हस्ताक्षर